सी० बी० (II) संख्या 226

लोक-सभा

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968

(संयुक्त समिति का प्रतिवेदन)

[26 मार्च, 1969 को पेश किया गया]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 1969 1 चैत्र, 1891 (शक)

मूल्य : 1.40 रुपये

सी० बी० (II) संख्या 226

लोक-सभा

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968

(संयुक्त समिति का प्रतिवेदन)

[26 मार्च, 1969 को पेश किया गया]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 1969 चैत्र, 1891 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

1. संयुक्त समिति की रचना . . . . (i)–(iii)
2. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . . . . (iv)–(ix)
3. विमति टिप्पण . . . . (x)–(xxviii)
4. संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक 1–20

परिशिष्ट एक :

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव . . . 21–22

परिशिष्ट दो :

राज्य सभा में प्रस्ताव 23

परिशिष्ट तीन :

संयुक्त समिति को प्राप्त ज्ञापनों/अभ्यावेदनों का विवरण 24–25

परिशिष्ट चार :

उन पार्टियों/व्यक्तियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया . . 26–27

परिशिष्ट पाँच :

संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश 28–83

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 सम्बन्धी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्री एम० वी० राणा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस० ए० अगड़ी
3. श्री के० अम्बाज़ागन
4. श्री फ्रैंक एन्थनी
5. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
6. हिज़ हाईनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
7. श्री सी० सी० देसाई
8. श्री शिवाजीराव एस० देशमुख
9. श्री गंगाचरण दीक्षित
10. श्री समर गुह
11. श्री कंवर लाल गुप्त
12. श्री गुणानन्द ठाकुर
13. श्री हेम राज
14. डा० कर्णी सिंह
15. श्री किन्दर लाल
16. श्री थांडवन किरुतिनन
17. श्री अमीया कुमार किस्कू
18. श्री भोला नाथ मास्टर
19. श्री वी० विश्वनाथ मेनन
20. श्री जी० एस० रेड्डी
21. श्रीमती उमा राय
22. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
23. श्री योगेन्द्र शर्मा
24. श्री शशि भूषण

25. श्री विद्याचरण शुक्ल

26. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह

27. श्री आर० के० सिन्हा

28. श्री श्रद्धाकर सूपकार

29. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्

30. श्री यशवन्तराव चव्हाण

राज्य सभा

31. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर

*32. श्री राम निवास मिर्धा

33. सरदार जोगिन्दर सिंह

34. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा

**35. श्री गनेशी लाल चौधरी

36. श्री पूर्णानन्द चेतिया

37. श्री अकबर अली खान

38. श्री के० एस० रामस्वामी

39. श्री विठ्ठलराव तुकाराम नागपुरे

40. श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता

41. श्री एम० रुथनास्वामी

42. श्री सुन्दर सिंह भण्डारी

43. श्री गोडे मुराहरि

44. श्री बालचन्द्र मेनन

45. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया, सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय,

2. श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

3. श्री जी० एन० सक्सेना, सहायक ड्राफ्ट्समैन, ओ० एल० (विधायी) आयोग, विधि मंत्रालय

---

*श्री हरिश्चन्द्र माथुर के निधन के कारण हुई रिक्तता में 19 अगस्त, 1968 से नियुक्त।

**श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा के पद-त्याग करने के कारण हुई रिक्तता में 29 अगस्त, 1968 से नियुक्त।

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी, संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह-कार्य मंत्रालय
2. श्री एस० पी० मुखर्जी, संयुक्त सचिव (वी), गृह-कार्य मंत्रालय।
3. श्री जे० एम० ललवानी, संयुक्त सचिव (वी), गृह-कार्य मंत्रालय।
4. श्री एस० पी० मुकर्जी, निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह-कार्य मंत्रालय।
5. श्री ए० पी० वीरा राघवन, उप-सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय।
6. श्री एस० एम० चिकरमाने, उप-सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह कार्य-मंत्रालय।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—**उप-सचिव**

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, संयुक्त समिति का सभापति जिसे सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्रवाई के अन्वेषण के लिये कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक* सौंपा गया था, समिति की ओर से उसका प्रतिवेदन पेश करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर, समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक के साथ उसका प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

2. यह विधेयक लोक सभा में 9 मई, 1968 को पेश किया गया । विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री विद्या चरण शुक्ल, द्वारा लोक सभा में 10 मई, 1968 को पेश किया गया जिस पर उसी दिन चर्चा हुई और स्वीकृत हुआ (देखिए परिशिष्ट एक) ।

3. राज्य सभा ने उक्त प्रस्ताव पर 13 मई, 1968 को चर्चा की और उससे सहमत हुई (देखिए परिशिष्ट दो) ।

4. राज्य सभा से सन्देश लोक-सभा के समाचार भाग 2, दिनांक 16 मई, 1968 में प्रकाशित हुआ ।

5. समिति की कुल 19 बैठकें हुईं ।

6. समिति का भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिये उसकी पहली बैठक 29 मई, 1968 को हुई । इस बैठक में समिति ने फैसला किया कि अपने सुझाव/विचार प्रस्तुत करने के इच्छुक सार्वजनिक निकायों, मज़दूर संघों, संगठनों, संस्थाओं/व्यक्तियों को यह राय देते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए कि वे, समिति के विचारार्थ, विधेयक पर लिखित ज्ञापन भेजें । समिति ने यह फैसला भी किया कि राज्य सरकारों, केन्द्र और राज्यों की बार परिषदों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की बार एसोसिएशनों तथा वाणिज्य और उद्योग के मण्डलों से अनुरोध किया जाए कि वे समिति द्वारा उपयोग के लिये, विधेयक पर अपनी टिप्पणियां भेजें । सभापति को प्राधिकृत किया गया कि वह लिखित ज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात् समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के लिये पार्टियों का चयन करे ।

7. संयुक्त समिति को विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों से विधेयक पर 42 ज्ञापन/अभ्यावेदन आदि प्राप्त हुए, जिनका वर्णन परिशिष्ट तीन में किया गया है ।

8. 4, 5, 6, 27 जुलाई, 3, 20, 23, 24, 31 अगस्त, 24 अक्तूबर और 7 दिसम्बर, 1968 को हुई अपनी क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, तेरहवीं और चौदहवीं बैठकों में समिति ने प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं, सार्वजनिक व्यक्तियों और अन्य दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों/संगठनों द्वारा दिया गया साक्ष्य सुना (देखिए परिशिष्ट चार) ।

9. समिति का प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम दिन अर्थात् 22 जुलाई, 1968 तक पेश किया जाना था । चूंकि ऐसा सम्भव नहीं था, समिति ने फैसला किया कि प्रतिवेदन पेश करने का समय शरद्कालीन

---

*भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, दिनांक 9 मई, 1968 में प्रकाशित ।

सत्र (छठे सत्र) के प्रथम दिन तक बढ़ाए जाने के लिये कहा जाए। आवश्यक प्रस्ताव सभा में पेश किया गया और 22 जुलाई, 1968 को स्वीकृत हुआ। 24 अक्तूबर, 1968 को हुई समिति की तेरहवीं बैठक में उसने फैसला किया कि कुछ अन्य प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं के साक्ष्य की सुनवाई की जाए और इस कारण प्रतिवेदन पेश करने का समय बजट सत्र के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन तक अग्रेतर बढाए जाने के लिये कहा जिसके लिये सभा ने 11 नवम्बर, 1968 को अनुमति दी। 24 जनवरी, 1969 को हुई समिति की सोलहवीं बैठक में समिति ने फिर फैसला किया कि प्रतिवेदन पेश करने का समय 29 मार्च, 1969 तक अग्रेतर बढ़ाए जाने के लिये कहा जाए जिसके लिये सभा ने 17 फरवरी, 1969 को अनुमति दी।

10. समिति ने फैसला किया है कि उसके समक्ष दिये गए साक्ष्य और साक्ष्य की मुख्य बातों के सारांश को मुद्रित कराया जाए और दोनों सभाओं के पटलों पर रखा जाए।

11. समिति ने यह भी फैसला किया कि विभिन्न संस्थाओं/संगठनों/सरकारी विभागों इत्यादि द्वारा प्रस्तुत किये गए ज्ञापन/अभ्यावेदन आदि दोनों सभाओं के पटलों पर रखे जाने चाहिएं और उनकी एक प्रति सदस्यों के देखने के लिये संसद् ग्रन्थालय में रखी जानी चाहिए।

12. समिति ने 23, 24 जनवरी, 1 और 13 मार्च, 1969 को हुई अपनी क्रमशः 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं बैठकों में विधेयक पर खण्डवार विचार किया।

13. विधेयक में प्रस्तावित मूल परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति के विचार विस्तृत रूप से निम्नलिखित पैराग्राफों में दिये गए है।

14. **खण्ड** 2.—(i) समिति का विचार है कि "अनुचित आचरण" शब्दों से, जैसे इनका प्रयोग उप खण्ड (ख) (iii) में किया गया है, आरोप की परिभाषा बहुत ज्यादा व्यापक हो जाती है और इनमें लघु स्वरूप के मामले भी सम्मिलित हो सकते हैं। इस कारण इन शब्दों को हटा दिया गया है और इस उप-खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(ii) आशय को अधिक स्पष्ट करने के लिये "शिकायत" की परिभाषा में "अनुचित कठिनाई" शब्द जोड़ दिये गए हैं और उप-खण्ड (घ) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(iii) यह स्पष्ट करने के लिये कि प्रधान मंत्री विधेयक की सीमा में नहीं आते "मंत्री" की परिभाषा में शब्द "(प्रधान मंत्री के अलावा)" रख दिये गए हैं। तदनुसार उप-खण्ड (ज) में संशोधन कर दिया गया है।

(iii) उप-खण्ड (ट) (iii) में किया गया संशोधन प्रारूपी है।

15. **खण्ड** 3 (2).—जिस रूप में विधेयक पेश किया गया है उसके इस उप-खण्ड के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में लोकपाल से परामर्श ली जाए। समिति का विचार है कि इस उप-खण्ड की आवश्यकता नहीं है। अतः यह उप-खण्ड हटा दिया गया है।

16. **खण्ड** 4.—यह स्पष्ट करने के लिये इस खण्ड में संशोधन किया गया है कि लोकपाल या लोकायुक्त के पद पर आसीन कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा या कोई व्यापार या कारबार नहीं करेगा।

17. **खण्ड** 5.—(i) समिति का विचार है कि लोकपाल और लोकायुक्तों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह वांछनीय नहीं है कि लोकपाल या लोकायुक्तों के लिये दूसरी पदावधि की अनुमति दी

जाए। इसके अतिरिक्त इसमें एक जोखिम यह भी है कि ज्यादा उपयुक्त और सक्षम व्यक्तियों के उपलब्ध होते हुए एक व्यक्ति लम्बे समय तक पद पर बना रहे। अतः उप-खण्ड (1) में से शब्द "परन्तु एक से अनधिक अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा" हटा दिये गये हैं।

(ii) समिति का विचार है कि उप-खण्ड (1) के परन्तुक में किये गए उपबन्ध का उत्तराधिकारी की नियुक्ति में विलम्ब करके दुरुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार एक विशेष लोकपाल या लोकायुक्त अपनी पदावधि से अधिक समय के लिये अपने पद पर बना रह सकेगा। इस कारण यह परन्तुक हटा दिया गया है।

(iii) लोकपाल तथा लोकायुक्तों के किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन को निषिध करने और लोकपाल तथा लोकायुक्तों की लोकपाल तथा लोकायुक्तों के रूप में पुनर्नियुक्ति अथवा नियुक्ति को या सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्ति को निषिध करने के लिये उप-खण्ड (3) में संशोधन किया गया है।

(iii) लोकपाल तथा लोकायुक्तों को दिये जाने वाले वेतन स्वयं विधेयक में निर्धारित करने के लिये और यह स्पष्ट करने के लिये कि वे सेवानिवृत्त होने पर पेंशन के हकदार हैं, उप-खण्ड (4) के स्थान पर तीन नये उप-खण्ड रखे जा रहे हैं।

18. **खण्ड 6.**—समिति का विचार है कि यह उपबंध करना अधिक उचित है कि लोकपाल अथवा किसी लोकायुक्त को हटाने से पहले जांच केवल भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। अतः इस खण्ड के उप-खण्ड (1) के परन्तुक में तदनुसार संशोधन किया गया है।

19. **खण्ड 8.**—(i) उप-खण्ड (1) (क) में किया गया संशोधन परिणामी है।

(ii) समिति का विचार है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 अथवा लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन जांच के लिए सौंपी गई किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में लोकपाल अथवा लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार केवल उसी दशा में नहीं होना चाहिए जब उक्त अधिनियमों के अधीन ऐसी जांच लोकपाल की पूर्व सहमति से की जाती है। अतः उप-खण्ड (2) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(iii) नया उप-खण्ड (4) इस दृष्टि से जोड़ा गया है कि लोकपाल अथवा किसी लोकायुक्त को किसी ऐसी शिकायत की जांच करने से निषिध किया जाय जो नये खण्ड 18 के अधीन अधिसूचना के कारण उस के क्षेत्राधिकार से बाहर है और यह संशोधन परिणामी है।

20. **खण्ड 9.**—(i) समिति का विचार है कि यदि उपखण्ड (2) के अधीन शिकायत उचित फार्म में की जानी है और उसके साथ शपथ-पत्र संलग्न होंगे तो शिकायत करने वाले पर यह बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है कि वह अन्य दस्तावेज़ भी पेश करे। अतः इस उप-खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(ii) उप-खण्ड (3) में किये गये संशोधन प्रारूपी हैं।

21. **खण्ड 10.**—समिति का विचार है कि लोकपाल तथा लोकायुक्तों को अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे, यदि ठीक समझें तो, किसी शिकायत की औपचारिक रूप से जांच आरम्भ करने से पहले उसकी प्रारम्भिक जांच करें और कि उन्हें जांच सम्बन्धी दस्तावेज़ों के हिफाजत से रखे जाने के लिए ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार होना चाहिए जो वे ठीक समझें। समिति का यह भी विचार है कि लोकपाल तथा लोकायुक्तों को यह विवेकाधिकार प्रदान किया जाना चाहिए कि वे निश्चित सार्वजनिक महत्व के मामलों में खुली जांच कर सके।

अतः इस खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

22. **खण्ड 11**.—(i) उप-खण्ड (1) और (2) में किये गये संशोधन परिणामी हैं।

(ii) समिति का विचार है कि उप-खण्ड (4) में किया गया उपबन्ध "लोक सेवकों" की परिभाषा में आने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होना चाहिए। समिति का यह भी विचार है कि सरकारी या लोक सेवकों को, सिवाय उस मामले में जिसका उपबन्ध उप-खण्ड (5) में किया गया है, दस्तावेज़ पेश करने या साक्ष्य देने के सम्बन्ध में किसी विशेषाधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए जैसा कि किसी अधिनियम अथवा विधि सम्बन्धी नियम के अधीन कानूनी कार्रवाइयों में किया जाता है। अतः इस उप-खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(iii) समिति का विचार है कि उप-खण्ड (5) (ख) में उपबन्धित प्रकटीकरण से संरक्षण का भी विस्तार कर के इसमें किसी संघ राज्य क्षेत्र की मंत्रि-परिषद् की तथा दिल्ली प्रशासन की कार्यपालिक परिषद् की और उसकी समितियों की कार्रवाईयों को शामिल किया जाना चाहिए।

अतः इस उप-खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(iv) उप-खण्ड (6) में किया गया संशोधन प्रारूपी है।

23. **खण्ड 12**.—(i) उप-खण्ड (1) में किये गये संशोधन परिणामी और प्रारूपी हैं।

(ii) उप-खण्ड (3) में किया गया संशोधन प्रारूपी है।

(iii) समिति का विचार है कि जब लोकपाल या लोकायुक्त अन्तिम रूप से किसी मामले को निबटा ले तो उसे जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई हो उसको और सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए। समिति का यह भी विचार है कि जब लोकपाल या लोकायुक्त किसी मामले के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को विशेष रिपोर्ट देता है तो उसे इस मामले की शिकायत करने वाले को भी सूचित करना चाहिए।

अतः उप-खण्ड (5) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(iv) समिति सिफारिश करती है कि सरकार को ऐसे मामलों की संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से निकालने के लिए उपयुक्त विनियम बनाने चाहिएं जिन पर लोकपाल/लोकायुक्त ने विचार किया हो। हर स्थिति में समिति का विचार है कि उप-खण्ड (5) के परन्तुक को रखने की आवश्यकता नहीं है। अतः परन्तुक को तदनुसार हटा दिया गया है।

(v) समिति का विचार है कि यह बात लोकपाल/लोकायुक्तों पर छोड़ दी जानी चाहिए कि वे जैसे आवश्यक समझें उसी रीति से प्रतिवेनन प्रस्तुत करें। व्यक्तिगत मामलों का न्यायोचित ढंग से वर्णन करने के मामले में उन पर निर्भर किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में विशिष्ट उपबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उप-खण्ड (7) हटा दिया गया है।

24. **खण्ड 13(3)**.—विधेयक जिस रूप में पेश किया गया है इसके इस उप-खण्ड के अनुसार अपेक्षित है कि लोकपाल और लोकायुक्त प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या जांच अभिकरण की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए उस की सम्मति प्राप्त करें। समिति का विचार है कि लोकपाल या लोकायुक्त के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह प्रत्येक मामले में ऐसी सम्मति प्राप्त करे और कि यदि सामान्य सम्मति प्राप्त कर ली जाती है तो उससे लोकपाल या लोकायुक्त के लिए सम्भव होना चाहिए कि वह प्रस्तावित विधान के अधीन जांच करने के लिए किसी अधिकारी या जांच अभिकरण की सेवाओं का प्रयोग कर सके।

अतः इस उप-खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

25. **खण्ड 14.**—(i) उप-खण्ड (1) में किया गया संशोधन परिणामी है ।

(ii) समिति का विचार है कि विधेयक जिस रूप में पेश किया गया है इसके उप-खण्ड (4), (5) और (6) में किये गये उपबन्धों से संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रत्याभूत वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य के मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है । अत: ये उप-खण्ड हटा दिये गये हैं ।

26. **खण्ड 15.**—(i) समिति का विचार है कि लोकपाल या लोकायुक्त के अवमान आदि के लिए दण्ड न्यायालय अवमान विधेयक में इससे मिलते-जुलते उपबन्धों के बराबर होना चाहिए ।

अत: उप-खण्ड (1) और (2) में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

(ii) समिति का विचार है कि इस बारे में फैसला लोकपाल/लोकायुक्त को ही करना चाहिए कि उन का अवमान किया गया है और उन्हें शक्ति प्रदान की जानी चाहिए कि वे ऐसे अपराधों के लिए मुकदमें की मंजूरी दें । सरकार की पूर्व-मंजूरी आवश्यक नहीं है ।

अत: उप-खण्ड (3) में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

27. **खण्ड 17.**—(i) समिति का विचार है कि इस दृष्टि से कि लोकपाल पर काम का ज्यादा बोझ न पड़े उसे यह शक्ति प्राप्त होनी चाहिए कि वह राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गये किसी मामले को, यदि उस मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई लोकायुक्त वैसे भी उस की जांच कर सकता हो तो, किसी लोकायुक्त को सौंप दे । अत: उप-खण्ड (3) में एक परन्तुक जोड़ा गया है ।

(ii) किसी शिकायत पर की गई जांच के मामले में जांच तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी जो प्रक्रिया और शक्तियां हैं वही खण्ड 17 (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल या किसी लोकायुक्त को प्रदान किये गये अतिरिक्त कृत्यों के निवर्हन तथा खण्ड 17(3) के अधीन जांच पर भी लागू हों, इस आशय का उपबन्ध करने के लिए एक नया उप-खण्ड (4) जोड़ा गया है ।

28. **नया खण्ड 18.**—समिति का विचार है कि जब काम बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोकपाल या लोकायुक्त ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यान दे सकें इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार को, लोकपाल की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी श्रेणी के लोक सेवकों (ऐसे लोक सेवकों नहीं जो भत्तों को छोड़ कर कम से कम एक हज़ार रुपये या इससे अधिक मासिक वेतन वाले पदों पर आसीन हों) के विरुद्ध शिकायतों को छोड़ने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए जिनका उल्लेख अधिसूचना में किया जाय । यह निम्न वेतन-मान वाले लोक सेवकों के मामले में विशेष रूप से आवश्यक हो सकता है । समिति का विचार है कि ऐसी प्रत्येक अधिसूचना संसद् के समक्ष रखी जाय ।

अत: एक नया खण्ड 18 तदनुसार जोड़ा गया है ।

29. **खण्ड 20 (मूल खण्ड 19).**—उप-खण्ड (2) (ख) और (ग) में किये गये संशोधन परिणामी हैं ।

30. **खण्ड 21 (मूल खण्ड 20).**—(i) उप-खण्ड (क) और उप-खण्ड (ख) में यह अधिक स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया है कि सम्पूर्ण न्यायपालिका और इस की स्थापना विधेयक की सीमा से बाहर हैं ।

(ii) समिति ने देखा है कि संसद् सदस्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों और दिल्ली की महानगर परिषद् के कार्यपालिक पार्षदों को विधेयक की सीमा में नहीं लाया गया है । समिति का विचार है कि संसद् संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं और दिल्ली की महानगर परिषद् के सचिवालयों की भी उनकी विशेष स्थिति के कारण विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाय ।

अत: नया उप-खण्ड (च) जोड़ा गया है ।

31. **नयी दूसरी अनुसूची**.—लोकपाल और लोकायुक्तों के वेतन निर्धारित करने के लिए नयी दूसरी अनुसूची जोड़ी गई है ।

32. **तीसरी अनुसूची (मूल दूसरी अनुसूची)**. —इस अनुसूची में किया गया संशोधन परिणामी है ।

33. **खण्ड 1 तथा अधिनियमन सूत्र**.—इन में किये गये संशोधन औपचारिक हैं ।

34. समिति ने 21 मार्च, 1969 को प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया ।

35. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पास किया जाय ।

नई दिल्ली;

21 मार्च, 1969

30 फाल्गुन 1890 (शक)

एम० बी० राणा,

सभापति

संयुक्त समिति ।

विमति टिप्पण

एक

उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों, चाहे मंत्रालयों में हों या सचिवालय में, के विरुद्ध शिकायतों या आरोपों की जांच करने का उपबन्ध करने के लिए विधान का सूत्रपात करने का श्रेय मेरे माननीय सहयोगी और मित्र डा० पी० के० देव को प्राप्त है जिन्होंने इस विषय पर 1967 में एक विधेयक पेश किया परन्तु सरकार के इस आश्वासन पर उसे वापस ले लिया कि इसी प्रकार का एक अधिक व्यापक विधेयक सरकार वर्तमान संसद् की कार्यावधि में पेश करेगी। संसद् में पेश किये गये रूप में विधेयक पर संयुक्त समिति ने विस्तार पूर्वक विचार किया है और कई तरह से उसमें सुधार किया है। इसमें सरकार ने और विशेषकर गृह-कार्य मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण ने जो सम्मति और सहयोग का रुख अपनाया वह प्रशंसनीय है।

2. केवल एक ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर सब विपक्षी सदस्य गृह-कार्य मंत्री से सहमत नहीं हुए और जिसमें वे चाहेंगे कि इस अवस्था में भी परिवर्तन किया जाये। वह है प्रधान मंत्री के पद को इस विधान के क्षेत्राधिकार में लाना जिस रूप में यह विधेयक पेश किया गया है इस में विशेष रूप से उपबन्ध नहीं है कि प्रधान मंत्री इसके क्षेत्राधिकार में होंगे, परन्तु इसके अभिप्रेत अर्थ से निश्चय ही प्रधान मंत्री इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। खण्ड 2(ज) के साथ पठित खण्ड 2(ग) (i) में प्रधान मंत्री का पद परिभाषा में आता है। परन्तु संयुक्त समिति में, सरकार ने एक संशोधन पेश किया और प्रधान मंत्री को विधेयक की सीमा से निकाल दिया। मैं समझता हूं कि सरकार ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि प्रधान मंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कदापि नहीं हो सकता कि वह इस विधि से प्रभावित हो बल्कि यह प्रधान मंत्री के प्रति सरकार की वफादारी का प्रदर्शनमात्र है। हम ने कई बार देखा है कि मुख्य मन्त्री भ्रष्टाचार, कुप्रशासन अथवा कदाचार में फंस जाते हैं और जांच आयोग द्वारा उनके मामलों की जांच की गई है और वे दोषी पाये गये हैं तथा उनको पद से हटाया गया है अथवा अन्य दंड दिया गया है। इस देश में जिस प्रकार का लोकतंत्र है उसमें उनमें से कोई भी व्यक्ति प्रधान मंत्री बन सकता है और इसी प्रकार के प्रलोभनों का शिकार हो सकता है। सरकार की ओर से कहा गया था कि यदि प्रधान मंत्री के विरुद्ध कोई शिकायत अथवा आरोप हो तो उसके लिये उचित स्थल संसद् है जहां उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। वर्तमान विधेयक में अनुचित आचरण, अनुचित दबाव अथवा भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने का सुझाव है और जांच न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक स्वरूप की होगी, जबकि संसद् में अविश्वास का मत स्वतः राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लेगा और सभा में कोई भी चर्चा अथवा निर्णय भी वैसा ही समझा जायेगा। यदि सभा के सदस्यों के बहुमत को प्रधान मन्त्री में विश्वास नहीं रहेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का उचित स्थल सभा होगी। परन्तु वह भ्रष्टाचार के आरोपों अथवा अनुचित आचरण के आरोपों से बिल्कुल भिन्न है। जैसे कि प्रधान मन्त्री देश के कानून से मुक्त नहीं हैं और यह कभी नहीं कहा गया कि यदि प्रधान मंत्री कानून तोड़ता है तो उसके विरुद्ध सभा में अविश्वास के मत द्वारा कार्यवाही की जा सकती है, इसी प्रकार यदि प्रधान मन्त्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार अथवा अनुचित हानि पहुंचाने का आरोप लगाया जाये तो उचित स्थल संसद् नहीं बल्कि किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा जैसे लोकपाल, जिसकी स्थापना करना इस विधेयक का उद्देश्य है, द्वारा न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक जांच द्वारा है। अतः हम प्रधान मंत्री से विशेष रूप से आग्रह करते हैं कि वह चापलूसी के इस भद्दे प्रयास से प्रभावित न हों, बल्कि इस अवसर पर यह सुनिश्चित करें कि प्रधान मंत्री, के पद को भी, अन्य किसी मंत्री की तरह, लोकपाल विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाये। यदि उप प्रधान मन्त्री के पद को लोकपाल विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं और ऐसा कोई तर्क नहीं कि प्रधान मंत्री के पद को विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्यों

न लाया जाये। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि खंड 2 उप खंड (ज) में संशोधन हटा दिया जाये और खण्ड 2 उप खंड (ग) (i) में एक और संशोधन भी हटा दिया जाये कि प्रधान मंत्री के मामले में, सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रपति होना चाहिए जो अपने वैयक्तिक स्वविवेक से कार्य करेगा।

3. समिति के कुछ सदस्यों ने संसद् सदस्यों को लोकपाल विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना चाहा था, परन्तु बहुमत ने ठीक ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यदि सभा में इस प्रस्ताव को पुनः पेश करने का प्रयास किया गया, तो मैं इस अवसर पर बता देना चाहता हूं कि संसद् सदस्य सरकारी अधिकारी नहीं हैं और उन्हें निर्णय लेने, ठेके देने अथवा प्रशासन में लाभ पहुंचाने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। दूसरे, यदि उनके विरुद्ध अनुचित आचरण का अरोप हो तो विशेषाधिकार समिति ऐसा स्थल है जहां उनके कार्य सम्बन्धी अभियोग चलाया जा सकता है और यदि वे दोषी पाये जाएं तो सभा उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। लोकपाल विधेयक का क्षेत्राधिकार निर्णय लेने अथवा अन्याय करने अथवा लाभ पहुंचाने के अधिकार अथवा शक्ति से सम्बन्धित होना चाहिए।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है कि लोकपाल और लोकायुक्तों को एक सामान्य संगठन के रूप में रखा जायेगा तथा उसका अध्यक्ष लोकपाल होगा। यदि एक से अधिक लोकायुक्त है तो उन लोकायुक्तों के बीच काम का बंटवारा ऐसे नियमों, विनियमों अथवा आदेशों के अनुसार होगा जो कि लोकपाल लोकायुक्तों के परामर्श से तैयार करेगा। इसकी व्यवस्था करने के लिए मैंने खण्ड 3, उप-खण्ड 4 में एक संशोधन पेश किया है परन्तु न तो सरकार ने और न ही संयुक्त समिति के सदस्यों के बहुमत ने इसका समर्थन किया है। चूंकि यह संगठन सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए बेहतर यह होगा कि स्वयं अधिनियम में इस बात को स्पष्ट किया जाये। इसी प्रकार बेहतर यह होता कि खण्ड 7, उप-खण्ड 3 में यह बात स्पष्ट कर दी जाती कि उप-खण्ड 2 में दी गई किसी बात के बावजूद भी लोकपाल लोकायुक्तों के परामर्श से और ऐसे कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, किसी भी ऐसी कार्यवाही की, जिसकी जांच उस उप-खण्ड के अन्तर्गत किसी लोकायुक्त द्वारा की जाये, जांच कर सकता है। यदि कोई विशिष्ट मामला किसी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है और यदि वह काम लोकपाल को सौंपने की मांग की जाये तो लोकपाल लोकायुक्त के परामर्श से ही ऐसा करे ताकि लोकायुक्त की, जो कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के स्तर का अधिकारी होगा, स्वायत्तता तथा सत्यनिष्ठा अक्षुण्ण रहे।

5. गुमनाम पत्रों में की गई शिकायतों अथवा आरोपों की जांच की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारा अनुभव यह है कि गुमनाम पत्रों में अक्सर मूल्यवान बातें होती हैं जोकि जांच करने पर इतनी अधिक सत्य सिद्ध होती हैं कि उनके बारे में उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। आरम्भिक जांच करने और यह निश्चय करने का कि आगे जांच चलाई जाय या नहीं, रास्ता लोकपाल के लिये हमेशा खुला हुआ है। पर गुमनाम आवेदनों अथवा पत्रों को हस्तक्षेप्य मानने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं परन्तुक के उप-खण्ड 4 के पश्चात् खण्ड 8 में एक संशोधन का सुझाव दूंगा कि लोकपाल को यदि आरोप के आधार स्वरूप कार्य की कथित तारीख से 10 साल के अन्दर किसी औप-चारिक शिकायत के बजाय अन्य प्रकार से तथ्यों का पता लगे तो वह उस आरोप की जांच उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, जांच कर सकेगा अथवा जांच करवा सकेगा। सामान्यतः मैं गुमनाम आवेदनों के पक्ष में नहीं हूं, पर यह कहना कि गुमनाम आरोपों के आने पर आरम्भिक जांच करना भी उचित नहीं है, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के कदाचार, अन्याय या पक्षपात के बारे में आई जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत को बन्द करने के समान है।

6. राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाने की व्यवस्था खण्ड 19 में की गई है। पर इस खण्ड में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि ये नियम लोकपाल से परामर्श करने के बाद ही बनाये जायेंगे। उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में संविधान में यह व्यवस्था रखी गई है कि ये नियम उच्चतम न्यायालय के परामर्श से बनाये जायेंगे। यदि हमारा अभिप्राय यह है कि लोकपाल की पदस्थिति तथा गरिमा को यथा-सम्भव उच्चतम न्यायालय के बराबर लाया जाये, तो हमें नियमों को बनाने की शक्ति के बारे में वही पद्धति तथा वही व्यवस्था अपनानी पड़ेगी। जब यह संशोधन संयुक्त समिति के समक्ष पेश किया गया था उस समय सरकार की ओर से बताया गया था कि सामान्य रूप से यही पद्धति होगी और इस कारण अधिनियम में यह उल्लेख करने की वस्तुतः कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह तर्क पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाये तो उच्चतम न्यायालय के बारे में संविधान के अनुच्छेद 145 में ऐसा उपबन्ध नहीं होना चाहिए था। यदि लोकपाल विधेयक में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर दिया जाये कि ये नियम लोकपाल के परामर्श से बनाये जायेंगे, तो उसका मैं समर्थन करूंगा। कुछ अत्यावश्यक अथवा आरम्भिक नियम पहले ही बनाये जा सकते हैं पर लोकपाल व्यवस्था की कार्यान्विति की प्रक्रिया तथा ब्यौरे के बारे में नियम लोक-पाल की नियुक्ति के पश्चात् ही बनाये जाने चाहिएं और प्रस्तावित नियमों के बारे में उससे परामर्श लिया जाये।

7. मैं श्री चव्हाण तथा श्री शुक्ल को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विरोधी दलों के साथ सहयोग का रुख अपनाया जिसके फलस्वरूप विरोधी दलों के सदस्यों से आये अनेक संशोधनों को उन्होंने स्वीकार किया। सदस्यों, विशेष रूप से विरोधी दलों के सदस्यों को संयुक्त समिति के सभापति ने जो प्रोत्साहन दिया है यदि वह न दिया गया होता तो यह सम्भव भी न था।

नई दिल्ली; **सी० सी० देसाई**

21 मार्च, 1969।

30 फाल्गुन, 1890 (शक)।

दो

हमारी राय यह है कि खण्ड 2 (ट) के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवक की श्रेणी में संसद सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए और लोकपाल के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए । विधेयक के वर्तमान रूप के अनुसार लोकपाल के क्षेत्राधिकार में मंत्रियों का आचरण भी आता है । संसद सदस्यों को अनेक ऐसे विशेषाधिकार मिले हुए हैं जो सामान्य जनता को प्राप्त नहीं हैं और ऐसी स्थिति में जबकि संसद् सदस्य अनेक सार्वजनिक उत्तरदायित्व निभाते हैं और साधारणतया मंत्रियों तथा सरकार पर प्रभाव डाल सकते हैं, उन्हें विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। कथनी से बेहतर हमेशा यह होता है कि करके दिखाया जाये और यदि संसद् सदस्य भी लोकपाल की जांच के अन्तर्गत अपने आप को ले आयें तो उनकी ओर से यह आदर्श उदाहरण होगा। चूंकि संसद् सदस्य इस कानून को बनाने वाले हैं इसलिए ऐसा करना उनका कर्तव्य है। अतः हमारा विचार है कि इस टिप्पणी के अनुसार विधेयक में संशोधन किया जाना चाहिए । जहां तक संसद् सदस्यों का मामला है लोक सभा के सदस्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी——लोक-सभा का अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सदस्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी——राज्य सभा का सभापति होना चाहिए।

अकबर अली खान
श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
एस० ए० अगड़ी
बाल चन्द्र मेनन
तेन्नेटि विश्वनाथम
ए० डी० मणि
सुन्दर सिंह भंडारी
पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता

नई दिल्ली;
24 मार्च, 1969

10LSS/69—2

तीन

प्रशासन में कार्य-कुशलता तो जरूरी है ही, पर अच्छी सरकार के लिए सत्यनिष्ठा की भी बहुत आवश्यकता है। इसीलिए आज इस बात की आवश्यकता बढ़ती जा रही है कि एक उच्चतम प्राधिकारी बनाया जाये जिसके पास वे व्यक्ति अपील कर सकें जिनके साथ प्रशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप अन्याय हुआ हो या जिन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा हो और उस अन्याय या कठिनाई को अन्य किसी प्रकार से दूर न किया जा सकता हो। एक-दलीय सरकार हो तब तो यह और भी अधिक जरूरी हो जाता है। स्कैंडेनेविया तथा अन्य स्थानों पर निर्दलीय व्यक्ति ओम्बुड्समैन होता है और उसे जांच करने की व्यापक शक्तियां दी जाती हैं और वह सरकारी कागजात देख सकता है। वह बहुत ही ऊंचे दर्जे का अधिकारी होता है और प्रत्येक ऐसे नागरिक की शिकायत पर कार्यवाही करता है जिसे कोई कष्ट पहुंचा हो और वह न्याय की मांग करे। हमारी स्वतंत्र पार्टी अपने विभिन्न सम्मेलनों, बैठकों तथा चुनाव घोषणा पत्रों में मार्च, 1960 से ही इस बात की मांग करती रही है कि ऐसी व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। बहुत पहले ही अक्तूबर, 1966 को प्रशासनिक सुधार आयोग ने जिसके अध्यक्ष वर्तमान उप-प्रधान मंत्री जैसे महान व्यक्ति थे, एकमत से यह सिफारिश की थी कि यह व्यवस्था शीघ्र ही कायम की जानी चाहिए। इसके पश्चात् चुनावों का समय आया और वही दल सत्तारूढ़ हुआ। हमने सोचा था कि सरकार अपने आयोग की एकमत से दी गई इस सिफारिश को स्वीकार करने में अधिक समय नहीं लगायेगी और सार्वजनिक जीवन की कार्य कुशलता तथा सत्यनिष्ठा का उच्च स्तर सुनिश्चित करेगी। यद्यपि एक वर्ष से अधिक समय बीत गया पर सरकार इस मामले पर सोई रही। जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी उसी रूप में मैंने लोकपाल विधेयक पेश करने की सूचना दी। पेश करने के बाद सरकार ने उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश इस कारण से उपलब्ध नहीं होने दी कि उस विधेयक के वित्तीय परिणाम हैं और इस प्रकार विचार नहीं होने दिया। सामान्यत: यह एक औपचारिकता है और उसमें कोई कठिनाई नहीं होती, पर आश्चर्य की बात है कि इस मामले में राष्ट्रपति ने सिफारिश करने से इंकार कर दिया और संसद् में उस विधेयक पर विचार असम्भव बना दिया। परन्तु इस विधेयक के प्रस्तावक ने एक अन्य स्थानापन्न प्रस्ताव पेश करके कि अमुक तारीख तक इस विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये, विचार स्थगित करा दिया और कुछ चर्चा के पश्चात् प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया। सरकारी पक्ष द्वारा घोर विरोध किये जाने पर भी दो मतों के बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इस तरह विरोधी पक्ष की ओर से आये स्थानापन्न प्रस्ताव पर पहली बार सरकार की हार ने संसदीय इतिहास में एक नई परम्परा बन गई।

2. 9 मई, 1968 को उन्नीस मास बीत गये, तब सरकार ने लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 नाम से एक अन्य सरकारी विधेयक पेश किया जो थोड़ा विचार हो जाने के बाद एक संयुक्त समिति को सौंपा गया। संयुक्त समिति ने विचार करने के बाद इस विधेयक को जो रूप दिया है उससे हरेक को निराशा हुई है।

3. प्रधान मंत्री को विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न लाने के कारण इस मूल विधेयक का असर बहुत कम रह गया है। सरकार ने प्रधान मंत्री को शामिल न करने के लिए जो तर्क दिया है वह अधिक युक्तिसंगत तथा मानने योग्य नहीं है। 'सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता' कथन आवश्यकता पड़ने पर राज्याध्यक्ष पर तो लागू हो सकता है पर प्रशासन के अध्यक्ष पर नहीं। हर देश का प्रधान मंत्री चाहे उसका महत्व कुछ भी हो, निर्वाचित व्यक्ति होता है और अपने सभी कामों के लिए जनता के प्रति उत्तर-

दायी होता है। उनके आचरण की लोकपाल द्वारा छानबीन की जानी चाहिए और इस मामले में सक्षम प्राधिकारी भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। प्रधान मंत्री को शामिल न करने से एक विशेषाधिकृत वर्ग उत्पन्न हो जायेगा जो संविधान के विपरीत है। और चूंकि इस विधेयक के राज्य विधानमंडलों के लिये आदर्श विधेयक होने की सम्भावना है अतः इससे मुख्य मंत्री को भी सम्बद्ध विधेयकों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखन का तर्क दिया जा सकेगा। मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप तथा शिकायतें आम बात हो गई है, जैसा कि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं के निर्णयों से सिद्ध होता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ने भी कुछ दिन हुए मैसूर के भूतपूर्व कांग्रेसी मुख्य मंत्री के विरुद्ध ऐसे आरोपों की एक लम्बी सूची तयार की थी। अतः हम इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में प्रधान मंत्री को शामिल करने का जोरदार समर्थन करते हैं।

4. राज्यपालों, उप राज्यपालों और मुख्यायुक्तों द्वारा अपने कार्यपालिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए किये गये कार्यों को भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। कभी-कभी ऐसे संवैधानिक अधिकारी गृह-कार्य मंत्रालय के परामर्श से कार्य करते हैं और आवश्यकता से अधिक कार्य करते हैं जो निर्वाचकों अथवा अल्पसंख्यक सरकारों की स्थापना के विरुद्ध जाता है। चूंकि उनके विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया जा सकता, अतः इन संवैधानिक प्राधिकारियों को किसी लोकप्रिय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और लोकपाल द्वारा उनकी जांच की जानी चाहिए।

5. सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी गतिविधियां इतनी बढ़ा ली हैं—व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा परिवहन आदि में जिसमें जनता के करोड़ों रुपये लगे हुए हैं—कि उनको लोकपाल तथा लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में शामिल न करना अनुचित होगा। कुछ लोगों द्वारा दी गई यह दलील मानने योग्य नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों में उनके कार्य के विरुद्ध हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा आरोपों और शिकायतों से व्यवसाय की वृद्धि में रुकावट आयेगी। दूसरी ओर इससे हितबद्ध व्यक्तियों को लाभ होगा और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हानि होगी।

6. लोकपाल तथा लोकायुक्त की संस्था की जब स्थापना हो जायेगी तो यह तलवार और ढाल दोनों का कार्य करेगी। अवक्षेप करते समय यह मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को मिथ्याभियोग और चरित्र हनन से बचा सकती है। उसके साथ साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि यह संस्था सरकारी कर्मचारियों के मनोधैर्य और विश्वास पर आघात नहीं करती और प्रशासनिक निर्णयों को साहसपूर्वक और शीघ्रतापूर्वक लेने में बाधक नहीं होती। अतः लोकपाल तथा लोकायुक्त ऐसे व्यक्ति होने चाहिएं जो सबसे अधिक ईमानदार हों तथा आदर का पात्र हों और सभी सम्बद्ध व्यक्तियों में विश्वास उत्पन्न कर सकें।

7. राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधिपति और प्रतिपक्षी नेता के, और ऐसे नेता के न होने पर, प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा निर्वाचित किसी व्यक्ति के परामर्श से लोकपाल नियुक्त करने की पद्धति राष्ट्रपति को बाध्य नहीं करती कि वह किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्त करे। उसके कार्यपालिक कार्य के लिए राष्ट्रपति का मार्गदर्शन मंत्रिपरिषद् द्वारा किया जायेगा और ठीक व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है। अतः यह सुझाव अधिक उचित होगा कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति और प्रतिपक्षी नेता के, और यदि कोई नेता न हो, तो प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्वाचित किसी व्यक्ति के परामर्श से लोकपाल नियुक्त करे। अथवा एक उप-समिति नियुक्त की जाये जिसमें प्रधान मंत्री, मुख्य न्यायाधिपति और प्रतिपक्षी नेता और यदि कोई नेता न हो तो प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्वाचित कोई व्यक्ति होगा, जो लोकपाल के चयन के प्रश्न की जांच करेगी और उसकी नियुक्ति के लिये राष्ट्रपति से सिफारिश करेगी।

8. यह अच्छी बात है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त के, वेतन तथा सचिवीय कर्मचारी लगभग वैसे ही हैं जैसे क्रमशः उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति के हैं। परन्तु मुझे

यह समझ नहीं आता कि लोकपाल तथा लोकायुक्त को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न क्यों है। पिछली लोक-सभा में जब न्यायाधीश जांच विधेयक पेश किया गया था तो प्रतिपक्षी सदस्यों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। इसके फलस्वरूप, राष्ट्रपति की जांच का उपबन्ध, जिसमें संसद् की सभा में महाभियोग-प्रस्ताव की व्यवस्तथा की गई थी, संयुक्त-प्रवर समिति में हटा दिया गया था। न्यायाधीश जांच अधिनियम अब हमारे देश का कानून बन गया है। दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता आदि के आधार पर लोकपाल तथा लोकायुक्त को उसके पद से हटाने के लिए भी वैसी ही प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। यह शंका निर्मूल नही कि मंत्रि परिषद् कभी भी राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है कि वह इस अधिकारी को, जो उनकी पसन्द का न हो, हटाने के लिए कार्यवाही करे।

9. विधेयक में यह परिकलपना की गई है कि केन्द्रीय सरकार के किसी भी व्यक्ति अथवा अभिकरण का, उसकी सहमति लिये जाने के पश्चात्, जांच के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकता है। परन्तु इससे द्वैधशासन पैदा हो जायेगा जब स्थायी पदालियों के व्यक्ति विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे और अपने पद के लिए उनके प्रति उत्तरदायी होंगे। अतः उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे उसी प्रकर स्वतन्त्र रूप से निर्णय ले कर कार्यवाही करेंगे जो कि लोकापाल तथा लोकायुक्त के लिए अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए जांच करने के लिए आवश्य है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि लोकपाल अथवा लोकायुक्त जांच के लिए अपने अभिकरण का उपयोग करें जो उसी के प्रति उत्तरदायी हो।

10. लोकपाल जन साधारण की शिकायतों के निवारण हेतु संसदीय तन्त्र का ही एक भाग है। यह अपने वार्षिक तथा विशेष प्रतिवेदन संसद् में चर्चा के सीधे तथा उसके द्वारा ऐसी कार्यवाही करने के लिये जो कि वह उचित समझे, पेश करेगी। प्रारम्भिक सुनवाई के पश्चात् कई मामूली और द्वेषपूर्ण शिकायतों को रद्द करने के पश्चात् भी, हमें निश्चय है कि 50 करोड़ की जन संख्या के इस देश में लोकपाल तथा लोकायुक्त दोनों को कई मामलों में कार्यवाही करनी पड़ेगी। अतः वार्षिक प्रतिवेदन अथवा विशेष प्रतिवेदन जो सभा में पेश किये जाएंगे, इतने बड़े होंगे कि संसद् के लिये यह सम्भव नहीं होगा कि वह उन पर पूरी तरह विचार करे, चूंकि पिछले अनुभव से हमें पता है कि वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जैसे भारतीय लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन पर, जो सांविधिक प्रतिवेदन हैं, दो-तीन वर्षों में एक ही बार चर्चा करने का अवसर मिलता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि संसद् की दोनों सभाओं की एक स्थायी समिति नियुक्त की जाए जिसका नाम याचिकाओं तथा लोक शिकायतों सम्बन्धी संयुक्त समिति हो और इसको लोकपाल तथा लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशों की, जैसी कि उनके वार्षिक तथा विशेष प्रतिवेदनों में दी गई है, क्रियान्विति सुनिश्चित करने तथा इन मामलों में जहां सरकार ने उन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया, सरकार के स्पष्टीकरणों की जांच करने का कार्य सौंपा जाएगा। (लोकपाल तथा याचिकाओं और लोक शिकायतों सम्बन्धी प्रस्तावित समिति के बीच सम्बन्ध वैसा ही होगा जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक तथा लोक लेखा समिति के बीच है)।

11. प्रस्तावित संस्था की सफलता और कहां तक यह जनता में विश्वास उत्पन्न कर सकती है, अधिकतर लोकपाल तथा लोकायुक्त की क्षमता, योग्यता तथा व्यक्तित्व पर निर्भर होगी। वास्तव में इस संस्था का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा।

हिज हाईनेस महाराजा प्रताप केसरी देव

नई दिल्ली;

21 मार्च, 1969

30 फाल्गुन, 1890 (शक)

चार

शासन तंत्र में भ्रष्टाचार तथा सत्ता का दुरुपयोग अत्यधिक जोर पकड़ रहा है। वे हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक ढांचे के अभिन्न अंग बन गये हैं। इस बुराई को दूर करने के लिये हमारे सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की अविलम्ब आवश्यकता है।

2. तथापि, वर्तमान ढांचे में लोकपाल तथा लोकायुक्तों की प्रस्तावित संस्था वहां तक ही उपयोगी होगी जहां तक यह भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरुपयोग से उत्पन्न जनता की शिकायतों तथा आरोपों का निवारण करेगी।

3. सभी जानते हैं कि जातिवाद और साम्प्रदायिकता ने हमारे राजनीतिक जीवन पर बहुत बुरा असर डाला है। उससे हमारे देश के लौकिक स्वरूप के नष्ट होने का खतरा है। भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा कुप्रशासन के कई मामले जाति तथा साम्प्रदायिक विचारों के कारण उत्पन्न होते हैं। हमें खेद है कि संयुक्त समिति ने यह स्वीकार करना वांछनीय नहीं समझा कि जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता भी शिकायत का विषय हो जिसकी जांच लोकपाल तथा लोकायुक्त द्वारा की जाये।

4. इस संस्था का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त कौन और किस प्रकार नियुक्त किये जाते हैं। प्रस्तावित संस्था केवल तभी सफल हो सकती है यदि लोकपाल तथा लोकायुक्त बहुत ईमानदार, बिल्कुल निष्पक्ष तथा बहुत ही चरित्रवान हों। इसके साथ-साथ वे ऐसे व्यक्ति होने चाहिएं जो हमारी जनता के विभिन्न वर्गों में अधिकाधिक विश्वास उत्पन्न कर सकें। यदि यह सुनिश्चित न हुआ तो हमें आशंका है कि प्रस्तावित संस्था का पक्षपोशी प्रयोजनों के लिये दुरुपयोग हो सकता है जैसा कि राज्यपाल की संस्था का हमारा कटु अनुभव है। इसे सुनिश्चित करने के लिये लोकपाल भारत के मुख्य न्यायाधिपति और संसद् में दोनों सभाओं में मान्यताप्राप्त सभी विरोधी दलों के नेताओं के परामर्श से नियुक्त किया जाना चाहिए।

5. कुप्रशासन और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत सरकारी अधिकारियों तथा बड़े व्यापारियों के बीच बढ़ता हुआ आर्थिक सम्बन्ध है। अक्सर उच्च सरकारी अधिकारी सेवानिवृत्ति के पश्चात् बड़े व्यापार संगठनों की नौकरी स्वीकार कर लेते हैं। बड़े व्यापार संगठन बदले में उनकी सहायता करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् लोकपाल तथा लोकायुक्तों को किसी बड़े व्यवसायी संगठन की नौकरी स्वीकार न करने दी जाये। सरकारी नौकरी से उन्हें वंचित रखना ही पर्याप्त नहीं है।

योगेन्द्र शर्मा

बालचन्द्र मेनन

नई दिल्ली;

21 मार्च, 1969

30 फाल्गुन, 1890 (शक)

पांच

यद्यपि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक मूल प्रारूप से बेहतर है फिर भी हमें खेद है कि हम इसका समर्थन नहीं कर सकते चूंकि इसमें अभी तक एक मूलभूत कमी है। हमें आशा है कि संसद् इसको दूर करेगी ।

प्रस्तावित कानून का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है, और विशिष्ट रूप से "सभी संघीय सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों सहित, के कार्यों पर आधारित शिकायतों की जांच करने के लिये कानूनी मशीनरी की व्यवस्था करना"। विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन में जब इसका प्रयोजन इस प्रकार परिभाषित है तो हमें समझ में नहीं आता कि प्रधान मंत्री को विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर क्यों रखा गया है। जब इस पर हम आपत्ति करते हैं तो हमारा संकेत उस व्यक्ति की ओर नहीं है जो प्रधान मंत्री है अथवा था, बल्कि हमारा ध्यान केवल प्रधान मंत्री के पद की ओर है, जिसको लगभग सभी संसदीय लोकतंत्रों में, इतने अधिक अधिकार दिये गये हैं कि इस एक स्थान पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की इतनी संभावना है जो राजनीतिक ढांचे के सभी अन्य पदों पर कुप्रशासन के कुल जोड़ के बराबर है। अतः प्रधान मंत्री को छूट देने में कोई औचित्य नहीं है जबकि हम उसके मंत्रिमन्डल के अन्य सहयोगियों को यह छूट देना नहीं चाहते ।

इस सन्दर्भ में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक और बात है । केन्द्रीय सरकार के लोक सेवकों के बारे में हम संसद् में जो कानून बना रहे हैं, वह सभी राज्यों के लिये आदर्श रहेगा। अतः यदि हम प्रधान मंत्री को इस कानून के क्षेत्राधिकार से बाहर रखते हैं तो हम एक नहीं बल्कि लगभग 16 पदाधिकारियों (हमारे प्रधान मंत्री तथा पन्द्रह मुख्य मंत्री) को इसमें अथवा ऐसे अन्य राज्य कानूनों में उपबन्धित स्वस्थ नियंत्रण तथा अंकुश से बाहर रखेंगे। और यदि हम स्मरण करें कि पिछले बीस वर्षों में कम से कम चार मुख्य मंत्री, सर्वश्री कैरों, पटनायक, बख्शी और के० बी० सहाय भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए थे और वे इतने गम्भीर थे कि जांच आयोग बैठाने पड़े, तो संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में जो कमी है उसकी गम्भीरता स्पष्ट हो जाती है।

हमारा यह भी विचार है कि लोकपाल तथा लोकायुक्तों की नियुक्ति के बारे में मुख्य न्यायाधिपतियों का परामर्श बन्धनकारी होना चाहिए। अतः खण्ड 3 में इस प्रकार रूपभेद किया जाना चाहिए कि उसमें प्रतिपक्ष के नेता के साथ "परामर्श" (जैसा कि इस समय है) परन्तु मुख्य न्यायाधिपति के साथ "सलाह" का उपबन्ध किया जाय। इस संदर्भ में हमारा यह भी विचार है कि इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं कि यदि कोई प्रतिपक्षी दलों का नेता न हो तो प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाये। यदि कोई मान्यताप्राप्त प्रतिपक्षी दल का नेता न हो तो इस कार्य को सबसे बड़े मान्यता प्राप्त प्रतिपक्षी दल के नेता को सौंपा जाये।

कंवर लाल गुप्त
नारायण स्वरूप शर्मा
सुन्दर सिंह भंडारी

नई दिल्ली;
24 मार्च, 1969

3 चैत्र, 1891 (शक)

छः

विधेयक के खण्ड 3(क) के अन्तर्गत लोकपाल के चयन के सम्बन्ध में सरकार राज्य-सभा में प्रतिपक्षी दल के सदस्यों के साथ परामर्श नहीं करेगी। उनको इस तर्क पर शामिल नहीं किया जा रहा कि संविधान के अन्तर्गत भारत सकरार केवल लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है, परन्तु यह तर्क निराधार है। विधेयक के खण्ड 7 के अन्तर्गत, लोकपाल किसी लोक सेवक द्वारा दुरुपयोग, मंत्रियों तथा अन्य लोक सेवकों द्वारा कुप्रशासन अथवा सरकारी पद के दुरुपयोग की जांच करेगा। इस विषय से राज्य सभा का उतना ही सम्बन्ध है जितना कि लोक-सभा का और शायद यह स्मरण होगा कि कुप्रशासन की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने में राज्य-सभा लोक-सभा के बरार ही कार्य करती रही है। यहां यह बताना गलत नहीं होगा कि कुप्रशासन के कुछ मुख्य रहस्योद्घाटन, अर्थात कैरों का मामला, बिजू पटनायक का मामला, जयन्ती शिपिंग और बिड़ला का मामला, राज्य-सभा में ही उठाया गया था। कुप्रशासन और संवैधानिक सिद्धान्त कि सरकार लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है बिल्कुल भिन्न हैं और दोनों को एक समान नहीं समझा जाना चाहिए। राज्य-सभा के सदस्यों के इस प्रकार शामिल न किये जाने के हम बिलकुल विरुद्ध हैं और हमारी राय है कि न्याय की दृष्टि से और दोनों सभाओं के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिये प्रतिपक्ष के नेता दोनों सभाओं के प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा, ऐसी रीति से जो कि राज्य-सभा के सभापति तथा लोक-सभा के अध्यक्ष परामर्श द्वारा निर्दिष्ट करेंगे, संयुक्त रूप से चुना जाय।

हमें आशा है कि इससे पहले कि विधेयक कानून बने, सरकार राज्य-सभा और लोक-सभा में प्रतिपक्ष के सदस्यों और नेताओं से परामर्श करेगी और इस विषय में एक सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचेगी और विधेयक में वे संशोधन करेगी जिनका उल्लेख हमने इस टिप्पणी में किया है।

नई दिल्ली;

24 मार्च, 1969

3 चैत्र, 1891 (शक)

ए० डी० मणि

अकबर अली खान

पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता

श्याम सुन्दर नारायण तन्खा

सात

पैरा 23(चार) में समिति ने सिफारिश की है :

"समिति ने सिफारिश की कि सरकार संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से लोकपाल/लोकायुक्तों के विचाराधीन विषयों को निकालने के लिये उपयोक्त विनियम बनाये। फिर भी समिति का विचार है कि उप-खण्ड (5) के परन्तुक को रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अत: परन्तुक को तदनुसार हटा दिया गया है।"

मैं समिति का आदर करता हूं परन्तु मैं इस सिफारिश के अर्थात् इस विधेयक के खण्ड 12 के उप-खण्ड (5) के परन्तुक के हटाये जाने के पक्ष में नहीं हूं। इससे पहले कि मैं असहमति के कारण बताऊं, मेरे लिये यह बताना आवश्यक है कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के बारे में सरकारी अधिकारियों के वर्तमान परित्राण क्या हैं चूंकि जब तक उस स्थिति की ठीक ढंग से व्याख्या नहीं की जाती, सेवा की शर्तों में गम्भीर परिवर्तनों को, जिन्हें सिफारिश की क्रियान्विति में करने का विचार है, गलत ढंग से लिया जा सकता है।

सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

जब कभी सरकार किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना आवश्यक समझती है, तो अधिकारी के विरुद्ध मुख्य आरोपों का एक विवरण तैयार किया जाता है और सम्बद्ध अधिकारी को भेजा जाता है। विवरण के भेजे जाने के पश्चात् अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का उसके द्वारा दिये गये उत्तर पर विचार करने के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांच अधिकारी दोनों पक्षों की गवाही लेता है और गवाही लेने के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार करता है।

यह सब होने पर जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनीय प्राधिकारी को यह निर्णय करना पड़ता है कि क्या उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी है। यदि रिपोर्ट उस अधिकारी के विरुद्ध हो और अनुशासनीय अधिकारी की राय में उसके विरुद्ध कार्यवाही करना जरूरी हो तो सरकार को सम्बन्धित अधिकारी के पास यह सूचना देनी पड़ती है कि कारण बताओ नोटिस में बताया गया कोई दण्ड उसे क्यों न दिया जाये। उससे उत्तर मिलने पर, आरोप-पत्र तैयार करने से लेकर दोषी अधिकारी का उत्तर प्राप्त होने तक का सारा रिकार्ड संघ लोक सेवा आयोग को परामर्श हेतु भेजा जाता है।

यही वह स्थिति है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रक्रिया का मैंने ऊपर उल्लेख किया है वह उस अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में है जिसके मामले में अनुशासनीय प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी भारत का राष्ट्रपति होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह प्रक्रिया उन मामलों पर भी लागू होती है जिनमें बड़ा दण्ड दिया जाना हो। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को विनियमित करने वाले नियम तथा आदेश निम्नलिखित हैं :—

1. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965
2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958

3. अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियम, 1965
4. दिनांक 20-8-1949 का गृह-कार्य मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/48/48-एस्ट्स का परिशिष्ट 2.
5. दिनांक 4-8-1964 का गृह-कार्य मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 18/9/63-एस्ट्स (बी)।

पर किसी मामले में यदि हल्का दण्ड देने का फैसला किया जाये तो सरकार को कोई जांच अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में भी यह बात राष्ट्रपति पर, जोकि अनुशासनीय प्राधिकारी हैं, निर्भर करती है कि वह उस मामले को संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजे। जांच करने वाला जांच अधिकारी कोई विभागीय अधिकारी अथवा किसी उच्च-न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है जोकि अपराध की गम्भीरता पर और उस अधिकारी की वरिष्ठता पर निर्भर करता है जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। जहां तक संघ लोक सेवा आयोग का सम्बन्ध है इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि जांच अधिकारी—विभागीय अधिकारी है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। सभी मामलों में कार्यवाही वृतांत को संघ लोक सेवा आयोग के पास परामर्श हेतु भेजना पड़ता है जब तक कि उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत न करना आवश्यक न हो। विधेयक में प्रस्तुत लोकपाल तथा लोकायुक्त की मूल अवधारणा के अनुसार लोकपाल तथा लोकायुक्त को आरोपों, तकलीफों तथा शक्ति के दुरुपयोग की जांच करने के प्राधिकार संसद् से मिलेंगे। उनके द्वारा की जाने वाली जांच के लिए विधि-न्यायालयों की न्याय परीक्षा की सूक्ष्म विवेचना की आवश्कता नहीं होगी। लोकपाल या लोकायुक्त अपना निष्कर्ष तब देंगे जब वे साक्ष्य का मूल्यांकन कर लेंगे और अभियुक्त पक्ष को अपने मामले के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान कर देंगे। लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उन अर्थों में न्यायिक आदेश नहीं समझा जायेगा जिनमें किसी विधि न्यायालय का कोई निर्णय समझा जायेगा। जहां तक वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है, प्रत्येक सरकारी अधिकारी की सेवा शर्तों को एक विशद प्रक्रिया द्वारा, जिसे लोकपाल या लोकायुक्त पालन करे या न करे, संरक्षित किया गया है। ऐसे सरकारी अधिकारी के लिए, जिसे विशद प्रक्रिया के लाभ से वंचित किया गया हो, यह किस तरह आवश्यक है कि वह लोकपाल या लोकायुक्त की प्रतिकूल रिपोर्ट को उस विषय पर अन्तिम शब्द मान ले। संभव है कि न्यायाधीशों से त्रुटि हो गई हो, इसीलिए वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत जांच अधिकारी के निष्कर्षों को भी अन्तिम नहीं समझा जाता और ऐसे मामले निर्णय के लिए संघ लोक सेवा आयोग को सुपुर्द किये जाते हैं।

ह एकदम जरूरी नहीं है कि लोकपाल या लोकायुक्त न्यायिक कार्य की अर्हता रखने वाला व्यक्ति ही हो और इस तथ्य को देखते हुए यह आशा करना उचित नहीं है कि दु:खित पक्ष लोकपाल या लोकायुक्त के निष्कर्षों को उस विषय पर अन्तिम शब्दों के रूप में स्वीकार कर ले। जहां तक मेरा विचार है, लोकपाल या लोकायुक्त के निर्णय को उच्चत्तम न्यायालय जिसके निष्कर्षों को संविधान के अन्तर्गत देशव्यापी विधि समझा जाता है के निर्णय के समकक्ष रखना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि मैंने लोकपाल या लोकायुक्त को कम मान्यता दी है वरन् यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ओम्बुड्समैन की स्थापना की जा रही है। हमें न तो मालूम है और न पुर्वानुमान लगा सकते हैं कि इन संस्थाओं का कैसे विकास होगा और उनके क्षेत्र में कैसी परम्पराएं जन्म लेंगी। जबकि हम एक नई अवधारणा को प्रयोग के रूप में क्रियान्वित करने जा रहे हैंतो ऐसे अवसर पर यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा-शर्तों की सुरक्षा के लिए जो संरक्षण विद्यमान है उसके शिथिल पड़ने से पहले ही अधिकतम सावधानी बरती जाये। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना संविधान के अन्तर्गत हुई है, इसलिए लोकपाल या लोकायुक्त की स्थापित नई संस्थाओं को

शक्तिशाली बनाने के लिये ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए कि उससे इस आयोग की स्थिति जोकि सरकारी कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, कमजोर पड़ जाये।

यदि समिति की सिफारिश मान ली गई तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी, जिसमें सरकार लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने पर संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत ही कोई कार्यवाही कर सकेगी। लोकपाल या लोकायुक्त संघ लोक सेवा आयोग का स्थान ले लेंगे और यह एक ऐसा स्थिति परिवर्तन है कि जिससे हमें बचना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत यदि सरकार कोई कार्यवाही करती है तो उसे किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लोकपाल या लोकायुक्त संस्थाओं को विवाद-मुक्त रखने के लिए ऐसी सभी सम्भाव्य घटनाओं से बचाया जाना चाहिए।

संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास में ऐसे मामले होते रहे हैं जिनमें कि संघ लोक सेवा आयोग ने उच्च न्यायालय के अथवा उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीशों के कुछ जांच-निष्कर्षों से सहमति व्यक्त नहीं की है। उदाहरण के लिए मूंदड़ा जांच के फलस्वरूप उठा श्री एच० एम० पटेल का मामला लिया जा सकता है। यह जोर देना ठीक ही है कि जांच-न्यायालयों को सामान्य विधि-न्यायालयों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता वरन् वे तो जांच न्यायालयों के रूप में ही रहेंगे।

मैं अनुभव करता हूं कि समिति की इस सिफारिश में प्रयत्न यह किया जा रहा है कि सरकारी अधिकारियों की सेवा शर्तों के लिए जो उपयुक्त तथा वांछनीय सुरक्षा रखी गई उसे समाप्त कर दिया जाये। विधेयक के खण्ड 12 के उप-खण्ड (5) का परन्तुक इस प्रकार है "परन्तु संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की गई किसी कार्यवाही के बारे में ऐसी कोई विशेष रिपोर्ट नहीं दी जायेगी।" मेरी राय में इसे विधेयक में फिर से जोड़ जिया जाना चाहिए।

ए० डी० मणि

नई दिल्ली;

24 मार्च, 1969
---
3 चैत्र, 1891 (शक)

आठ

मैंने समिति का प्रतिवेदन पढ़ तो लिया है पर मैं यह विमति टिप्पणी संलग्न कर रहा हूं।

चूंकि अधिकारियों द्वारा की गई भूलों या अपराधों के फलस्वरूप नागरिकों को पहुंचे कष्ट को दूर करने के लिये संसदीय तथा अन्य तरीके द्रुत तथा पूरी तरह पर्याप्त सिद्ध नहीं हैं इसलिये नागरिकों के कष्टों को दूर करने के उद्देश्य से स्कैंडेनेवियाई देशों में स्थापित ओम्बुड्समैन जैसी संस्था बनाने के लिए आम जनता की तथा संसद् की मांग पर यह विधेयक संसद् में प्रस्तुत किया गया है।

प्रशासनिक कार्यवाही (विधेयक में 'कुप्रशासन' नाम दिया गया है) के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतें ही नहीं वरन् भ्रष्टाचार के आरोप भी (विधेयक में 'अभिकथन' नाम की परिभाषा दी गई है) इस विधेयक के दायरे में लिये गये हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों पर तो सतर्कता आयुक्त पहले ही निगाह रखते हैं, इसलिए मेरे विचार से 'आरोपों' को लोकपाल और लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इसे नये पदाधिकारियों के कन्धों पर शिकायतों और आरोपों की जांच का भार रखते समय आरोपों को प्राथमिकता दी गई तो ये पदाधिकारी अधिकतर होने वाली कुप्रशासनिक कार्यवाहियों के विरुद्ध आई शिकायतों की ओर शीघ्र ध्यान देने में तथा उन्हें कारगर ढंग से दूर करने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। कुप्रशासन के विरुद्ध आरोपों तथा शिकायतों के लिए जरूरी है कि इनके बारे में जांच करने के लिये विधेयक में जो इन पदाधिकारियों (लोकपाल तथा लोकायुक्त) का उपबन्ध किया गया है, वे दोनों के लिए अलग-अलग नियुक्त किये जाने चाहिए।

चूंकि लोकपाल पर यह महत्वपूर्ण भार डाला गया है इसलिए भी यह जरूरी है कि दोनों पदाधिकारियों की ये दो जोड़ियां अलग-अलग नियुक्त की जायें। चूंकि वह मंत्रियों पर लगाये गये आरोपों तथा उनके बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच करेगा इसलिये सचिवों तथा अधिकारियों के अतिरिक्त मंत्रियों के कार्यों की जांच को लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रखने के लिये लोकपाल नियुक्त किया जायेगा। यदि मंत्रियों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से अलग रखा गया तो एक सचिव तथा नीचे के अन्य अधिकारियों के कामों की जांच के लिए एक ही अधिकारी पर्याप्त होगा।

मंत्रियों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में लाने के बारे में मुझे निम्नलिखित कारणों से आपत्ति है :—

1. इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्री लोक-सेवक हैं पर वह राजनीतिक लोक-सेवक होता है।
2. चुकि वह राजनीतिक लोक सेवक होता है इसलिए उस पर राजनीतिक निरोध तथा नियंत्रण, उसकी उसके अपने निर्वाचन क्षेत्र, विधान मंडल, प्रधान मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् के निरोध तथा नियंत्रण होते हैं।
3. चूंकि वह राजनीतिक लोक सेवक होता है इसलिये उसके लिए राजनीतिक दण्ड दिया जा सकता है—मंत्रिमंडल द्वारा उसमें अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है, प्रधान मंत्री द्वारा उसे हटाया जा सकता है, उसकी पदावधि की समाप्ति पर यदि उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोग सजग हैं और उसका त्यागपत्र मांगने के लिए पूरी तरह संगठित हैं तो उसकी पदावधि में ही उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोग उसे हटा सकते हैं।

4 यदि मंत्री लोकपाल के क्षेत्राधिकार के प्रति उत्तरदायी होंगे तो मंत्रियों के कार्य के ये निर्णायक विशेष रूप से प्रधान मंत्री, सुस्त तथा निष्क्रय पड़ जायेंगे और निरोध, नियंत्रण, निन्द तथा दण्ड देने के अपने कर्त्तव्य नहीं निभायेंगे, क्योंकि वे नागरिकों से आरोपों की तथा लोकपाल से जांच और रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते रहेंगे और प्रधान मंत्री चुप होकर बैठे रहेंगे तथा कार्यवाही करने के लिये दूसरों की प्रतीक्षा करेंगे। मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही उसी समय आरम्भ होगी जबकि भ्रष्टाचार या कुप्रशासन के आरोप लोकपाल की निगाह में लाये जायेंगे।

यदि मंत्रियों द्वारा अक्षमता दिखाने के छोटे-छोटे मामले कई बार सामने आये तो प्रधान मंत्री उसका त्यागपत्र मांगना या उसे पदमुक्त करना चाहेगा। लोकपाल कुप्रशासन या भ्रष्टाचार के केवल गम्भीर मामलों की ओर ही ध्यान देगा, जबकि किसी मंत्रि से जिस ऊंचे आचरण की आशा की जाती है उसमें बहुत कमी और उसकी बदनामी होने पर प्रधान मंत्री को उस ओर ध्यान देना चाहिये। इस बात की प्रतीक्षा करते रहने से कि लोकपाल मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही करे, प्रधान मंत्री पर जिम्मेदारी घट जायेगी। इसी प्रकार अपना निर्णय देने और अपराधी अधिकारी को दण्ड देने की संसद् की जिम्मेदारी भी घट जायेगी। मंत्रियों के उच्च पद के प्रति सम्मान कम हो जायेगा और वह सरकारी कर्मचारी के स्तर के व्यक्ति हो जायेंगे। प्रधान मंत्री को ऐसी कार्यवाही करनी होगी जो संक्षिप्त हो, प्रभावशाली हो और उपयुक्त समय पर हो। यह कहना कि हमारे देश में प्रधान मंत्री ने शीघ्रता के साथ तथा प्रभावी कार्यवाही करके नहीं दिखाई है, मेरे सुझाव के विरुद्ध ठीक तर्क नहीं है। हमें आशा है कि भारत के प्रधान मंत्री अपनी जिम्मेदारियां बढ़ायेंगे। इंगलैंड के प्रधान मंत्रियों ने डाल्टन, थोमस तथा प्रोफ्यूमो जैसे मंत्रियों के मामले में एक ही अशोभनीय काम करने पर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और इस प्रकार वे शीघ्रता के साथ तथा प्रभावी कार्यवाही करके दिखा चुके हैं।

यदि मंत्रियों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं लिया गया तो लोकपाल जैसा एक ही अधिकारी पर्याप्त होगा और वह सचिव तथा निचले दर्जे के स्थायी लोक सेवकों के कुप्रशासन के बारे में प्राप्त शिकायतों को निपटा सकेगा। यदि भ्रष्टाचार के आरोपों का काम सतर्कता आयोग पर छोड़ दिया गया तो इस बात को और भी अधिक बल मिलेगा कि कुप्रशासन के बारे में नागरिकों की शिकायतों को एक ही अधिकारी निपटाये। इस तरह लोकायुक्त जैसे अन्य अधिकारी की कोई आवश्यकता न होगी।

मेरा सुझाव मेरी इस दृढ़ धारणा पर आधारित है कि देश की सब से बड़ी प्रशासनिक आवश्यकता एक ऐसे लोक-अधिकारी की है जोकि नागरिकों की उन शिकायतों को दूर कर सके जो बहुत बार ऐसे व्यक्ति की भूल तथा अपराध के फलस्वरूप होती हैं जिसे 'सब से कम प्राधिकार' मिला होता है।

भ्राष्टाचार के आरोपों को निपटाने का काम सतर्कता आयुक्तों पर छोड़ा जा सकता था जिन्हें कि पहले ही पांच साल से अधिक का अनुभव हो और जो इस प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में पहले से ही एक तकनीक विकसित कर चुके हों। केवल खर्च में बचत ही नहीं वरन् काम में भी बचत होगी और इसीलिए सचिव से निचले अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों की जांच करने का काम केवल लोकपाल तक सीमित रख कर ही शिकायतों को कारगर ढंग से दूर किया जा सकेगा। इस उद्देश्य से लोकपाल को केवल स्थानीय अधीनस्थ अधिकारियों की ही आवश्यकता है, न कि लोकायुक्तों की जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक में उपबन्ध किया गया है।

एम० रत्नस्वामि

नई दिल्ली;

24 मार्च, 1969

3 चैत्र, 1891 (शक)

नौ

इस बात को सभी जानते हैं कि जब कभी किसी जांच की मांग चाहे संसद् में या किसी राज्य विधान मंडल में या उनसे बाहर की जाती है तो मांग हमेशा यही होती है कि देश के उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की जानी चाहिये। इस बात को ध्यान में रखकर और लोकपाल की संस्था में जनता का अधिकतम विश्वास पैदा करने के लिए, मेरी निश्चित राय यही है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत लोकपाल की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों में से अथवा सत्यनिष्ठ तथा अनुभवी एवं प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं में से की जाये और लोकायुक्त की नियुक्ति उच्च न्यायालयों के सेवारत या सेवा-निवृत्त और सत्यनिष्ठ तथा गहन ज्ञान रखने वाले विधिवेत्ताओं में से की जाये जोकि प्रस्तुत समस्याओं के लिए न्याय तथा विधि सम्बन्धी अपने व्यापक अनुभव का प्रयोग करेंगे और सभी मामलों पर निष्पक्षता के साथ तथा न्यायिक दृष्टिकोण के साथ विचार करेंगे। इस बात को ध्यान में रख कर मैंने संयुक्त समिति को यह भी सुझाव दिया था कि लोकपाल तथा लोकायुक्त की सेवानिवृत्ति की उम्र की सीमा 70 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिये क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश केवल 65 वर्ष की उम्र पर सेवानिवृत्त होते हैं और उन्हें लोकपाल के रूप में कार्य करने के लिये 5 वर्ष का समय और दिया जाये तो अपने पद से सेवा-निवृत्त होने की उनकी उम्र निश्चय ही 70 वर्ष होनी चाहिए, परन्तु मुझे खेद है कि संयुक्त समिति इन सभी सुझावों से सहमत नहीं हुई जिसका स्पष्ट अर्थ यही है कि इन पदों पर नियुक्त होने का उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों का रास्ता रुक गया है जोकि मेरे विचार से अत्यन्त खेद की बात है। इस योजना की आरम्भिक स्थिति में कम से कम कुछ वर्षों तक तो ऐसी नियुक्तियां ऐसे व्यक्तियों में से की जानी चाहियें जो कि इस संस्था की प्रतिष्ठा को जनता की आंखों में ऊंचा उठायें।

2. समिति को मेरा दूसरा सुझाव लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के तरीके के बारे में है। विधेयक में व्यवस्था की गई है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता के परामर्श से की जायगी। मेरी इच्छा थी कि जब प्रतिपक्ष के नेता से परामर्श किया जाना है तो बेहतर है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के नेता अर्थात् प्रधानमंत्री से भी परामर्श लिया जाय। समिति ने यह सुझाव शायद इस कारण स्वीकार नहीं किया कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का वास्तविक अर्थ ही प्रधानमंत्री द्वारा की गई नियुक्ति है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह नहीं भूलना चाहिये कि राष्ट्रपति को दी गई सलाह केवल प्रधानमंत्री की सलाह ही नहीं होती वरन् मंत्रिमंडल की सामूहिक सलाह होती है जिसके कारण इन दोनों में काफी अधिक अन्तर हो जाता है।

3. लोक सभा में पेश किये गये रूप में विधेयक के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि लोकपाल की कार्यावधि 5 वर्ष होगी—पर अगले पांच वर्षों के लिए उसकी पुनः नियुक्ति की जा सकेगी। लेकिन समिति ने लोकपाल को दूसरी बार नियुक्त करने का समर्थन नहीं किया। अतः मेरा सुझाव है कि लोकपाल की आरम्भिक कार्यावधि 5 वर्ष के बजाय 6 या 7 वर्ष की निश्चित की जानी चाहिए ताकि उसके अनुभव का अधिकतम समय तक लाभ उठाया जा सके। परन्तु समिति ने इसे भी स्वीकार नहीं किया।

4. मेरी तथा समिति के अन्य अनेक सदस्यों की यह राय थी कि लोकपाल की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति के साथ परामर्श के लिए प्रतिपक्ष का नेता ऐसा होना चाहिए जिसे इस उद्देश्य के लिए संसद् की दोनों सभाओं के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चुना जाय। यह सुझाव इसलिए दिया गया था कि लोक सभा तथा राज्य सभा दोनों में ही प्रति पक्ष के सदस्यों को यह संतुष्टि हो कि इस महत्वपूर्ण पद पर व्यक्ति का चुनाव करने के काम में संसद् की दोनों सभाओं के प्रतिपक्षों के सदस्यों को सहयोगित किया गया है, परन्तु यह युक्ति-युक्त सुझाव भी प्रवर समिति ने स्वीकार नहीं किया।

6. संयुक्त समिति में हम में से अधिकांश सदस्यों की फिर इच्छा यही थी कि संसद सदस्यों को भी लोकपाल को उन में से किसी के बारे में कोई शिकायत मिलने पर लोकपाल द्वारा की जाने वाली पड़ताल के अन्तर्गत रखा जाये। इस सुझाव का प्रभाव यह होता कि इस अधिनियम के लिए संसद सदस्यों को विधेयक के खण्ड 2(ट) के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाता और उनके मामले में सक्षम प्राधिकारी उस सभा का पीठासीन अधिकारी होता जिसका वह सदस्य है अर्थात् राज्य सभा के सदस्यों के मामले में राज्य सभा का सभापति और लोक सभा के सदस्यों के मामले में लोक सभा का अध्यक्ष। इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि जब प्रधान मंत्री को छोड़कर अन्य मंत्रियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा रहा था तो यह समझ में नहीं आता कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार में संसद सदस्यों के कामों को क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह प्रस्ताव भी संयुक्त समिति ने स्वीकार नहीं किया। अतः मेरा अनुरोध है कि उन्हें भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लोक सेवक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं संसद की दोनों सभाओं के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे संयुक्त समिति द्वारा सिफारिश किये गये रूप में इस विधेयक पर विचार करते समय तथा उसका अनुमोदन करते समय मेरे उपरोक्त सुझावों पर भी ध्यान दें।

श्याम सुन्दर नारायण तन्खा

नई दिल्ली;

24 मार्च, 1969

3 चैत्र, 1891 (शक)

दस

1. लोकपाल तथा लोकायुक्त को न केवल केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के, बल्कि राज्य सरकारों के मंत्रियों तथा लोक सेवकों के, जो भी हो, सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए जिससे ऐसी संस्थाओं को सम्पूर्ण देश तथा केन्द्रीय, संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य स्तर पर सरकारों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का समान अधिकार हो ।

2. राज्यों के राज्यपाल, उप-राज्यपाल तथा मुख्यायुक्त लोक सेवकों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं अतः उन्हें लोकपाल की संस्था के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये जिसे ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों तथा आरोपों पर भी कार्यवाही करनी चाहिए ।

3. 'असम्यक हानि या कठिनाई' अथवा 'अनुचित हेतु' के रूप में 'अभिकथन' की जो परिभाषा दी गई है उसे अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए था ।

4. प्रतिपक्ष के नेता का अथवा उनके प्रतिनिधि का चुनाव लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिये ।

5. लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति के समय आयु साठ वर्ष से अधिक अथवा चालीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।

6. क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधिपति देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं, अतः लोकपाल को देय वेतन, पेंशन तथा भत्ते के बारे में उनका कोई हवाला नहीं दिया जाना चाहिए, और इसके बजाय केवल राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए और मुख्य न्यायाधिपति के वेतन, पेंशन तथा भत्ते से कम होना चाहिये ।

7. किसी विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ वाणिज्यिक तथा औद्योगिक सौदों सम्बन्धी शिकायतों को लोकपाल की संस्था के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं रखा जाना चाहिये ।

8. सिवाये उन मामलों के जहां देश की सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा को खतरा हो, लोकपाल को, यदि वह चाहे तो, किसी विदेश के साथ भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार होना चाहिये । परन्तु प्रतिरक्षा सामग्री के बारे में किसी और देश के साथ किये गये सौदों के विषय में जानकारी मांगने के अधिकार से लोकपाल को वंचित नहीं किया जाना चाहिए ।

9. राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन दो महीने के अन्दर संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए ।

10. इस तर्क पर कि यह 'लोक हित के प्रतिकूल होगा' लोकपाल अथवा लोकायुक्त से कोई दस्तावेज छिपाया नहीं जाना चाहिए ।

11. विधेयक की धारा 18, जो 'लोक सेवकों के कतिपय वर्गों के विरुद्ध शिकायतों को अपवर्जित करने के अधिकारों' के बारे में है, अनावश्यक है, चूंकि लोकपाल तथा लोकायुक्त को किसी आरोप अथवा शिकायत को, यदि उसके लिये प्रत्यक्षतः कोई औचित्य नहीं है, अस्वीकार करने के लिये पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं ।

12. साधारणतया लोकपाल अथवा लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली जांच खुले आम नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि वह ऐसा करना आवश्यक न समझता हो। तथापि, जांच पूरी हो जाने पर प्रतिवेदन का सारांश जनता को उपलब्ध होना चाहिए और जनता को नियत शर्तों पर ऐसी जांच सम्बन्धी दस्तावेजों को देखने की सुविधा होनी चाहिये।

समर गुह

नई दिल्ली;

25 मार्च, 1969

4 चैत्र, 1891 (शक)

[लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 का हिन्दी अनुवाद]

1968 का विधेयक सं० 51

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968

(जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया)

(जिन शब्दों के नीचे या पार्श्व में रेखाएं हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन उपदर्शित करते हैं; तारक चिन्ह लोप उपदर्शित करते हैं)

सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्रवाई के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारयों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो--

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।

1. (1) यह अधिनियम लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर के लोक सेवकों को भी लागू है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो––

(क) "कार्रवाई" से विनिश्चय, सिफारिश या निष्कर्ष के रूप में या किसी अन्य रीति से की गई कार्रवाई अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कार्रवाई करने में असफलता आती है, और कार्रवाई का भाव सूचित करने वाली सभी अन्य अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

(ख) "अभिकथन" से किसी लोक सेवक के सम्बन्ध में यह अभिपुष्टि अभिप्रेत है कि––

(i) ऐसे लोक सेवक ने अपनी ऐसी स्थिति का दुरुपयोग अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई लाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को असम्यक् हानि या कठिनाई कारित करने के लिए किया है,

(ii) ऐसा लोक सेवक ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में वैयक्तिक हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट हेतु से प्रेरित था,

(iii) ऐसा लोक सेवक ऐसे लोक सेवक के रूप में अपनी हैसियत में भ्रष्टाचार अथवा सत्यनिष्ठा की कमी ***** का दोषी है ।

(ग) लोग सेवक के संबंध में "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है––

(i) मंत्री या सचिव की दशा में––प्रधान मंत्री,

(ii) किसी अन्य लोक सेवक की दशा में––ऐसी अन्य प्राधिकारी जो विहित किया जाए ;

(घ) "शिकायत" से किसी व्यक्ति का यह दावा अभिप्रेत है कि कुप्रशासन के परिणामस्वरूप उसके साथ अन्याय हुआ है अथवा उसे असम्यक कष्ट हुआ है,

(ङ) "लोकपाल" से धारा 3 के अधीन लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) "लोकायुक्त" से धारा 3 के अधीन लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) "कुप्रशासन" से वह कार्रवाई अभिप्रेत है जो किसी ऐसे मामले में प्रशासनिक कृत्यों के प्रयोग में की गई हो या जिसका ऐसा किया जाना तात्पर्यित हो––

(i) जहां कि वह कार्रवाई अथवा कार्रवाई को शासित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया या पद्धति अयुक्तियुक्त, अन्यायपूर्ण, सताने वाली या अनुचित रूप से विभेदकारी हो, अथवा

(ii) जहां कि वह कार्रवाई करने में उपेक्षा या असम्यक् विलम्ब हुआ हो अथवा कार्रवाई को शासित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया या पद्धति मं असम्यक् विलंब अन्तर्वलित हो ;

(ज) "मंत्री" से (प्रधान मंत्री को छोड़कर) संघ की मंत्रि-परिषद् का सदस्य, वह चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उपमंत्री आता है ;

(झ) "आफिसर" से संघ के कार्यकलाप से सम्बद्ध लोक सेवा या पद पर नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) "लोक सेवक" ऐसे व्यक्ति को घोषित करता है जो एतस्मिन्पश्चात् आने वाले वर्णनों में किसी के अधीन आता है, अर्थात्--

(i) खण्ड (ज) में निर्दिष्ट हर मंत्री,

(ii) खण्ड (झ) में निर्दिष्ट हर आफिसर,

(iii) संघ राज्यक्षेत्र में की मंत्रि-परिषद् का हर सदस्य जो संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 45 के अधीन नियुक्त किया गया हो । और दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के अधीन गठित कार्यपालिका परिषद् का हर सदस्य ; 1963 का 20 1966 का 19

(iv) निम्नलिखित की सेवा में का या उनसे वेतन प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति--

(क) किसी संघ राज्यक्षेत्र में का कोई स्थानीय प्राधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए,

(ख) कोई निगम (जो स्थानीय प्राधिकारी न हो) और जो किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित किया जाए और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा नियंत्रित हो,

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के भीतर कोई सरकारी कम्पनी जिस में समादत्त अंशपूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित हो, या कोई कम्पनी जो किसी ऐसी 1956 का 1

कम्पनी की समनुषंगी हो जिसमें समादत्त अंशपूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार धारण करती हो,

1860 का 21 (घ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन हो और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ;

(ठ) "सचिव" से अभिप्रेत है––

(i) किसी मंत्रालय या विभाग में भारत सरकार का सचिव, विशेष सचिव, या अतिरिक्त सचिव,

(ii) मंत्रि-मण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय या यथास्थिति, योजना आयोग में सचिव, विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव,

और, यथास्थिति, ऐसे मंत्रालय, विभाग, या सचिवालय का या योजना आयोग के कार्यालय का स्वतन्त्र भारसाधक संयुक्त सचिव इसके अन्तर्गत आता है ।

लोकापाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति ।

3. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किसी व्यक्ति को, जो लोकपाल कहलाएगा और एक या अधिक व्यक्तियों को जो लोकायुक्त कहलाएगा या कहलाएंगे, नियुक्त करेगा ;

परन्तु––

(क) लोकपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से और लोक सभा में विरोधी दल के नेता, या यदि ऐसा नेता न हो तो लोक सभा में विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा, ऐसी रीति से जो कि अध्यक्ष निदिष्ट करे, इस निमित्त निर्वाचित व्यक्ति से परामर्श करके नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) लोकायुक्त लोकपाल से परामर्श के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा या किए जाएंगे ।

* * * *

(2) लोकपाल या लोकयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया हर व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति के या राष्ट्रपति द्वारा इस निमित नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन से दिए गए प्ररूप में शपथ ग्रहण करेगा या प्रतिज्ञान करेगा ।

(3) लोकायुक्त लोकपाल के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे और विशिष्टत : इस अधिनियम के अधीन के अन्वेषणों के सुविधापूर्वक निपटाए जाने के लिए लोकपाल लोकायुक्तों को ऐसे साधारण या विशेष निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे ;

परन्तु इस उपधारा में की बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह लोकपाल को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह किसी लोकायुक्त के किसी निष्कर्ष, परिणाम या सिफारिश को प्रश्नगत करे।

लोकपाल या लोकायुक्त का कोई अन्य का धारण न करना।

4. लोकपाल या लोकायुक्त संसद् का सदस्य या किसी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य न होगा और, (यथास्थिति, लोकपाल या लोकयुक्त के रूप में अपने पद से भिन्न) कोई न्यास का पद धारण नहीं करेगा, न किसी राजनीतिक दल से संसक्त होगा, न कोई कारबार या वृत्ति करेगा और तदनुसार, यथास्थिति, लोकपाल या लोकयुक्त नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व––

(क) यदि वह संसद् का या किसी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य हो तो ऐसी सदस्यता त्याग देगा ;

(ख) यदि वह न्यास या लाभ का कोई पद धारण करता हो, तो ऐसा पद त्याग देगा ;

(ग) यदि किसी राजनीतिक दल से संसक्त हो तो, उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लेगा ; अथवा

(घ) यदि वह कोई कारबार कर रहा हो तो (अपने आप को स्वामित्व से निर्विहित को छोड़कर) ऐसे कारबार के संचालन और प्रबन्ध से अपने सम्बन्ध तोड़ लेगा ;

(ङ) यदि वह कोई वृत्ति कर रहा हो तो ऐसी वृत्ति करना समाप्त कर देगा।

लोकपाल और लोकायुक्त की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें।

5. (1) लोकपाल या लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया हर व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा;

* * * *

परन्तु––

(क) लोकपाल या लोकायुक्त, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

(ख) लोकपाल या लोकायुक्त धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से पद से हटाया जा सकेगा।

* * * *

(2) यदि लोकपाल के या लोकायुक्त के पद में रिक्ति हो जाए अथवा लोकपाल या लोकायुक्त अनुपस्थिति के कारण या अन्य किसी भी कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो, जब तक कि धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति वह पद ग्रहण न कर ले, या, यथास्थिति, जब तक कि

लोकपाल या लोकायुक्त अपने कर्तव्यों पर वापस न आ जाए, उसके कर्तव्य निम्नलिखित द्वारा किए जाएंगे—

(क) जहां कि लोकपाल के पद में रिक्ति होती है या जहां कि वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है वहा लोकायुक्त द्वारा या जहां कि दो या अधिक लोकायुक्त हों, वहां लोकायुक्तों में से उसके द्वारा जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे ;

(ख) जहां कि लोकायुक्त के पद में रिक्ति होती है या जहां कि वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो वहां स्वयं लोकपाल द्वारा, या यदि लोकपाल ऐसा निदेश दे तो, यथास्थिति, अन्य लोकायुक्त द्वारा या अन्य लोकायुक्तों में उसके द्वारा जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) लोकपाल या लोकायुक्त, जब उसका पद धारण करना समाप्त हो जाए, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन (चाहे लोकपाल या लोकायुक्त के रूप में या किसी अन्य हैसियत में) किसी और नियोजन के लिए या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, निगम, सरकारी कम्पनी या सोसाइटी के जो धारा 2 के खण्ड (ट) के उपखण्ड (iv) में निर्दिष्ट है, अधीन किसी नियोजन के लिए या उसमें किसी पद के लिए अपात्र होगा ।

(4) लोकपाल और लोकायुक्तों को ऐसे सम्बलम दिए जाएंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

(5) लोकपाल और हर लोकायुक्त भाटक के संदाय के बिना शासकीय निवास-स्थान के उपयोग का हकदार होगा ।

(6) लोकपाल या लोकायुक्त को संदेश भत्ते और पेंशन तथा उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ;

परन्तु—

(क) लोकपाल को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों के विहित करने में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जाएगा ;

(ख) लोकायुक्त को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों को विहित करने में, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जाएगा ;

परन्तु यह और कि लोकपाल या लोकायुक्त को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् ऐसा फेरफार नहीं किया जाएगा जो उसके लिए अहितकर हो ।

6. (1) संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि लोकपाल या लोकायुक्त अपने पद से कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा और किसी अन्य आधार पर नहीं ; — लोकपाल तथा लोकायुक्त का हटाया जाना ।

परन्तु ऐसे हटाए जाने के पूर्व उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित जांच राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो ।

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अपनी जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा जो उसे, यथाशक्य शीघ्र, संसद् के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति लोकपाल या लोकायुक्त को तब तक नहीं हटाएगा जब तक कि ऐसे हटाए जाने के लिए हर एक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत न कर दिया जाए ।

7. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि लोकपाल किसी भी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण कर सकेगा जो— — विषय जिनका अन्वेष लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा किया जा सकेगा ।

(i) किसी मंत्री या सचिव, अथवा

(ii) लोकपाल के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए गए लोक सेवकों के वर्ग या उपवर्ग के किसी अन्य लोक सेवक,

द्वारा, या उसके साधारण या विनिर्दिष्ट अनुमोदन से किसी ऐसे मामले में की गई हो जिसमें ऐसे मामले की बाबत शिकायत या अभिकथन अन्तर्वलित करने वाला परिवार किया जाए या जिसमें लोकपाल की राय में ऐसी कार्रवाई शिकायत या अभिकथन का विषय हो सकती हो या हो सकती थी ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि लोकायुक्त किसी भी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण कर सकेगा जो किसी ऐसे आफिसर या अन्य लोक सेवक द्वारा या उसके साधारण विनिर्दिष्ट अनुमोदन से, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट मंत्री, सचिव या अन्य लोक सेवक न हों, किसी ऐसे मामले में की गई हो जिसमें ऐसे मामले की बाबत शिकायत या अभिकथन अन्तर्वलित करने वाला परिवाद किया जाए या जिसमें लोकायुक्त की राय में ऐसी कार्रवाई शिकायत या अभिकथन का विषय हो सकती हो या हो सकती थी ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण कर सकेगा जिसका उस उपधारा के अधीन लोकायुक्त द्वारा अन्वेषण किया जा सकता है, चाहे ऐसी कार्रवाई की बाबत लोकपाल से परिवाद किया गया हो या नहीं ।

(4) जहां कि इस अधिनियम के अधीन दो या अधिक लोकायुक्त नियुक्त किए जाएं वहां लोकपाल साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनमें से हर एक को वह विषय समनुदिष्ट कर सकेगा जिनका अन्वेषण उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा ;

परन्तु लोकायुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया अन्वेषण और ऐसे अन्वेषण की बाबत उसके द्वारा की गई कार्रवाई या बात केवल इस आधार पर प्रश्नगत न की जा सकेगी कि ऐसा अन्वेषण ऐसे विषय के सम्बन्ध में है जो उसे ऐसे आदेश के अधीन समनुदिष्ट नहीं किया गया है ।

वे विषय जो अन्वेषण आदि के अध्यधीन नहीं हैं ।

8. (1) एतस्मिन्पश्चात् यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, लोकपाल या लोकायुक्त किसी कार्रवाई की बाबत शिकायत अन्तर्वलित करने वाले परिवार के मामले में इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण नहीं करेगा––

(क) यदि ऐसी कार्रवाई तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में है, अथवा

(ख) यदि परिवादी को किसी अधिकरण या विधि-न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के रूप में कोई उपचार प्राप्त है या था ;

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि परिवादी को ऐसा उपचार प्राप्त था या है, लोकपाल या लोकायुक्त अन्वेषण कर सकेगा यदि, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त का यह समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त हेतुक से ऐसे उपचार का आश्रय नहीं ले सकता था या नहीं ले सकता है ।

(2) लोकपाल या लोकायुक्त किसी ऐसी कार्रवाई की जांच नहीं करेगा––

1850 का 37 — (क) जिसकी बाबत लोकपाल की पूर्व-सहमति से लोक सेवक जांच अधिनियम, 1850 के अधीन औपचारिक और लोक जांच का आदेश कर दिया गया है ; अथवा

1952 का 60 — (ख) ऐसे विषय की बाबत जो लोकपाल की पूर्व-सहमति से जांच अधिनियम, 1950 के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है ।

(3) लोकपाल या लोकायुक्त किसी ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें धारा 2 के खण्ड (ट) के उपखण्ड (iv) में निर्दिष्ट लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत अन्तर्वलित हो ।

(4) लोकपाल या कोई लोकायुक्त किसी ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जो धारा 18 के अधीन निकाली गई अधिसूचना के आधार पर उसकी अधिकारिता से अपवर्जित कर दिया गया है ।

(5) लोकपाल या लोकायुक्त किसी ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा––

(क) जिसमें शिकायत अंतर्वलित हो, यदि परिवाद परिवादित कार्रवाई के परिवादी को जानकारी में जाने की तारीख से बारह मास के अवसान के पश्चात् किया जाए ;

(ख) जिसमें अभिकथन अंतर्वलित हो, यदि परिवाद उस तारीख से पांच वर्ष के अवसान के पश्चात् किया जाए जब कि परिवादित कार्रवाई का किया जाना अभिकथित हो ;

परन्तु लोकपाल या लोकायुक्त खंड (क) के निर्दिष्ट परिवाद ग्रहण कर सकेगा यदि परिवादी उसका समाधान कर दे कि उस खंड में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर परिवाद न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था ।

(6) शिकायत अंतर्वलित करने वाले परिवाद की दशा में इस धारा में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह लोकपाल या लोकायुक्त को इस बात के लिए सशक्त करती है कि वह किसी ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई को तब के सिवाय प्रश्नगत करे जिसमें विवेकाधिकार का प्रयोग अन्तर्वलित हो, जब कि उसका समाधान हो जाए कि विवेकाधिकार के प्रयोग में अन्तर्वलित तत्व ऐसे विस्तार तक अनुपस्थित हैं कि विवेकाधिकार को उचित रूप से प्रयोग किया गया नहीं माना जा सकता ।

परिवादों के संबंध में उपबंध ।

9. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि इस अधिनियम के अधीन कोई परिवाद लोकपाल को या लोकायुक्त को——

(क) शिकायत की दशा में, व्यथित व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा,

(ख) अभिकथन की दशा में, लोक सेवक से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा ;

परन्तु जहां कि व्यथित की मृत्यु हो गई हो या किसी कारणवश अपनी ओर से कार्य करने में असमर्थ हो तो परिवाद किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो, यथास्थिति, विधि में उसकी संपदा का प्रतिनिधित्व करता हो या ऐसे व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कर दिया गया हो ।

(2) हर परिवाद ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसके साथ ऐसे शपथ-पत्र****होंगे जो विहित किए जाएं ।

(3) किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस अभिरक्षा में से या जेल में से या पागलखाने में से या उन्मत्त व्यक्तियों के किसी अन्य स्थान में से किसी व्यक्ति द्वारा लोकपाल या लोकायुक्त को लिखे गए कोई पत्र प्रेषिती को बिना खोले हुए और बिना विलम्ब के उस पुलिस आफिसर द्वारा या अन्य आफिसर या व्यक्ति द्वारा जो ऐसे जेल, पागलखाने या स्थान का भारसाधक हो, अग्रेषित किया जाएगा ।

अन्वेषणों की बाबत प्रक्रिया ।

10. (1) जहां कि लोकपाल या लोकायुक्त (ऐसी प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे) इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने की प्रस्थापना करें वहां वह——

(क) परिवाद की एक प्रतिलिपि या ऐसे अन्वेषण की दशा में जो वह स्वप्रेरणा पर करने की प्रस्थापना करे, उसके आधारों का उस वर्णन करने वाला एक कथन संपृक्त लोक सेवक को और संपृक्त सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा, × × ×

(ख) संपृक्त लोक सेवक को उस बात का अवसर देगा कि वह उस परिवाद या कथन पर अपनी टीका-टिप्पणी दे ; तथा

(ग) अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) हर ऐसा अन्वेषण प्राइवेट में किया जाएगा और विशिष्टता-परिवादी का और अन्वेषण द्वारा प्रभावित लोक सेवक का अभिज्ञान जनता को या प्रेस को, चाहे अन्वेषण के पूर्व, दौरान या पश्चात् प्रकट नहीं किया जाएगा ;

परन्तु लोकपाल या लोकायुक्त किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में जो निश्चित रूप से लोक-महत्व का हो, कोई अन्वेषण सार्वजनिक रूप से उस दशा में कर सकेगा जब कि वह ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसा करना ठीक समझे ।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय कोई ऐसा अन्वेषण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे ।

(4) लोकपाल या लोकायुक्त स्वविवेकानुसार किसी ऐसे परिवाद का, जिसमें कोई शिकायत या अभिकथन अन्तर्वलित हो, अन्वेषण करने से इन्कार कर सकेगा या उसका अन्वेषण बन्द कर सकेगा यदि उसकी राय में—

(क) परिवाद तुच्छ या तंग करने वाला हो या सद्भावपूर्वक न किया गया हो, अथवा

(ख) यथास्थिति, अन्वेषण करने के लिए या अन्वेषण चालू रखने के लिए पर्याप्त आधार न हो, अथवा

(ग) परिवादी को विधि के अधीन अन्य उपचार उपलभ्य हों और मामले की परिस्थितियों में यह अधिक उचित होगा कि परिवादी ऐसे उपचारों का लाभ उठाए ।

(5) किसी मामले में जिसमें लोकपाल या लोकायुक्त परिवाद को ग्रहण न करने का या किसी परिवाद की बाबत अन्वेषण बन्द करने का विनिश्चय करे, वह उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा और उन्हें परिवादी और सम्पृक्त लोक सेवक को संसूचित करेगा ।

(6) किसी कार्रवाई की बाबत इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण किए जाने से उस कार्रवाई पर या अन्वेषणाधीन मामले की बाबत आगे कार्रवाई करने की लोक सेवक की शक्ति या कर्तव्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

11. (1) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि इस अधिनियम के अधीन के किसी अन्वेषण के (जिसके अन्तर्गत अन्वेषण के पूर्व की प्रारम्भिक जांच, यदि कोई हो, आती है) प्रयोजन के लिए लोकपाल या लोकायुक्त किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में अन्वेषण से सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेज पेश करने के योग्य हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे या ऐसी दस्तावेज पेश करे। साक्ष्य

(2) किसी ऐसे अन्वेषण के (जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक जांच, यदि कोई हो, आती है) प्रयोजन के लिए लोकपाल या लोकायुक्त को निम्नलिखित विषयों के बारे में वे समस्त शक्तियां होंगी जो सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया 1908 का 5 संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय होती हैं—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी अभिलेख को या उसकी प्रतिलिपि को अध्यपेक्षित करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अन्य ऐसे विषय जो विहित किए जाएं।

(3) लोकपाल या लोकायुक्त के समक्ष की किसी कार्यवाही के बारे में यह 1860 का 45 समझा जाएगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही है।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि किसी रहस्य को अथवा सरकार या किसी लोक सेवक द्वारा अभिप्राप्त या को प्रस्तुत की गई जानकारी के प्रकटन पर निर्बन्धन को बनाए रखने का दायित्व, चाहे वह किसी अधिनियमिति या विधि के किसी नियम द्वारा अधिरोपित हो या नहीं, इस अधिनियम के अधीन के किसी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए जानकारी के प्रकटन को लागू नहीं होगा और ऐसे किसी अन्वेषण के सम्बन्ध में सरकार या लोक सेवक, दस्तावेजों के पेश किए जाने या साक्ष्य दिए जाने की बाबत किसी ऐसे विशेषाधिकार का हकदार न होगा जो किसी अधिनियमिति द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा विधिक कार्रवाई में अनुज्ञात है।

(5) इस अधिनियम के कारण कोई व्यक्ति ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत करने या ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने या किसी दस्तावेज का उतना भाग पेश करने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत नहीं होगा—

(क) जिससे भारत की सुरक्षा या प्रतिरक्षा या अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों (जिसके अन्तर्गत किसी अन्य देश की सरकार या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघटन के साथ भारत के सम्बन्ध आते हैं) या अपराध के अन्वेषण या पता लगाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

(ख) जिसमें संघ सरकार के मंत्रि-मंडल या उस मंत्रि-मंडल की किसी समिति या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के मंत्रि-मंडल की या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के अधीन गठित कार्यपालिका परिषद् की या ऐसे मंत्रि-मंडल या कार्यपालिका परिषद् की किसी समिति की कार्यवाही का प्रकटन अन्तर्वलित हो,

1966 का 19

और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र जो यह प्रमाणित करता हो कि कोई जानकारी, उत्तर या दस्तावेज का भाग खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है, बाध्यकर और अन्तिम होगा।

(6) उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजन के लिए ऐसा कोई साक्ष्य देने के लिए किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसके, किसी न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही में देने या पेश करने के लिए वह विवश नहीं किया जा सकता था।

लोकपाल तथा लोकायुक्तों की रिपोर्टें।

12. (1) यदि ऐसी किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसकी बाबत शिकायत अन्तर्वलित करने वाला परिवाद किया गया है या किया जा सकता है या किया जा सकता था, लोकपाल या लोकायुक्त का यह समाधान हो जाए कि ऐसी कार्यवाही से परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय अथवा उसे असम्यक कष्ट हुआ है, तो लोकपाल या लोकायुक्त लिखित रिपोर्ट द्वारा सम्पृक्त लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से यह सिफारिश करेगा कि ऐसे अन्याय अथवा असम्यक कष्ट का उपचार प्रतितोष ऐसी रीति से ऐसे समय के भीतर किया जाए जिसे रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) वह सक्षम प्राधिकारी जिसे उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट भेजी जाती है, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से एक महीने के भीतर, यथा-स्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त को रिपोर्ट के अनुपालन के लिए की गई कार्रवाई से इत्तला देगा या इत्तला दिलाएगा।

(3) यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसकी बाबत अभिकथन अन्तर्वलित करने वाला परिवाद किया गया है या किया जा सकता है या किया जा सकता था, लोकपाल या लोकायुक्त का यह समाधान हो जाए कि ऐसे अभिकथन को चाहे पूर्णतः या भागतः अभिपुष्ट किया जा सकता है तो वह लिखित रिपोर्ट द्वारा सुसंगत दस्तावेज़ों, सामग्री या अन्य साक्ष्य सहित अपने निष्कर्षों और सिफारिशों की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी अपने को उपधारा (3) के अधीन अग्रेषित रिपोर्ट की परीक्षा करेगा और, रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीन मासों के भीतर रिपोर्ट के आधार पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई की इत्तिला, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त को देगा।

(5) यदि लोकपाल या लोकायुक्त उपधाराओं (1) और (3) में निर्दिष्ट अपनी सिफारिशों या निष्कर्षों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई से संतुष्ट हो जाता है तो वह परिवादी, सम्पृक्त लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी को इत्तिला देते हुए मामले को बन्द कर देगा, किन्तु जहां कि वह ऐसे संतुष्ट नहीं होता और यदि उसका यह विचार है कि मामला इस योग्य है तो वह मामले पर विशेष रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे सकेगा और स्वविवेकानुसार सम्पृक्त परिवादी को भी इत्तिला दे सकेगा;

* * * *

(6) लोकपाल और लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों के पालन पर प्रति वर्ष एक समेकित रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे।

* * * *

(7) उपधारा (5) के अधीन की विशेष रिपोर्ट या उपधारा (6) के अधीन की वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति, उसकी प्रतिलिपि, स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसद् के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(8) धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि लोकपाल स्वविवेकानुसार अपने द्वारा या किसी लोकायुक्त द्वारा बन्द किए गए या अन्यथा निस्तारित किए गए उन मामलों का सार जो उसे साधारण लोक, शैक्षणिक या वृत्तिक हित के प्रतीत हों, ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्तियों को, जो वह समुचित समझे, समय-समय पर उपलब्ध करेगा।

13. (1) लोकपाल, लोकपाल या लोकायुक्तों को इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों के निवर्हन में सहायता करने के लिए आफिसर या अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा या नियुक्त करने के लिए लोकायुक्त या लोकपाल या लोकायुक्त के अधीनस्थ किसी आफिसर को प्राधिकृत कर सकेगा। लोकपाल और लोकायुक्तों का कर्मचारिवृन्द।

(2) उन आफिसरों और कर्मचारियों के वर्ग जो उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए जा सकेंगे, उनके संबलम्, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें तथा लोकपाल और लोकायुक्तों की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जैसी कि लोकपाल से परामर्श करके विहित की जाएं।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन से लोकपाल या लोकायुक्त——

(i) केन्द्रीय सरकार की सम्मति से उस सरकार के किसी आफिसर या अन्वेषण अभिकरण की; अथवा

(ii) किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण की;

सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

14. (1) लोकपाल या लोकायुक्तों या उनके कर्मचारिवृन्द के सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के अधीन के किसी अन्वेषण के दौरान या के सम्बन्ध में अभिप्राप्त जानकारी की गोपनीयता।

की गई जानकारी को और ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में अभिलिखित या संग्रहीत किए गए साक्ष्य को, धारा 10 की उपधारा (2) के परन्तुक के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए गोपनीय माना जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
1872 का 1 — 1872 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को यह हक नहीं होगा कि वह लोकपाल या किसी लोकायुक्त या लोकसेवक को ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिए या ऐसे अभिलिखित या संग्रहीत साक्ष्य को पेश करने के लिए विवश करे।

(2) उपधारा (1) में की कोई बात——

(क) अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए या उसपर की जाने वाली किसी रिपोर्ट में या ऐसी कार्रवाई या कार्यवाही के लिए जो ऐसी रिपोर्ट पर की जानी है, या

1923 का 19 — (ख) शासकीय रहस्य अधिनियम, 1923, के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या शपथ भंग के अपराध के प्रयोजनों के लिए या धारा 15 के अधीन की किन्ही कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, या

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं,

किसी जानकारी या विशिष्टियों के प्रकटीकरण को लागू नहीं होगी।

(3) कोई आफिसर या इस निमित्त विहित अन्य प्राधिकारी, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त को लिखित सूचना दे सकेगा कि सूचना में विनिर्दिष्ट दस्तावेज या जानकारी या ऐसे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के किसी वर्ग की बाबत केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उन दस्तावेजों या जानकारी का या उस वर्ग की दस्तावेजों या जानकारी का प्रकटीकरण लोक हित के प्रतिकूल होगा, और जहां कि ऐसी सूचना दी जाती है वहां इस अधिनियम में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह लोकपाल, लोकायुक्त या उनके कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को सूचना में विनिर्दिष्ट किसी दस्तावेज या जानकारी या ऐसे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या जानकारी के किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति को संसूचित करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित करती है।

* * * *

लोकपाल या लोकायुक्त का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना या उसे कुख्यात करना।

15. (1) जो कोई लोकपाल या लोकायुक्त का उस समय जब कि लोकपाल या लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण कर रहा हो, साशय कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई, बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा ऐसा कोई कथन करेगा या प्रकाशित करेगा या कोई अन्य कार्य करेगा जो लोकपाल या लोकायुक्त को कुख्यात करने के लिए प्रकल्पित हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(3) दण्ड प्रकिया संहिता, 1898 की धारा 198ख के उपबन्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन के अपराध के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वह उक्त धारा 198ख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध के सम्बन्ध में लागू होते हैं, किन्तु इस उपान्तर के अध्यधीन कि ऐसे अपराध के बारे में कोई परिवाद लोक अभियोजक द्वारा— 1898 का 5

(क) लोकपाल के विरुद्ध अपराध की दशा में, लोकपाल के;

(ख) लोकायुक्त के विरुद्ध अपराध की दशा में, सम्पृक्त लोकायुक्त के, पूर्वानुमोदन से किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा।

परित्राण।

16. (1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, लोकपाल या लोकायुक्तों या उनके कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य के विरुद्ध न होगी।

(2) लोकपाल या लोकायुक्तों की कोई भी कार्यवाही प्ररूप के न होने के कारण गलत नहीं मानी जाएगी, और अधिकारिता के आधार पर के सिवाय लोकपाल या लोकायुक्त की कार्यवाही या विनिश्चय किसी न्यायालय में आक्षेप किए जाने, पुनर्विलोकित किए जाने, अभिखण्डित किए जाने या प्रश्नगत किए जाने का दायी न होगा।

लोकपाल तथा लोकायुक्तों को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदत्त किया जाना।

17. (1) राष्ट्रपति, शासकीय राजपत्र म प्रकाशित अधिसूचना द्वारा और लोकपाल से परामर्श करके, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त को शिकायतों के प्रतितोष और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के सम्बन्ध में ऐसे कृत्य प्रदत्त कर सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) राष्ट्रपति लिखित आदेश द्वारा और लोकपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोकपाल या लोकायुक्त को, शिकायतों के प्रतितोष और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त अभिकरणों, प्राधिकारियों या आफिसरों पर पर्यवेक्षण की प्रकृति की ऐसी शक्तियों को प्रदत्त कर सकेगा।

(3) राष्ट्रपति लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अध्यधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लोकपाल से यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी कार्रवाई का (जो ऐसी कार्रवाई हो जिसके बारे में इस अधिनियम के अधीन लोकपाल का लोकायुक्त से परिवाद किया जा सकता है) अन्वेषण करे और इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल के ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा।

परन्तु लोकपाल किसी ऐसी कार्रवाई का (जो ऐसी कार्रवाई हो जिसके बारे में इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त से परिवाद किया जा सकता है) अन्वेषण किसी लोकायुक्त को न्यस्त कर सकेगा।

(4) जब लोकपाल या लोकायुक्त पर उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कृत्य प्रदान किया जाए या जब लोकपाल या लोकायुक्त को किसी कार्रवाई का अन्वेषण उपधारा 3 के अधीन करना हो, तब लोकपाल या लोकायुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जो वह, यथास्थिति, कोई शिकायत या अभिकथन अन्तर्वलित करने वाले परिवाद पर किए गए अन्वेषण की दशा में करता, और इस अधिनियम के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे।

लोक सेवकों के कतिपय वर्ष के विरुद्ध परिवादों को अपवर्जित करने की शक्ति।

18. (1) केन्द्रीय सरकार लोकपाल की सिफारिश पर और अपना यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन परिवादों को जिनमें ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत या अभिवचन अन्तर्वलित हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट लोकसेवकों के वर्ग के हैं, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त की अधिकारिता से अपवर्जित कर सकेगी ;

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना उन सेवकों के बारे में नहीं निकाली जाएगी जो ऐसे पद धारण कर रहे हों जिनका, भत्तों का अपवर्जन करते हुए, न्यूनतम मासिक सम्बलम् एक हजार रुपए या अधिक है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निकाली गई हर अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, संसद् के हरएक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह अधिसूचना यथास्थिति ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगी या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस अधिसूचना के आधार पर पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

प्रत्यायोजित करने की शक्ति।

19. लोकपाल या लोकायुक्त साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यह निदेश कर सकेगा कि (धारा 12 के अधीन राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने की शक्ति के सिवाय) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन धारा 13 में निर्दिष्ट ऐसे आफिसरों, कर्मचारियों या अभिकरणों द्वारा भी किया जा सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

नियम बनाने की शक्ति।

20. (1) राष्ट्रपति, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे —

(क) वे प्राधिकारी जिनका धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन विहित किया जाना है ;

(ख) लोकपाल और लोकायुक्तों को संदेय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तें,

(ग) * * * *वह प्ररूप जिसमें परिवाद किए जा सकेंगे और वे फीसें, यदि कोई हों, जो उनकी बाबत प्रभारित की जा सकेंगी,

(घ) सिविल न्यायालय की वे शक्तियां जिनका प्रयोग लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा किया जा सकेगा,

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए या जिसके बारे में यह अधिनियम कोई उपबन्ध नहीं करता या अपर्याप्त उपबन्ध करता है और राष्ट्रपति की राय में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वियन के लिए उपबन्ध करना आवश्यक है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के हर एक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो कुल मिला कर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या अव्यवहित पश्चात्वर्ती सत्र के, अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु ऐसे कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

21. शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाना है कि इस अधिनियम में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह लोकपाल या लोकायुक्त को किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत करती है जो— शंकाओं का निराकरण।

(क) भारतीय दंड संहिता की धारा 19 में यथापरिभाषित किसी न्यायाधीश के; 1860 का 45

(ख) भारत में किसी न्यायालय के किसी आफिसर या सेवक के;

(ग) भारत के नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक के;

(घ) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के;

(ङ) संविधान के अनुच्छेद 324 के निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों के;

(च) संसद् के किसी भी सदन या किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा या दिल्ली की राजधानी परिषद् के सचिवीय कर्मचारी वर्ग के किसी सदस्य के;

द्वारा या उसके अनुमोदन से की गई हो।

व्यावृत्ति

22. इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियमिति के या किसी विधि के नियम के अतिरिक्त होंगे जिसके अधीन किसी कार्रवाई के बारे में इस अधिनियम के अधीन परिवाद करने वाले व्यक्ति को अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या किसी अन्य रीति में कोई उपचार उपलब्ध है, और इस अधिनियम में की कोई बात ऐसे व्यक्ति के ऐसे उपचार का उपयोग करने के अधिकतर को परिसीमित या प्रभावित नहीं करेगी।

प्रथम अनुसूची

[धारा 3 (2) देखिए]

मैं .... जो लोकपाल/लोकायुक्त नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं । सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक पूरी तथा अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, पालन करूंगा ।

द्वितीय अनुसूची

[धारा 5 (4) देखिए]

लोकपाल और लोकायुक्त को वास्तविक सेवा पर बिताए गए समय के बारे में निम्नलिखित दरों से प्रतिमास सम्बलम् दिया जाएगा अर्थात्—

लोकपाल	5,000 रुपए
लोकायुक्त	4,000 रुपए

परन्तु यदि किसी लोकपाल अथवा लोकायुक्त को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य सरकार की अथवा उसकी पूववर्ती सरकारों में से किसी की पहले की गई सेवा के बारे में (निर्योग्यता या क्षत पेन्शन के अतिरिक्त) कोई पेन्शन मिलती हो तो, यथास्थिति, लोकपाल अथवा लोकायुक्त के रूप में सेवा के बारे में उसके सम्बलम् में से—

(क) पेन्शन की राशि, और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, सेवा के सम्बन्ध में अपने को देय पेन्शन के एक प्रभाग के बदले में उसका संराशिकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेन्शन के उस प्रभाग की राशि और,

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा के सम्बन्ध में निवृत्ति उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान की समतुल्य पेन्शन, घटा दी जाएगी ।

तृतीय अनुसूची

[धारा 8 (1) (क) देखिए]

(क) किसी ऐसे विषय पर, जो किसी सचिव द्वारा, भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार या राज्यों या सरकारों के किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघटन के बीच सम्बन्धों और संव्यवहारों को प्रभावित करने वाला प्रमाणित किया गया है, की गई कार्रवाई।

1962 का 34 (ख) निष्कर्षण अधिनियम, 1962 या विदेशी अधिनियम, 1946 के
1946 का 31 अधीन की गई कार्रवाई।

(ग) अपराधों के अन्वेषण के या राज्य की सुरक्षा के संरक्षण के प्रयोजन के लिए की गई कार्रवाई जिसके अन्तर्गत पारपत्र और यात्रा दस्तावेजों के बारे में की गई कार्रवाई आती है।

(घ) यह अवधारित करने के बारे में कि कोई मामला न्यायालय में जाएगा या नहीं, शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कार्रवाई।

(ङ) उन विषयों पर जो ग्राहकों या प्रदायकों के साथ प्रशासन के केवल वाणिज्यिक सम्बन्धों को शासित करने वाली संविदा के निबन्धनों से उद्भूत हों, की गई कार्रवाई, तब के सिवाय जब कि परिवादी संविदा की बाध्यताओं को पूरा करने में तंग किया जाना या विलम्ब किया जाना अभिकथित करता हो।

(च) लोक सेवकों की नियुक्तियां, हटाए जाने, वेतन, अनुशासन अधिवार्षिकी या सेवा की शर्तों से संबद्ध अन्य विषयों के बारे में की गई कार्रवाई, किन्तु पेंशन, उपदान, भविष्य-निधि या सेवा से निवृत्ति, उससे हटाए जाने या उसके पर्यवसान पर उद्भूत होने वाले दावों से संबद्ध कार्रवाई इसके अन्तर्गत नहीं आती।

(छ) सम्मानों और पुरस्कारों का अनुदान।

[लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 का हिन्दी अनुवाद]

1968 का विधेयक सं० 51

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968

(जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया)

(जिन शब्दों के नीचे या पार्श्व में रेखाएं हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन उपदर्शित करते हैं; तारक चिन्ह लोप उपदर्शित करते हैं)

सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्रवाई के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारयों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो––

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर के लोक सेवकों को भी लागू है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं । 2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "कार्रवाई" से विनिश्चय, सिफारिश या निष्कर्ष के रूप में या किसी अन्य रीति से की गई कार्रवाई अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कार्रवाई करने में असफलता आती है, और कार्रवाई का भाव सूचित करने वाली सभी अन्य अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

(ख) "अभिकथन" से किसी लोक सेवक के सम्बन्ध में यह अभिपुष्टि अभिप्रेत है कि--

(i) ऐसे लोक सेवक ने अपनी ऐसी स्थिति का दुरुपयोग अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई लाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को असम्यक् हानि या कठिनाई कारित करने के लिए किया है,

(ii) ऐसा लोक सेवक ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में वैयक्तिक हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट हेतु से प्रेरित था,

(iii) ऐसा लोक सेवक ऐसे लोक सेवक के रूप में अपनी हैसियत में भ्रष्टाचार अथवा सत्यनिष्ठा की कमी ***** का दोषी है ।

(ग) लोग सेवक के संबंध में "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है--

(i) मंत्री या सचिव की दशा में--प्रधान मंत्री,

(ii) किसी अन्य लोक सेवक की दशा में--ऐसी अन्य प्राधिकारी जो विहित किया जाए ;

(घ) "शिकायत" से किसी व्यक्ति का यह दावा अभिप्रेत है कि कुप्रशासन के परिणामस्वरूप उसके साथ अन्याय हुआ है अथवा उसे असम्यक कष्ट हुआ है,

(ङ) "लोकपाल" से धारा 3 के अधीन लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) "लोकायुक्त" से धारा 3 के अधीन लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) "कुप्रशासन" से वह कार्रवाई अभिप्रेत है जो किसी ऐसे मामले में प्रशासनिक कृत्यों के प्रयोग में की गई हो या जिसका ऐसा किया जाना तात्पर्यित हो--

(i) जहां कि वह कार्रवाई अथवा कार्रवाई को शासित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया या पद्धति अयुक्तियुक्त, अन्यायपूर्ण, सताने वाली या अनुचित रूप से विभेदकारी हो, अथवा

(ii) जहां कि वह कार्रवाई करने में उपेक्षा या असम्यक् विलम्ब हुआ हो अथवा कार्रवाई को शासित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया या पद्धति में असम्यक् विलंब अन्तर्वेलित हो ;

(ज) "मंत्री" से (प्रधान मंत्री को छोड़कर) संघ की मंत्रि-परिषद् का सदस्य, वह चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उपमंत्री आता है ;

(झ) "आफिसर" से संघ के कार्यकलाप से सम्बद्ध लोक सेवा या पद पर नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) "लोक सेवक" ऐसे व्यक्ति को घोषित करता है जो एतस्मिन्पश्चात् आने वाले वर्णनों में किसी के अधीन आता है, अर्थात्--

(i) खण्ड (ज) में निर्दिष्ट हर मंत्री,

(ii) खण्ड (झ) में निर्दिष्ट हर आफिसर,

(iii) संघ राज्यक्षेत्र में की मंत्रि-परिषद् का हर सदस्य जो संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 45 के अधीन नियुक्त किया गया हो । और दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के अधीन गठित कार्यपालिका परिषद् का हर सदस्य ; 1963 का 20 1966 का 19

(iv) निम्नलिखित की सेवा में का या उनसे वेतन प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति--

(क) किसी संघ राज्यक्षेत्र में का कोई स्थानीय प्राधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए,

(ख) कोई निगम (जो स्थानीय प्राधिकारी न हो) और जो किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित किया जाए और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा नियंत्रित हो,

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के भीतर कोई सरकारी कम्पनी जिस में समादत्त अंशपूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित हो, या कोई कम्पनी जो किसी ऐसी 1956 का 1

कम्पनी की समनुषंगी हो जिसमें समादत्त अंशपूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार धारण करती हो,

1860 का 21 (घ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन हो और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ;

(ठ) "सचिव" से अभिप्रेत है––

(i) किसी मंत्रालय या बिभाग में भारत सरकार का सचिव, विशेष सचिव, या अतिरिक्त सचिव,

(ii) मंत्रि-मण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय या यथास्थिति, योजना आयोग में सचिव, विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव,

और, यथास्थिति, ऐसे मंत्रालय, विभाग, या सचिवालय का या योजना आयोग के कार्यालय का स्वतन्त्र भारसाधक संयुक्त सचिव इसके अन्तर्गत आता है ।

लोकापाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति ।

3. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किसी व्यक्ति को, जो लोकपाल कहलाएगा और एक या अधिक व्यक्तियों को जो लोकायुक्त कहलाएगा या कहलाएंगे, नियुक्त करेगा ;

परन्तु––

(क) लोकपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से और लोक सभा में विरोधी दल के नेता, या यदि ऐसा नेता न हो तो लोक सभा में विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा, ऐसी रीति से जो कि अध्यक्ष निदिष्ट करे, इस निमित्त निर्वाचित व्यक्ति से परामर्श करके नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) लोकायुक्त लोकपाल से परामर्श के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा या किए जाएंगे ।

* * * *

(2) लोकपाल या लोकयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया हर व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति के या राष्ट्रपति द्वारा इस निमित नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन से दिए गए प्ररूप में शपथ ग्रहण करेगा या प्रतिज्ञान करेगा ।

(3) लोकायुक्त लोकपाल के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे और विशिष्टत : इस अधिनियम के अधीन के अन्वेषणों के सुविधापूर्वक निपटाए जाने के लिए लोकपाल लोकायुक्तों को ऐसे साधारण या विशेष निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे ;

परन्तु इस उपधारा में की बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह लोकपाल को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह किसी लोकायुक्त के किसी निष्कर्ष, परिणाम या सिफारिश को प्रश्नगत करे।

लोकपाल या लोकायुक्त का कोई अन्य का धारण न करना।

4. लोकपाल या लोकायुक्त संसद् का सदस्य या किसी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य न होगा और, (यथास्थिति, लोकपाल या लोकयुक्त के रूप में अपने पद से भिन्न) कोई न्यास का पद धारण नहीं करेगा, न किसी राजनीतिक दल से संसक्त होगा, न कोई कारबार या वृत्ति करेगा और तदनुसार, यथास्थिति, लोकपाल या लोकयुक्त नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व——

(क) यदि वह संसद् का या किसी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य हो तो ऐसी सदस्यता त्याग देगा ;

(ख) यदि वह न्यास या लाभ का कोई पद धारण करता हो, तो ऐसा पद त्याग देगा ;

(ग) यदि किसी राजनीतिक दल से संसक्त हो तो, उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लेगा ; अथवा

(घ) यदि वह कोई कारबार कर रहा हो तो (अपने आप को स्वामित्व से निर्विहित को छोड़कर) ऐसे कारबार के संचालन और प्रबन्ध से अपने सम्बन्ध तोड़ लेगा ;

(ङ) यदि वह कोई वृत्ति कर रहा हो तो ऐसी वृत्ति करना समाप्त कर देगा।

लोकपाल और लोकायुक्त की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें।

5. (1) लोकपाल या लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया हर व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा;

*　　　*　　　*　　　*

परन्तु——

(क) लोकपाल या लोकायुक्त, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

(ख) लोकपाल या लोकायुक्त धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से पद से हटाया जा सकेगा।

*　　　*　　　*　　　*

(2) यदि लोकपाल के या लोकायुक्त के पद में रिक्ति हो जाए अथवा लोकपाल या लोकायुक्त अनुपस्थिति के कारण या अन्य किसी भी कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो, जब तक कि धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति वह पद ग्रहण न कर ले, या, यथास्थिति, जब तक कि

लोकपाल या लोकायुक्त अपने कर्तव्यों पर वापस न आ जाए, उसके कर्तव्य निम्नलिखित द्वारा किए जाएंगे––

(क) जहां कि लोकपाल के पद में रिक्ति होती है या जहां कि वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है वहां लोकायुक्त द्वारा या जहां कि दो या अधिक लोकायुक्त हों, वहां लोकायुक्तों में से उसके द्वारा जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे ;

(ख) जहां कि लोकायुक्त के पद में रिक्ति होती है या जहां कि वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो वहां स्वयं लोकपाल द्वारा, या यदि लोकपाल ऐसा निदेश दे तो, यथास्थिति, अन्य लोकायुक्त द्वारा या अन्य लोकायुक्तों में उसके द्वारा जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) लोकपाल या लोकायुक्त, जब उसका पद धारण करना समाप्त हो जाए, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन (चाहे लोकपाल या लोकायुक्त के रूप में या किसी अन्य हैसियत में) किसी और नियोजन के लिए या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, निगम, सरकारी कम्पनी या सोसाइटी के जो धारा 2 के खण्ड (ट) के उपखण्ड (iv) में निर्दिष्ट है, अधीन किसी नियोजन के लिए या उसमें किसी पद के लिए अपात्र होगा ।

(4) लोकपाल और लोकायुक्तों को ऐसे सम्बलम दिए जाएंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

(5) लोकपाल और हर लोकायुक्त भाटक के संदाय के बिना शासकीय निवास-स्थान के उपयोग का हकदार होगा ।

(6) लोकपाल या लोकायुक्त को संदेश भत्ते और पैंशन तथा उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ;

परन्तु––

(क) लोकपाल को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों के विहित करने में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जाएगा ;

(ख) लोकायुक्त को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों को विहित करने में, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जाएगा ;

परन्तु यह और कि लोकपाल या लोकायुक्त को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् ऐसा फेरफार नहीं किया जाएगा जो उसके लिए अहितकर हो ।

6. (1) संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि लोकपाल या लोकायुक्त अपने पद से कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा और किसी अन्य आधार पर नहीं ;

लोकपाल तथा लोकायुक्त का हटाया जाना ।

परन्तु ऐसे हटाए जाने के पूर्व उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित जांच राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो ।

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अपनी जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा जो उसे, यथाशक्य शीघ्र, संसद् के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति लोकपाल या लोकायुक्त को तब तक नहीं हटाएगा जब तक कि ऐसे हटाए जाने के लिए हर एक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत न कर दिया जाए ।

7. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि लोकपाल किसी भी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण कर सकेगा जो—

विषय जिनका अन्वेष लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा किया जा सकेगा ।

(i) किसी मंत्री या सचिव, अथवा

(ii) लोकपाल के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए गए लोक सेवकों के वर्ग या उपवर्ग के किसी अन्य लोक सेवक,

द्वारा, या उसके साधारण या विनिर्दिष्ट अनुमोदन से किसी ऐसे मामले में की गई हो जिसमें ऐसे मामले की बाबत शिकायत या अभिकथन अन्तर्वलित करने वाला परिवार किया जाए या जिसमें लोकपाल की राय में ऐसी कार्रवाई शिकायत या अभिकथन का विषय हो सकती हो या हो सकती थी ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि लोकायुक्त किसी भी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण कर सकेगा जो किसी ऐसे आफिसर या अन्य लोक सेवक द्वारा या उसके साधारण विनिर्दिष्ट अनुमोदन से, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट मंत्री, सचिव या अन्य लोक सेवक न हों, किसी ऐसे मामले में की गई हो जिसमें ऐसे मामले की बाबत शिकायत या अभिकथन अन्तर्वलित करने वाला परिवाद किया जाए या जिसमें लोकायुक्त की राय में ऐसी कार्रवाई शिकायत या अभिकथन का विषय हो सकती हो या हो सकती थी ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण कर सकेगा जिसका उस उपधारा के अधीन लोकायुक्त द्वारा अन्वेषण किया जा सकता है, चाहे ऐसी कार्रवाई की बाबत लोकपाल से परिवाद किया गया हो या नहीं ।

(4) जहां कि इस अधिनियम के अधीन दो या अधिक लोकायुक्त नियुक्त किए जाएं वहां लोकपाल साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनमें से हर एक को वह विषय समनुदिष्ट कर सकेगा जिनका अन्वेषण उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा ;

परन्तु लोकायुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया अन्वेषण और ऐसे अन्वेषण की बाबत उसके द्वारा की गई कार्रवाई या बात केवल इस आधार पर प्रश्नगत न की जा सकेगी कि ऐसा अन्वेषण ऐसे विषय के सम्बन्ध में है जो उसे ऐसे आदेश के अधीन समनुदिष्ट नहीं किया गया है ।

वे विषय जो अन्वेषण आदि के अध्यधीन नहीं हैं ।

8. (1) एतस्मिन्पश्चात् यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, लोकपाल या लोकायुक्त किसी कार्रवाई की बाबत शिकायत अन्तर्वलित करने वाले परिवार के मामले में इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण नहीं करेगा––

(क) यदि ऐसी कार्रवाई तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में है, अथवा

(ख) यदि परिवादी को किसी अधिकरण या विधि-न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के रूप में कोई उपचार प्राप्त है या था ;

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि परिवादी को ऐसा उपचार प्राप्त था या है, लोकपाल या लोकायुक्त अन्वेषण कर सकेगा यदि, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त का यह समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त हेतुक से ऐसे उपचार का आश्रय नहीं ले सकता था या नहीं ले सकता है ।

(2) लोकपाल या लोकायुक्त किसी ऐसी कार्रवाई की जांच नहीं करेगा––

1850 का 37 (क) जिसकी बाबत लोकपाल की पूर्व-सहमति से लोक सेवक जांच अधिनियम, 1850 के अधीन औपचारिक और लोक जांच का आदेश कर दिया गया है ; अथवा

1952 का 60 (ख) ऐसे विषय की बाबत जो लोकपाल की पूर्व-सहमति से जांच अधिनियम, 1950 के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है ।

(3) लोकपाल या लोकायुक्त किसी ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें धारा 2 के खण्ड (ट) के उपखण्ड (iv) में निर्दिष्ट लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत अन्तर्वलित हो ।

(4) लोकपाल या कोई लोकायुक्त किसी ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जो धारा 18 के अधीन निकाली गई अधिसूचना के आधार पर उसकी अधिकारिता से अपवर्जित कर दिया गया है ।

(5) लोकपाल या लोकायुक्त किसी ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा––

(क) जिसमें शिकायत अंतर्वलित हो, यदि परिवाद परिवादित कार्रवाई के परिवादी को जानकारी में जाने की तारीख से बारह मास के अवसान के पश्चात् किया जाए ;

(ख) जिसमें अभिकथन अंतर्वलित हो, यदि परिवाद उस तारीख से पांच वर्ष के अवसान के पश्चात् किया जाए जब कि परिवादित कार्रवाई का किया जाना अभिकथित हो ;

परन्तु लोकपाल या लोकायुक्त खंड (क) के निर्दिष्ट परिवाद ग्रहण कर सकेगा यदि परिवादी उसका समाधान कर दे कि उस खंड में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर परिवाद न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था ।

(6) शिकायत अंतर्वलित करने वाले परिवाद की दशा में इस धारा में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह लोकपाल या लोकायुक्त को इस बात के लिए सशक्त करती है कि वह किसी ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई को तब के सिवाय प्रश्नगत करे जिसमें विवेकाधिकार का प्रयोग अन्तर्वलित हो, जब कि उसका समाधान हो जाए कि विवेकाधिकार के प्रयोग में अन्तर्वलित तत्व ऐसे विस्तार तक अनुपस्थित हैं कि विवेकाधिकार को उचित रूप से प्रयोग किया गया नहीं माना जा सकता ।

परिवादों के संबंध में उपबंध ।

9. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि इस अधिनियम के अधीन कोई परिवाद लोकपाल को या लोकायुक्त को--

(क) शिकायत की दशा में, व्यथित व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा,

(ख) अभिकथन की दशा में, लोक सेवक से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा ;

परन्तु जहां कि व्यथित की मृत्यु हो गई हो या किसी कारणवश अपनी ओर से कार्य करने में असमर्थ हो तो परिवाद किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो, यथास्थिति, विधि में उसकी संपदा का प्रतिनिधित्व करता हो या ऐसे व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कर दिया गया हो ।

(2) हर परिवाद ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसके साथ ऐसे शपथ-पत्र****होंगे जो विहित किए जाएं ।

(3) किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस अभिरक्षा में से या जेल में से या पागलखाने में से या उन्मत्त व्यक्तियों के किसी अन्य स्थान में से किसी व्यक्ति द्वारा लोकपाल या लोकायुक्त को लिखे गए कोई पत्र प्रेषिती को बिना खोले हुए और बिना विलम्ब के उस पुलिस आफिसर द्वारा या अन्य आफिसर या व्यक्ति द्वारा जो ऐसे जेल, पागलखाने या स्थान का भारसाधक हो, अग्रेषित किया जाएगा ।

अन्वेषणों की बाबत प्रक्रिया ।

10. (1) जहां कि लोकपाल या लोकायुक्त (ऐसी प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे) इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने की प्रस्थापना करें वहां वह--

(क) परिवाद की एक प्रतिलिपि या ऐसे अन्वेषण की दशा में जो वह स्वप्रेरणा पर करने की प्रस्थापना करे, उसके आधारों का उस वर्णन करने वाला एक कथन संपृक्त लोक सेवक को और संपृक्त सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा, × × ×

(ख) संपृक्त लोक सेवक को उस बात का अवसर देगा कि वह उस परिवाद या कथन पर अपनी टीका-टिप्पणी दे ; तथा

(ग) अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) हर ऐसा अन्वेषण प्राइवेट में किया जाएगा और विशिष्टता-परिवादी का और अन्वेषण द्वारा प्रभावित लोक सेवक का अभिज्ञान जनता को या प्रेस को, चाहे अन्वेषण के पूर्व, दौरान या पश्चात् प्रकट नहीं किया जाएगा ;

परन्तु लोकपाल या लोकायुक्त किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में जो निश्चित रूप से लोक-महत्व का हो, कोई अन्वेषण सार्वजनिक रूप से उस दशा में कर सकेगा जब कि वह ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसा करना ठीक समझे ।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय कोई ऐसा अन्वेषण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे ।

(4) लोकपाल या लोकायुक्त स्वविवेकानुसार किसी ऐसे परिवाद का, जिसमें कोई शिकायत या अभिकथन अन्तर्वलित हो, अन्वेषण करने से इन्कार कर सकेगा या उसका अन्वेषण बन्द कर सकेगा यदि उसकी राय में—

(क) परिवाद तुच्छ या तंग करने वाला हो या सद्भावपूर्वक न किया गया हो, अथवा

(ख) यथास्थिति, अन्वेषण करने के लिए या अन्वेषण चालू रखने के लिए पर्याप्त आधार न हो, अथवा

(ग) परिवादी को विधि के अधीन अन्य उपचार उपलभ्य हों और मामले की परिस्थितियों में यह अधिक उचित होगा कि परिवादी ऐसे उपचारों का लाभ उठाए ।

(5) किसी मामले में जिसमें लोकपाल या लोकायुक्त परिवाद को ग्रहण न करने का या किसी परिवाद की बाबत अन्वेषण बन्द करने का विनिश्चय करे, वह उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा और उन्हें परिवादी और सम्पृक्त लोक सेवक को संसूचित करेगा ।

(6) किसी कार्रवाई की बाबत इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण किए जाने से उस कार्रवाई पर या अन्वेषणाधीन मामले की बाबत आगे कार्रवाई करने की लोक सेवक की शक्ति या कर्तव्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

11. (1) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि इस अधिनियम के अधीन के किसी अन्वेषण के (जिसके अन्तर्गत अन्वेषण के पूर्व की प्रारम्भिक जांच, यदि कोई हो, आती है) प्रयोजन के लिए लोकपाल या लोकायुक्त किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में अन्वेषण से सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेज पेश करने के योग्य हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे या ऐसी दस्तावेज पेश करे । साक्ष्य

(2) किसी ऐसे अन्वेषण के (जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक जांच, यदि कोई हो, आती है) प्रयोजन के लिए लोकपाल या लोकायुक्त को निम्नलिखित विषयों के बारे में वे समस्त शक्तियां होंगी जो सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय होती हैं–– 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी अभिलेख को या उसकी प्रतिलिपि को अध्यपेक्षित करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अन्य ऐसे विषय जो विहित किए जाएं ।

(3) लोकपाल या लोकायुक्त के समक्ष की किसी कार्यवाही के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही है । 1860 का 45

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि किसी रहस्य को अथवा सरकार या किसी लोक सेवक द्वारा अभिप्राप्त या को प्रस्तुत की गई जानकारी के प्रकटन पर निर्बन्धन को बनाए रखने का दायित्व, चाहे वह किसी अधिनियमिति या विधि के किसी नियम द्वारा अधिरोपित हो या नहीं, इस अधिनियम के अधीन के किसी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए जानकारी के प्रकटन को लागू नहीं होगा और ऐसे किसी अन्वेषण के सम्बन्ध में सरकार या लोक सेवक, दस्तावेजों के पेश किए जाने या साक्ष्य दिए जाने की बावत किसी ऐसे विशेषाधिकार का हकदार न होगा जो किसी अधिनियमिति द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा विधिक कार्रवाई में अनुज्ञात है।

(5) इस अधिनियम के कारण कोई व्यक्ति ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत करने या ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने या किसी दस्तावेज का उतना भाग पेश करने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत नहीं होगा—

(क) जिससे भारत की सुरक्षा या प्रतिरक्षा या अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों (जिसके अन्तर्गत किसी अन्य देश की सरकार या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघटन के साथ भारत के सम्बन्ध आते हैं) या अपराध के अन्वेषण या पता लगाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

(ख) जिसमें संघ सरकार के मंत्रि-मंडल या उस मंत्रि-मंडल की किसी समिति या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के मंत्रि-मंडल की या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के अधीन गठित कार्यपालिका परिषद् की या ऐसे मंत्रि-मंडल या कार्यपालिका परिषद् की किसी समिति की कार्यवाही का प्रकटन अन्तर्वलित हो,

1966 का 19

और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र जो यह प्रमाणित करता हो कि कोई जानकारी, उत्तर या दस्तावेज का भाग खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है, बाध्यकर और अन्तिम होगा।

(6) उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजन के लिए ऐसा कोई साक्ष्य देने के लिए किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसके, किसी न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही में देने या पेश करने के लिए वह विवश नहीं किया जा सकता था।

लोकपाल तथा लोकायुक्तों की रिपोर्टें।

12. (1) यदि ऐसी किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसकी बाबत शिकायत अन्तर्वलित करने वाला परिवाद किया गया है या किया जा सकता है या किया जा सकता था, लोकपाल या लोकायुक्त का यह समाधान हो जाए कि ऐसी कार्यवाही से परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय अथवा उसे असम्यक कष्ट हुआ है, तो लोकपाल या लोकायुक्त लिखित रिपोर्ट द्वारा सम्पृक्त लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से यह सिफारिश करेगा कि ऐसे अन्याय अथवा असम्यक कष्ट का उपचार प्रतितोष ऐसी रीति से ऐसे समय के भीतर किया जाए जिसे रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) वह सक्षम प्राधिकारी जिसे उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट भेजी जाती है, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से एक महीने के भीतर, यथा-स्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त को रिपोर्ट के अनुपालन के लिए की गई कार्रवाई से इत्तला देगा या इत्तला दिलाएगा।

(3) यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसकी बाबत अभिकथन अन्तर्वलित करने वाला परिवाद किया गया है या किया जा सकता है या किया जा सकता था, लोकपाल या लोकायुक्त का यह समाधान हो जाए कि ऐसे अभिकथन को चाहे पूर्णतः या भागतः अभिपुष्ट किया जा सकता है तो वह लिखित रिपोर्ट द्वारा सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री या अन्य साक्ष्य सहित अपने निष्कर्षों और सिफारिशों की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी अपने को उपधारा (3) के अधीन अग्रेषित रिपोर्ट की परीक्षा करेगा और, रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीन मासों के भीतर रिपोर्ट के आधार पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई की इत्तिला, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त को देगा।

(5) यदि लोकपाल या लोकायुक्त उपधाराओं (1) और (3) में निर्दिष्ट अपनी सिफारिशों या निष्कर्षों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई से संतुष्ट हो जाता है तो वह परिवादी, सम्पृक्त लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी को इत्तिला देते हुए मामले को बन्द कर देगा, किन्तु जहां कि वह ऐसे संतुष्ट नहीं होता और यदि उसका यह विचार है कि मामला इस योग्य है तो वह मामले पर विशेष रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे सकेगा और स्वविवेकानुसार सम्पृक्त परिवादी को भी इत्तिला दे सकेगा ;

*   *   *   *

(6) लोकपाल और लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों के पालन पर प्रति वर्ष एक समेकित रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे।

*   *   *   *

(7) उपधारा (5) के अधीन की विशेष रिपोर्ट या उपधारा (6) के अधीन की वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति, उसकी प्रतिलिपि, स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसद् के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(8) धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि लोकपाल स्वविवेकानुसार अपने द्वारा या किसी लोकायुक्त द्वारा बन्द किए गए या अन्यथा निस्तारित किए गए उन मामलों का सार जो उसे साधारण लोक, शैक्षणिक या वृत्तिक हित के प्रतीत हों, ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्तियों को, जो वह समुचित समझे, समय-समय पर उपलब्ध करेगा।

लोकपाल और लोकायुक्तों का कर्मचारिवृन्द।

13. (1) लोकपाल, लोकपाल या लोकायुक्तों को इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आफिसर या अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा या नियुक्त करने के लिए लोकायुक्त या लोकपाल या लोकायुक्त के अधीनस्थ किसी आफिसर को प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) उन आफिसरों और कर्मचारियों के वर्ग जो उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए जा सकेंगे, उनके संबलम्, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें तथा लोकपाल और लोकायुक्तों की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जैसी कि लोकपाल से परामर्श करके विहित की जाएं।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन से लोकपाल या लोकायुक्त—

(i) केन्द्रीय सरकार की सम्मति से उस सरकार के किसी आफिसर या अन्वेषण अभिकरण की; अथवा

(ii) किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण की;

सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

जानकारी की गोपनीयता।

14. (1) लोकपाल या लोकायुक्तों या उनके कर्मचारिवृन्द के सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के अधीन के किसी अन्वेषण के दौरान या के सम्बन्ध में अभिप्राप्त

की गई जानकारी को और ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में अभिलिखित या संग्रहीत किए गए साक्ष्य को, धारा 10 की उपधारा (2) के परन्तुक के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए गोपनीय माना जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
1872 का 1 1872 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को यह हक नहीं होगा कि वह लोकपाल या किसी लोकायुक्त या लोकसेवक को ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिए या ऐसे अभिलिखित या संग्रहीत साक्ष्य को पेश करने के लिए विवश करे।

(2) उपधारा (1) में की कोई बात--

(क) अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए या उसपर की जाने वाली किसी रिपोर्ट में या ऐसी कार्रवाई या कार्यवाही के लिए जो ऐसी रिपोर्ट पर की जानी है, या

1923 का 19 (ख) शासकीय रहस्य अधिनियम, 1923, के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या शपथ भंग के अपराध के प्रयोजनों के लिए या धारा 15 के अधीन की किन्ही कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, या

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं,

किसी जानकारी या विशिष्टियों के प्रकटीकरण को लागू नहीं होगी।

(3) कोई आफिसर या इस निमित्त विहित अन्य प्राधिकारी, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त को लिखित सूचना दे सकेगा कि सूचना में विनिर्दिष्ट दस्तावेज या जानकारी या ऐसे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के किसी वर्ग की बाबत केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उन दस्तावेजों या जानकारी का या उस वर्ग की दस्तावेजों या जानकारी का प्रकटीकरण लोक हित के प्रतिकूल होगा, और जहां कि ऐसी सूचना दी जाती है वहां इस अधिनियम में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह लोकपाल, लोकायुक्त या उनके कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को सूचना में विनिर्दिष्ट किसी दस्तावेज या जानकारी या ऐसे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या जानकारी के किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति को संसूचित करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित करती है।

*   *   *   *

लोकपाल या लोकायुक्त का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना या उसे कुख्यात करना।

15. (1) जो कोई लोकपाल या लोकायुक्त का उस समय जब कि लोकपाल या लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण कर रहा हो, साशय कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई, बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा ऐसा कोई कथन करेगा या प्रकाशित करेगा या कोई अन्य कार्य करेगा जो लोकपाल या लोकायुक्त को कुख्यात करने के लिए प्रकल्पित हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 198ख के उपबन्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन के अपराध के सम्बन्ध में इसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वह उक्त धारा 198ख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध के सम्बन्ध में लागू होते हैं, किन्तु इस उपान्तर के अध्यधीन कि ऐसे अपराध के बारे में कोई परिवाद लोक अभियोजक द्वारा-- 1898 का 5

(क) लोकपाल के विरुद्ध अपराध की दशा में, लोकपाल के;

(ख) लोकायुक्त के विरुद्ध अपराध की दशा में, सम्पृक्त लोकायुक्त के, पूर्वानुमोदन से किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा।

परित्राण।

16. (1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, लोकपाल या लोकायुक्तों या उनके कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य के विरुद्ध न होगी।

(2) लोकपाल या लोकायुक्तों की कोई भी कार्यवाही प्ररूप के न होने के कारण गलत नहीं मानी जाएगी, और अधिकारिता के आधार पर के सिवाय लोकपाल या लोकायुक्त की कार्यवाही या विनिश्चय किसी न्यायालय में आक्षेप किए जाने, पुनर्विलोकित किए जाने, अभिखण्डित किए जाने या प्रश्नगत किए जाने का दायी न होगा।

लोकपाल तथा लोकायुक्तों को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदत्त किया जाना।

17. (1) राष्ट्रपति, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा और लोकपाल से परामर्श करके, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त को शिकायतों के प्रतितोष और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के सम्बन्ध में ऐसे कृत्य प्रदत्त कर सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) राष्ट्रपति लिखित आदेश द्वारा और लोकपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोकपाल या लोकायुक्त को, शिकायतों के प्रतितोष और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त अभिकरणों, प्राधिकारियों या आफिसरों पर पर्यवेक्षण की प्रकृति की ऐसी शक्तियों को प्रदत्त कर सकेगा।

(3) राष्ट्रपति लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अध्यधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लोकपाल से यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी कार्रवाई का (जो ऐसी कार्रवाई हो जिसके बारे में इस अधिनियम के अधीन लोकपाल का लोकायुक्त से परिवाद किया जा सकता है) अन्वेषण करे और इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल के ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा।

परन्तु लोकपाल किसी ऐसी कार्रवाई का (जो ऐसी कार्रवाई हो जिसके बारे में इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त से परिवाद किया जा सकता है) अन्वेषण किसी लोकायुक्त को न्यस्त कर सकेगा।

(4) जब लोकपाल या लोकायुक्त पर उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कृत्य प्रदान किया जाए या जब लोकपाल या लोकायुक्त को किसी कार्रवाई का अन्वेषण उपधारा 3 के अधीन करना हो, तब लोकपाल या लोकायुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जो वह, यथास्थिति, कोई शिकायत या अभिकथन अन्तर्वलित करने वाले परिवाद पर किए गए अन्वेषण की दशा में करता, और इस अधिनियम के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे।

लोक सेवकों के कतिपय वर्ष के विरुद्ध परिवादों को अपवर्जित करने की शक्ति।

18. (1) केन्द्रीय सरकार लोकपाल की सिफारिश पर और अपना यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन परिवादों को जिनमें ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत या अभिवचन अन्तर्वलित हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट लोकसेवकों के वर्ग के हैं, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त की अधिकारिता से अपवर्जित कर सकेगी ;

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना उन सेवकों के बारे में नहीं निकाली जाएगी जो ऐसे पद धारण कर रहे हों जिनका, भत्तों का अपवर्जन करते हुए, न्यूनतम मासिक सम्बलम् एक हज़ार रुपए या अधिक है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निकाली गई हर अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, संसद् के हरएक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह अधिसूचना यथास्थिति ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगी या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस अधिसूचना के आधार पर पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

प्रत्यायोजित करने की शक्ति।

19. लोकपाल या लोकायुक्त साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यह निदेश कर सकेगा कि (धारा 12 के अधीन राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने की शक्ति के सिवाय) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन धारा 13 में निर्दिष्ट ऐसे आफिसरों, कर्मचारियों या अभिकरणों द्वारा भी किया जा सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

नियम बनाने की शक्ति।

20. (1) राष्ट्रपति, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे —

(क) वे प्राधिकारी जिनका धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन विहित किया जाना है ;

(ख) लोकपाल और लोकायुक्तों को संदेय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तें,

(ग) * * * *वह प्ररूप जिसमें परिवाद किए जा सकेंगे और वे फीसें, यदि कोई हों, जो उनकी बाबत प्रभारित की जा सकेंगी,

(घ) सिविल न्यायालय की वे शक्तियां जिनका प्रयोग लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा किया जा सकेगा,

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए या जिसके बारे में यह अधिनियम कोई उपबन्ध नहीं करता या अपर्याप्त उपबन्ध करता है और राष्ट्रपति की राय में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वियन के लिए उपबन्ध करना आवश्यक है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के हर एक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो कुल मिला कर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या अव्यवहित पश्चात्वर्ती सत्र के, अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु ऐसे कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

21. शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह लोकपाल या लोकायुक्त को किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत करती है जो— शंकाओं का निराकरण।

(क) भारतीय दंड संहिता की धारा 19 में यथापरिभाषित किसी न्यायाधीश के; 1860 का 45

(ख) भारत में किसी न्यायालय के किसी आफिसर या सेवक के;

(ग) भारत के नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक के;

(घ) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के;

(ङ) संविधान के अनुच्छेद 324 के निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों के;

(च) संसद् के किसी भी सदन या किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा या दिल्ली की राजधानी परिषद् के सचिवीय कर्मचारी वर्ग के किसी सदस्य के;

द्वारा या उसके अनुमोदन से की गई हो।

व्यावृत्ति

22. इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियमिति के या किसी विधि के नियम के अतिरिक्त होंगे जिसके अधीन किसी कार्रवाई के बारे में इस अधिनियम के अधीन परिवाद करने वाले व्यक्ति को अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या किसी अन्य रीति में कोई उपचार उपलभ्य है, और इस अधिनियम में की कोई बात ऐसे व्यक्ति के ऐसे उपचार का उपयोग करने के अधिकतर को परिसीमित या प्रभावित नहीं करेगी।

प्रथम अनुसूची

[धारा 3 (2) देखिए]

मैं .... जो लोकपाल/लोकायुक्त नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक पूरी तथा अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, पालन करूंगा।

द्वितीय अनुसूची

[धारा 5 (4) देखिए]

लोकपाल और लोकायुक्त को वास्तविक सेवा पर बिताए गए समय के बारे में निम्नलिखित दरों से प्रतिमास सम्बलम् दिया जाएगा अर्थात्—

लोकपाल . . . . . 5,000 रुपए

लोकायुक्त . . . . . 4,000 रुपए

परन्तु यदि किसी लोकपाल अथवा लोकायुक्त को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य सरकार की अथवा उसकी पूववर्ती सरकारों में से किसी की पहले की गई सेवा के बारे में (निर्योग्यता या क्षत पेन्शन के अतिरिक्त) कोई पेन्शन मिलती हो तो, यथास्थिति, लोकपाल अथवा लोकायुक्त के रूप में सेवा के बारे में उसके सम्बलम् में से—

(क) पेन्शन की राशि, और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, सेवा के सम्बन्ध में अपने को देय पेन्शन के एक प्रभाग के बदले में उसका संराशिकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेन्शन के उस प्रभाग की राशि और,

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा के सम्बन्ध में निवृत्ति उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान की समतुल्य पेन्शन, घटा दी जाएगी।

तृतीय अनुसूची

[धारा 8 (1) (क) देखिए]

(क) किसी ऐसे विषय पर, जो किसी सचिव द्वारा, भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार या राज्यों या सरकारों के किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघटन के बीच सम्बन्धों और संव्यवहारों को प्रभावित करने वाला प्रमाणित किया गया है, की गई कार्रवाई ।

1962 का 34 (ख) निष्कर्षण अधिनियम, 1962 या विदेशी अधिनियम, 1946 के
1946 का 31 अधीन की गई कार्रवाई ।

(ग) अपराधों के अन्वेषण के या राज्य की सुरक्षा के संरक्षण के प्रयोजन के लिए की गई कार्रवाई जिसके अन्तर्गत पारपत्र और यात्रा दस्तावेजों के बारे में की गई कार्रवाई आती है ।

(घ) यह अवधारित करने के बारे में कि कोई मामला न्यायालय में जाएगा या नहीं, शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कार्रवाई ।

(ङ) उन विषयों पर जो ग्राहकों या प्रदायकों के साथ प्रशासन के केवल वाणिज्यिक सम्बन्धों को शासित करने वाली संविदा के निबन्धनों से उद्भूत हों, की गई कार्रवाई, तब के सिवाय जब कि परिवादी संविदा की बाध्यताओं को पूरा करने में तंग किया जाना या विलम्ब किया जाना अभिकथित करता हो ।

(च) लोक सेवकों की नियुक्तियां, हटाए जाने, वेतन, अनुशासन अधिवार्षिकी या सेवा की शर्तों से संबद्ध अन्य विषयों के बारे में की गई कार्रवाई, किन्तु पेंशन, उपदान, भविष्य-निधि या सेवा से निवृत्ति, उससे हटाए जाने या उसके पर्यवसान पर उद्भूत होने वाले दावों से संबद्ध कार्रवाई इसके अन्तर्गत नहीं आती ।

(छ) सम्मानों और पुरस्कारों का अनुदान ।

परिशिष्ट एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव

"कि सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या उन की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्यवाई के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात्:—

(1) श्री एस० ए० अगड़ी
(2) श्री के० अंबाजागन
(3) श्री फ्रेंक एन्थनी
(4) श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा
(5) हिज हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
(6) श्री सी० सी० देसाई
(7) श्री शिवाजीराव एस० देशमुख
(8) श्री गंगाचरण दीक्षित
(9) श्री समर गुह
(10) श्री कंवर लाल गुप्त
(11) श्री हेम राज
(12) श्री गुणानन्द ठाकुर
(13) डा० कर्णी सिंह
(14) श्री किन्दर लाल
(15) श्री थाण्डवन किरुतिनन
(16) श्री अमीया कुमार किस्कू
(17) श्री भोला नाथ मास्टर
(18) श्री वी० विश्वनाथ मेनन
(19) श्री एम० वी० राणा
(20) श्री जी० एस० रेड्डी
(21) श्रीमती उमा राय
(22) श्री नारायण स्वरूप शर्मा
(23) श्री योगेन्द्र शर्मा
(24) श्री शशिभूषण
(25) श्री विद्या चरण शुक्ल

(26) श्री रामशेखर प्रसाद सिंह

(27) श्री आर० के० सिन्हा

(28) श्री श्रद्धाकर सूपकार

(29) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्

(30) श्री यशवन्त राव चव्हाण; और

राज्य-सभा के 15 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य-सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये"।

परिशिष्ट दो

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 3)

राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या उनकी ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्रवाई के अन्वेषण के लिये कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने के लिये विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें :—

1. श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर
2. श्री हरिश्चन्द्र माथुर
3. सरदार जोगेन्द्र सिंह
4. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
5. श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह
6. श्री पूर्णानन्द चेतिया
7. श्री अकबर अली खान
8. श्री के० एस० रामस्वामी
9. श्री वी० टी० नागपुरे
10. श्रीमती पुष्पाबन जनार्दनराय महता
11. श्री एम० रत्नस्वामी
12. श्री सुन्दर सिंह भंडारी
13. श्री गोडे मुराहरि
14. श्री बालचन्द्र मनन
15. श्री ए० डी० मणि"

परिशिष्ट तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 7)

संयुक्त समिति द्वारा प्राप्त ज्ञापनों/अभ्यावेदनों का विवरण

क्रमांक	दस्तावेज का स्वरूप	जिससे प्राप्त हुआ	की गई कार्यवाही
1.	ज्ञापन	श्री के० एन० वांचू, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति	सदस्यों को भेजा गया ।
2.	तदेव	श्री आर० एम० दायमा, संयुक्त सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) चन्द्रपुर, मैसूर ।	तदेव
3.	अभ्यावेदन	श्री एस० गोपालकृष्णचार, सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त, चित्रदुर्ग, मैसूर ।	तदेव
4.	ज्ञापन	महाधिवक्ता, हरयाणा	तदेव
5.	तदेव	श्री पी० एस० कांट्रेक्टर, बम्बई ।	तदेव
6.	तदेव	निदेशक, नागरिक सलाह ब्यूरो, नई दिल्ली	तदेव
7.	तदेव	महाधिवक्ता	तदेव
8.	तदेव	श्री एच० सी० शर्मा, नई दिल्ली ।	तदेव
9.	ज्ञापन	अध्यक्ष, केन्द्रीय सनातन धर्म महासभा	तदेव
10.	तदेव	उत्तर प्रदेश की विधिज्ञ परिषद्	तदेव
11.	तदेव	डा० लक्ष्मी मल सिंघवी, भूतपूर्व संसद सदस्य	तदेव
12.	तदेव	गृह-कार्य मंत्रालय	तदेव
13.	तदेव	विधि परामर्शी, चडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़	तदेव
14.	तदेव	मणिपुर सरकार	तदेव
15.	तदेव	श्री आर० एन० सिंह देव, मुख्य मंत्री, उड़ीसा ।	तदेव
16.	टिप्पण	वित्त मंत्रालय	तदेव
17.	पत्र	गुजरात सरकार	तदेव
18.	टिप्पण	औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय	तदेव
19.	ज्ञापन	महाराष्ट्र सरकार	तदेव

क्रमांक	दस्तावज का स्वरूप	जिससे प्राप्त हुआ	की गई कार्यवाही
20.	ज्ञापन	श्री के० संथानम, भूतपूर्व संसद् सदस्य	सदस्यों को भेजा गया ।
21.	पत्र	सदर्न मिलओनर्स एसोसियेशन, कोयम्बत्तूर	तदेव
22.	ज्ञापन	प्रोफेसर पी० के० त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय	तदेव
23.	ज्ञापन	दिल्ली प्रशासन, दिल्ली	तदेव
24.	ज्ञापन	पश्चिमी बंगाल की विधि परिषद्	तदेव
25.	ज्ञापन	मध्य प्रदेश सरकार	तदेव
26.	तदेव	याचिका समिति, लोक-सभा	तदेव
27.	टिप्पणी	श्री एस० एल० सीलम, उप-राज्यपाल, पांडिचेरी	तदेव
28.	ज्ञापन	उत्तर प्रदेश सरकार	तदेव
29.	तदेव	जम्मू तथा काश्मीर सरकार	तदेव
30.	तदेव	गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मंडल	तदेव
31.	पत्र	माननीय एम० हिदायतुल्ला, भारत के मुख्य न्यायाधिपति	तदेव
32.	नोट	गृह-कार्य मंत्रालय	तदेव
33.	नोट	महा निदेशक सतर्कता, रेलवे बोर्ड	तदेव
34.	ज्ञापन	श्री पी० एन० सप्रू, भूतपूर्व संसद् सदस्य	तदेव
35.	तदेव	श्री एस० दत्त, पश्चिमी बंगाल के सतर्कता आयुक्त	तदेव
36.	नोट	गृह-कार्य मंत्रालय	तदेव
37.	नोट	श्री ए० एन० झा, उप राज्यपाल, दिल्ली	तदेव
38.	प्रारूप संशोधन	डा० लक्ष्मी मल सिंघवी, भूतपूर्व संसद् सदस्य	तदेव
39.	नोट	श्री एम० सी० सीतलवाद, संसद् सदस्य	तदेव
40.	नोट	श्री के० एन० नागरकट्टी, सभापति, असैनिक सेवकों, प्रशासन सुधार आयोग के बारे में नीतियों सम्बन्धी अध्ययन दल	तदेव
41.	ज्ञापन	त्रिपुरा सरकार	तदेव
42.	नोट	गृह-कार्य मंत्रालय	तदेव

परिशिष्ट चार

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 8)

साक्षी जिनका परीक्षण किया गया

क्रमांक	साक्षी का नाम	सुनवाई की तारीख	पृष्ठ
1.	श्री डी० डी० दीवान, निदेशक, नागरिक परामर्श ब्यूरो, नई दिल्ली	4-7-1968	
2.	केन्द्रीय सनातन धर्म महासभा, दरयागंज, दिल्ली **प्रवक्ता**-- 1. श्री भगवान स्वरूप भटनागर, प्रधान 2. श्री चन्दू लाल गुप्त, उप-प्रधान 3. श्री विद्या भूषण, सदस्य	5-7-1968	
3.	भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि (एक) श्री एन० एन० वांचू, सचिव, औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (दो) श्री के० बी० लाल, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय (तीन) श्री पी० गोविन्दन नायर, सचिव, वित्त मंत्रालय श्री एम० एस० नंजुंदैया, निदेशक, वित्त मंत्रालय (चार) श्री एन० के० मुखर्जी, संयुक्त सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) (पांच) श्री एन० लूथर, उप-सचिव, इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय	6-7-1968	
4.	श्री के० सन्थानम, भूतपूर्व संसद सदस्य	22-7-1968	
5.	डा० एच० एन० कुंजरू भूतपूर्व संसद सदस्य	3-8-1968	
6.	प्रोफेसर पी० के० त्रिपाठी, डीन, फैकुल्टी आफ़ ला, दिल्ली विश्वविद्यालय	3-8-1968	

क्रमांक	साक्षी का नाम	सुनवाई की तारीख	पृष्ठ
7.	श्री एन० श्रीनिवास राव, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	20-8-1968	
8.	रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	20-8-1968	
	प्रवक्ता— (1) श्री जी० डी० खाण्डेलवाल, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड (2) श्री बी० सी० गांगुली, सदस्य (कर्मचारी), रेलवे बोर्ड (3) श्री एस० डब्ल्यु शिवेश्वरकर, महानिदेशक, सतर्कता, रेलवे बोर्ड		
9.	श्री पी० एन० सप्रू, भूतपूर्व संसद सदस्य	23-8-1968	
10.	श्री सी० के० दफ्तरी भारत का महान्यायवादी	24-8-1968	
11.	श्री एम० सी० सीतलवाद, संसद सदस्य	24-8-1968	
12.	श्री एस० दत्त, सर्तकता आयुक्त, पश्चिमी बंगाल	24-8-1968	
13.	डा० लक्ष्मी मल सिंघवी, भूतपूर्व संसद सदस्य	24-8-1968	
14.	श्री ए० एन० मुल्ला, संसद सदस्य	31-8-1968	
15.	याचिका समिति, लोक सभा	24-10-1968	
	प्रवक्ता— (1) श्री दीवान चन्द शर्मा, चेयरमैन (2) श्री प्रकाशवीर शास्त्री, सदस्य (3) श्री ओंकार लाल बेरवा, सदस्य (4) श्री स० चं० सामन्त, सदस्य (5) श्री पी० सी० अदीचन, सदस्य		
16.	श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्, अधिवक्ता, मद्रास	7-12-1968	

परिशिष्ट पांच

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 29 मई, 1968 को 11.00 बजे से 12.10 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा—— **सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री एस० ए० अगड़ी
3. श्री के० अंबाजागन
4. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा
5. हिज़ हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
6. श्री सी० सी० देसाई
7. श्री शिवाजी राव एस० देशमुख
8. श्री गंगा चरण दीक्षित
9. श्री समर गुह
10. श्री कंवर लाल गुप्त
11. डा० कर्णी सिंह
12. श्री किन्दर लाल
13. श्री भोला नाथ मास्टर
14. श्री बी० विश्वनाथ मेनन
15. श्री जी० एस० रेड्डी
16. श्रीमती उमा राय
17. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
18. श्री योगेन्द्र शर्मा
19. श्री शशि भूषण
20. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
21. श्री आर० के० सिन्हा

22. श्री श्रद्धाकर सूपकार
23. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्
24. श्री यशवन्तराव चह्वाण

राज्य-सभा

25. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
26. श्री हरिश्चन्द्र माथुर
27. सरदार जोगेन्द्र सिंह
28. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
29. श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
30. श्री पूर्णानन्द चेतिया
31. श्री अकबर अली खान
32. श्री बी० टी० नागपुरे
33. श्री गोडे मुराहरि
34. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री — वैधानिक उप-परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी . . संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
2. श्री एस० पी० मुखर्जी . . संयुक्त सचिव (वी), गृह-कार्य मंत्रालय
3. श्री एस० पी० मुखर्जी . . निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग
4. श्री ए० पी० वीरा राघवन . . उप-सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला . . उप-सचिव

2. आरम्भ में, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और प्रस्तावित विधान के और समिति के समक्ष कार्य के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने गृह-कार्य मंत्री से अनुरोध किया कि कार्यवाही आरम्भ करने से पहले वह सदस्यों को विधेयक की पृष्टभूमि से अवगत करायें।

3. गृह-कार्य मंत्री ने बताया कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने शिकायतों को दूर करने के लिए विद्यमान व्यवस्था की उपयुक्तता का और इस प्रयोजनार्थ किसी नई मशीनरी के कायम करने की आवश्यकता का परीक्षण करते हुए एक अन्तरिम प्रतिवेदन दिया था जिसमें उसने कहा था कि जनता में यह विचार पाया जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति विधान मण्डलों और सार्वजनिक स्थानों में की गई है, कि भ्रष्टाचार और अकुशलता व्याप्त है और प्रशासन जनसाधारण की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं देता। इसलिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि भ्रष्टाचार के आरोप की जनता की शिकायतों या कुप्रशासन के कारण अन्याय की शिकायतों की जांच करने

के लिए एक मशीनरी कायम की जानी चाहिए ताकि प्रशासन की असफलताओं और सफलताओं पर उनके उचित प्रसंग में सार्वजनिक रूप से विचार किया जा सके। गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश को कार्य रूप देने के लिए, जहां तक इस का सम्बन्ध संघ सरकार के क्षेत्राधिकार के विषयों से है, वर्तमान विधेयक संसद में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि इस विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही की जायगी।

4. उसके पश्चात् समिति ने इस बारे में विचार किया कि विधेयक पर साक्ष्य लिया जाय या न लिया जाय। कुछ चर्चा के पश्चात् यह फैसला किया गया कि सार्वजनिक निकायों, मजदूर संघों, संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों से विधेयक पर 30 जून, 1968 तक ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाय। समिति ने यह फैसला भी किया कि राज्य सरकारों, केन्द्र तथा राज्यों की बार परिषदों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की बार एसोसिएशनों और वाणिज्य तथा उद्योग के मण्डलों से अनुरोध किया जाय कि वे समिति के उपयोग के लिये विधेयक के उपबन्धों पर यदि कोई टिप्पणयां भेजना चाहें तो उन्हें भेज दें। उसके पश्चात् समिति ने प्रेस विज्ञप्ति का (अनुबन्ध एक) और सब राज्यों सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं आदि (अनुबन्ध दो और तीन) को भेजे जाने वाले पत्रों का अनुमोदन किया।

5. समिति ने यह फैसला भी किया कि सभापति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया जाय कि वह समिति के उपयोग के लिए विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर, विशेषकर खण्ड 3 पर, जो लोकपाल तथा लोकायुक्तों की नियुक्ति से सम्बन्धित है, अपनी टिप्पणियां भेजें।

6. समिति ने सभापति को प्राधिकृत किया कि वह पार्टियों से लिखित ज्ञापन प्राप्त हो जाने के पश्चात् मौखिक साक्ष्य के लिए पार्टियों का चयन करें और प्रत्येक मामले में समय और तारीख निर्धारित करें।

7. समिति ने यह फैसला भी किया कि समिति के जो सदस्य मौखिक साक्ष्य के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम सुझाने के इच्छुक होंवे 25 जून, 1968 तक ऐसे नाम दे दें।

8. उसके पश्चात् समिति ने मौखिक साक्ष्य की सुनवाई के लिए और उसके पश्चात् विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिये गुरूवार 4 जुलाई, 1968 से प्रतिदिन 15.00 बजे बैठक करने का फैसला किया।

9. समिति ने यह फैसला भी किया कि यदि सदस्य विधेयक में संशोधन भेजने के इच्छुक हों तो वे 1 जुलाई, 1968 तक भेज दें। परन्तु उसके पश्चात् सम्बद्ध खण्ड पर विचार आरम्भ करने से पहले, संशोधन भेजने पर कोई रोक नहीं है।

उसके पश्चात् समिति स्थगित हुई।

अनुबन्ध एक

लोक सभा सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 सम्बन्धी संसद् की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति ने आज श्री एम०बी०राणा, संसद सदस्य, के सभापतित्व में हुई अपनी बैठक में फैसला किया कि, समिति के विचारार्थ, विधेयक पर ज्ञापन प्रस्तुत करने की इच्छुक राज्य सरकारें, सार्वजनिक निकाय, संगठन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की बार एसोसियेशनें और अन्य संस्थाएं, प्रत्येक ज्ञापन की 60 प्रतियां भेज दें और वे ज्ञापन नई दिल्ली स्थित संसद् भवन में लोक सभा के सचिव को 30 जून, 1968 को यह इससे पूर्व मिल जाने चाहिए। ये ज्ञापन, जो समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं, समिति के रिकार्ड में रहेंगे और उन्हें पूर्णत: गोपनीय समझा जाना चाहिए और किसी को भी भेजा नहीं जाना चाहए, चूंकि ऐसी कार्यवाही समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन मात्र होगी।

जो कोई ज्ञापन भेजने के साथ-साथ समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक हों उनसे निवेदन है कि वे समिति के विचारार्थ लोक सभा सचिवालयों को इस आशय की सूचना दें।

लोक सभा में पेश किये गये रूप में लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, दिनांक 9 मई, 1968 में प्रकाशित किया गया था।

मौखिक साक्ष्य की सुनवाई के लिए समिति की बैठकें 4 जुलाई, 1968 से नई दिल्ली में होंगी।

नई दिल्ली;

दिनांक 29 मई, 1968

संख्या 16/4/सी II/68 दिनांक 29 मई, 1968

आकाशवाणी, नई दिल्ली के समाचार सम्पादक को प्रति सूचनार्थ प्रेषित

यह अनुरोध है कि इसे बराबर तीन दिन तक आकाशवाणी से प्रसारित किया जाए।

मेहरचन्द चावला,
उप-सचिव

अनुबन्ध दो

डाक-प्रमाणित

लोक सभा सचिवालय

संसद भवन,
नई दिल्ली-1.

संख्या 16/4/सी II/68 — 29 मई, 1968/8 ज्येष्ठ, 1890 (शक)

प्रेषक

श्री मेहर चन्द चावला,
उप-सचिव

सेवा में

सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

विषय:—लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 सम्बन्धी संयुक्त समिति।

महोदय,

मुझे यह बताने का निदेश मिला है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 सम्बन्धी संयुक्त समिति ने आज हुई अपनी बैठक में फैसला किया है कि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा जाय कि यदि वे, समिति के विचारार्थ, लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 के उपबन्धों पर अपनी टिप्पणियां या सुझाव देने की इच्छुक हों तो उन्हें भेज दें और वे **अधिक से अधिक 30 जून, 1968 तक** इस सचिवालय को पहुंच जाने चाहिएं।

2. लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968, लोक सभा में पेश किए गये रूप में, भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, दिनांक 9 मई, 1968 में प्रकाशित किया गया था।

3. तथापि विधेयक की एक प्रति, तुरन्त देखने के लिए, इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।

4. यदि कोई टिप्पणियां या सुझाव भेजे जायें तो यह अनुरोध है कि उस की 60 प्रतियां संयुक्त समिति के सदस्यों को भेजे जाने के लिए इस सचिवालय को भेजी जाएं।

भवदीय,

उप-सचिव।

संलग्न पत्र—**उपरोक्त**।

अनुबन्ध तीन

डाक-प्रमाणित

लोक-सभा सचिवालय
[समिति शाखा ii]

संसद् भवन,
नई दिल्ली-1.

संख्या 16/4/सी।। /68 29 मई, 1968/8 ज्येष्ठ, 1890 (शक)

प्रेषक

श्री मेहर चन्द चावला,
उप-सचिव ।

सेवा में

विषय :—लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 सम्बन्धी संयुक्त समिति ।

महोदय,

मुझे यह बताने का निदेश मिला है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 सम्बन्धी संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति ने 29 मई, 1968 को हुई अपनी बैठक में फैसला किया है कि केन्द्र तथा राज्यों की बार परिषदों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की बार एसोसिएशनों और वाणिज्य तथा उद्योग के मण्डलों से कहा जाय कि यदि वे, समिति के विचारार्थ, लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 के उपबन्धों पर टिप्पणियां या सुझाव देने की इच्छुक हों तो उन्हें भेज दें और वे ज्यादा से ज्यादा 30 जून, 1968 तक इस सचिवालय को पहुंच जाने चाहिएं ।

2. समिति ने यह फैसला भी किया कि यदि वे इच्छुक हों तो समिति के समक्ष मौखिक साक्ष भी दे सकते हैं ।

3. मौखिक साक्ष्य की सुनवाई के लिए समिति की बैठकें गुरुवार, 4 जुलाई, 1968 से नई दिल्ली में होंगी ।

4. लोक-सभा में पेश किये गये रूप में लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 भारत के असाधारण राजपत्न भाग 2, खण्ड 2, दिनांक 9 मई, 1968 में प्रकाशित किया गया था । तथापि, विधेयक की एक प्राप्ति तुरन्त देखने के लिए इस पत्न के साथ भेजी जा रही हैं ।

5. यदि कोई टिप्पणियां या सुझाव दिये जायें, तो अनुरोध है कि उसकी 60 प्रतियां संयुक्त समिति के सदस्यों को भेजने के लिए इस सचिवालय को भेजी जायें ।

6. समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपके प्रतिनिधियों को कोई यात्ना या दैनिक भत्ता नहीं दिया जायगा ।

7. कृपया इस पत्न की प्राप्ति की सूचना दें ।

भवदीय,
उप-सचिव ।

संलग्न पत्न : उपरोक्त

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 4 जुलाई, 1968 को 15.00 से 16.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा— **सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री एस० ए० अगड़ी
3. श्री के० अंबाजगन
4. हिज हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
5. श्री शिवाजी राव एस० देशमुख
6. श्री गंगाचरण दीक्षित
7. श्री समर गुह
8. श्री गुणानन्द ठाकुर
9. श्री हेम राज
10. श्री किन्दर लाल
11. श्री थांडवन किरुत्तिनन
12. श्री भोला नाथ मास्टर
13. श्री वी० विश्वनाथ मेनन
14. श्री जी० एस० रेड्डी
15. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
16. श्री योगेन्द्र शर्मा
17. श्री शशि भूषण
18. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
19. श्री आर० के० सिन्हा
20. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्
21. श्री यशवन्त राव चह्वाण

राज्य सभा

22. श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर
23. श्री सरदार जोगिन्दर सिंह
24. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा

25. श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
26. श्री पूर्णानन्द चेतिया
27. श्री अकबर अली खान
28. श्री के० एस० रामस्वामी
29. श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता
30. श्री एम० रतनास्वामी
31. श्री गोडे मुराहरि
32. श्री बालचन्द्र मेनन
33. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया . . . सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय
2. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री . . अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह्-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुखर्जी . . संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
2. श्री एस० पी० मुखर्जी . . संयुक्त सचिव (वी०), गृहकार्य मंत्रालय
3. श्री एस० पी० मुखर्जी . . निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग
4. श्री ए० पी० वीरा राघवन . . उप सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय
5. श्री एस० एम० चिकरमाने . . अवर सचिव, प्रशासनिक सुधार आयोग

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला — उप-सचिव

साक्षी

श्री डी० डी० दीवान . . उप-सचिव नागरिक परामर्श ब्यूरो, नई दिल्ली

2. सभापति ने पहले निम्नलिखित संकल्प पेश किया जिसमें संसद् सदस्य श्री हरिश्चन्द्र माथुर जोकि समिति के सदस्य भी थे, की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया :—

"संयुक्त समिति ने राज्य सभा के वर्तमान सदस्य श्री हरिश्चन्द्र माथुर, जिन्होंने अपना जीवन संसदीय कार्य के लिए समर्पित कर दिया था और जो एक योग्य राजनीतिज्ञ थे, के दुःखद देहान्त पर गहरा शोक अभिलिखित करती है ।"

तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे ।

3. सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 सम्बन्धी संयुक्त समिति ने 29 मई, 1968 को हुई अपनी पहली बैठक में जो निर्णय लिया था उसके अनुसरण में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें राज्य सरकारों सार्वजनिक निकायों, संगठनों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की बार एसोसियेशनों आदि से ज्ञापन आमंत्रित किये गये और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, सभी राज्य सरकारों

संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों, केन्द्र तथा राज्यों की बार काउन्सिलों, उच्चतम् न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की बार काउन्सिलों, वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों, राज्य सरकारों के महाधिवक्ताओं तथा अन्य प्रसिद्ध न्यायविदों/ सार्वजनिक व्यक्तियों को भी पत्र भेजे गये जिसमें उनसे निवेदन किया गया कि वे विधेयक के उपबन्धों के बारे में 30 जून, 1968 को या उससे पहले अपनी टिप्पणियां भेजें और यदि उनसे साक्ष्य देने के लिए कहा जाये तो वह भी दें।

प्रेस विज्ञप्ति तथा पत्रों के उत्तर में निम्नलिखित संगठनों/व्यक्तियों से टिप्पणियां/ज्ञापन प्राप्त हुए और उन्हें संयुक्त समिति के सदस्यों में परिचालित किया गया :—

(एक) श्री के० एन वान्चू, भारत के सेवा निवृत मुख्य-न्यायाधिपति

(दो) श्री आर० एन० दायामा, संयुक्त सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), चन्द्रपुर, जिला चांदा (मैसूर राज्य)

(तीन) श्री एस० गोपाल कृष्णाचार, सेवा निवृत्त, सहायक आयुक्त, चित्रदुर्ग (मैसूर राज्य)

(चार) महाअधिवक्ता, हरियाणा

(पांच) श्री पी० एस० कांट्रेक्टर, बंबई

(छः) निदेशक, नागरिक परामर्श ब्यूरो, नई दिल्ली

(सात) महाअधिवक्ता, मैसूर

(आठ) श्री एच० सी० शर्मा, नई दिल्ली

(नौ) अध्यक्ष, केन्द्रीय सनातन धर्म महासभा, दिल्ली

(दस) उत्तर प्रदेश की बार कौंसिल

(ग्यारह) गृह्-कार्य मंत्रालय

(बारह) वैधानिक स्मरणकर्ता, चंडीगढ़ शासन, चन्डीगढ़

(तेरह) मणिपुर सरकार

(चौदह) डा० एल० एम० सिंघवी, भूतपूर्व संसद सदस्य और अधिवक्ता, भारत का उच्चतम् न्यायालय

निम्नलिखित पार्टियां अब संयुक्त समिति के सामने उनके सामने दिखाई गई तारीखों को मौखिक साक्ष्य देने के लिये पेश होंगी :—

(एक)	निदेशक, नागरिक परामर्श ब्यूरो, नई दिल्ली . .	4-7-1968
(दो)	केन्द्रीय सनातन धर्म महासभा दिल्ली के प्रतिनिधि . .	5-7-1968
(तीन)	वाणिज्य, औद्योगिक विकास तथा कम्पनी-कार्य, गृह-कार्य, वित्त और इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालयों के प्रतिनिधि . .	6-7-1968

4. सभापति ने आगे बताया कि निम्नलिखित व्यक्तियों ने भी संयुक्त समिति के सामने साक्ष्य देने की इस शर्त पर अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि उन्हें दिल्ली आने और वहां से वापस जाने की उनकी यात्रा पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये उन्हें यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता आदि अदा किया जाये।

(एक) श्री के० संथानम भूतपूर्व संसद् सदस्य

(दो) श्री पी० बी० चक्रवर्ती, सेवा निवृत्त मुख्य-न्यायाधिपति, कलकत्ता उच्च न्यायालय

(तीन) श्री आर० एन० दायामा, संयुक्त सिविल न्यायाधीश, चन्द्रपुर, जिला चांदा (मैसूर राज्य)

यह भी बताया गया कि सर्वश्री के० सन्थानम और वी० पी० चक्रवर्ती ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया जबकि श्री दायामा द्वारा भेजा गया ज्ञापन संयुक्त समिति के सदस्यों में परिचालित किया गया था। अब विचार करने की बात यह है कि उपर्युक्त व्यक्तियों को अगर संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था तो उन्हें यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाये या नहीं।

कुछ चर्चा के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि श्री के० सन्थानम और पी० बी० चक्रवर्ती को संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए क्रमश: 27 जुलाई, और 3 अगस्त, 1968 को बुलाया जाये और उन्हें यात्रा भत्ता तथा दनिक भत्ता अदा किया जाये।

5. समिति ने आगे यह निश्चय किया कि महान्यायवादी को भी मौखिक साक्ष्य देने के लिए 17 अगस्त, 1968 को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

6. समिति ने भूतपूर्व संसद् सदस्य डा० एच० एन० कुंजरू को समिति के समक्ष विधेयक के उपबन्धों पर अपनी राय देने के लिए आमंत्रित करने का भी निश्चय किया।

7. समिति ने बताया कि चूंकि समिति अगले सत्र के दौरान कुछ और गवाहों के साक्ष्य सुनेगी इसलिए अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होगा जैसा कि संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने के प्रस्ताव में उल्लेख किया गया था। अत: समिति को संसद् के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तक समय बढ़ाना पड़ेगा। समिति ने सभापति को प्राधिकार दिया कि वह इसकी ओर अध्यक्ष का भी ध्यान दिलायें जैसा कि अध्यक्ष के निदेशों के निर्देश 79(2) में बताया गया है। समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री तेन्नेटि विश्वनाथम को यह प्राधिकार भी दिया कि वह समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव सभा में अगले सत्र के पहले दिन अर्थात् 22 जुलाई, 1968 को पेश करें।

8. तत्पश्चात् श्री डी० डी० दीवान, निदेक्षक नागरिक परामर्श-ब्यूरो, नई दिल्ली, ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया।

9. साक्ष्य का शब्दश: अभिलेख रखा गया।

10. तत्पश्चात् समिति शुक्रवार, 5 जुलाई, 1968 को 15.00 बजे से पुन: बैठक के लिए स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 5 जुलाई, 1968 को 15.00 से 16.30 बजे तक हुई :—

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस० ए० अगड़ी
3. श्री के० अंबाजागन
4. हिज़ हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
5. श्री शिवाजीराव एस० देशमुख
6. श्री गंगाचरण दीक्षित
7. श्री समर गुह
8. श्री गुणानन्द ठाकुर
9. श्री हेमराज
10. श्री किन्दर लाल
11. श्री थांडवन किरुत्तिनन
12. श्री भोलानाथ मास्टर
13. श्री वी० विश्वनाथ मेनन
14. श्री जी० एस० रेड्डी
15. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
16. श्री योगेन्द्र शर्मा
17. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
18. श्री तेन्नटि विश्वनाथम

राज्य-सभा

19. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
20. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
21. श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
22. श्री पूर्णानन्द चेतिया
23. श्री अकबर अली खान
24. श्री के० एस० रामस्वामी
25. श्रीमती पुष्पा बेन जनार्दनराय मेहता
26. श्री एम० रतनास्वामी
27. श्री गोडे मुराहरि
28. श्री बालचन्द्र मेनन
29. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री . . संयुक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी . . . संयुक्त सचिव, प्रशासनिक. सुधार विभाग ।
2. श्री एस० पी० मुखर्जी . . . संयक्त सचिव (वी०), गृह-कार्य मंत्रालय ।
3. श्री एस० पी० मुकर्जी . . . निदेशक, प्रशासनिक सुधार-विभाग
4. श्री एस० एम० चिकरमाने . . . अवर सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—**उप सचिव**।

साक्षी

केन्द्रीय सनातन धर्म महासभा, दरयागंज, दिल्ली, के प्रतिनिधि :

1. श्री भगवान स्वरूप भटनागर . . . प्रधान
2. श्री चन्दू लाल गुप्त . . . . . उप-प्रधान
3. श्री विद्या भूषण . . . . . सदस्य

2. समिति ने केन्द्रीय सनातन धर्म महासभा, दिल्ली, के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्ष्य को सुना ।

3. साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया ।

4. तत्पश्चात् समिति शनिवार, 6 जुलाई, 1969 को 10.00 बजे तक के लिए पुनः बैठक के लिए स्थगित हुई ।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 6 जुलाई, 1968 को 10.00 से 12.35 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा—**सभापति**।

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री एस० ए० अगड़ी
3. श्री फ्रैंक एन्थनी
4. हिज़ हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
5. श्री शिवाजीराव एस० देशमुख
6. श्री गंगाचरण दीक्षित
7. श्री समर गुह
8. श्री गुणानन्द ठाकुर
9. श्री हेम राज
10. श्री किन्दर लाल
11. श्री थांडवन किरुत्तिनन
12. श्री भोला नाथ मास्टर
13. श्री जी० एस० रेड्डी
14. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
15. श्री योगेन्द्र शर्मा
16. श्री शशि भूषण
17. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
18. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम
19. श्री यशवन्त राव चव्हाण

राज्य-सभा

20. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
21. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
22. श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
23. श्री पूर्णानन्द चेतिया
24. श्री अकबर अली खान
25. श्री के० एस० रामस्वामी
26. श्रीमती पुष्पा बेन जनार्दनराय मेहता
27. श्री एम० रत्नस्वामी
28. श्री बालचन्द्र मेनन
29. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी–शास्त्री . . . अतिरिक्त परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० पी० मुखर्जी . . . संयुक्त सचिव (वी०), गृह-कार्य मंत्रालय
2. श्री एस० पी० मुकर्जी . . . निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग
3. श्री ए० पी० वीरा राघवन . . . उप सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय
4. श्री एस० एम० चिकरमाने . . . अवर सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला . . . . उप सचिव

साक्षी

मंत्रियों के प्रतिनिधि

1. श्री के० बी० लाल . . . . सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
2. श्री एन० एन० वांचू . . . सचिव, (औद्योगिक विकास), औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
3. श्री एन० के० मुकर्जी . . . संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग गृह-कार्य मंत्रालय ।
4. श्री पी० गोविन्दन नैयर . . . सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय
5. श्री एम० एस० नंजुन्दिया . . . निदेशक (आर्थिक कार्य विभाग), वित्त मंत्रालय
6. श्री एन० लूथर . . . . उप सचिव, इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय

2. समिति ने विधेयक के उपबन्धों के कार्य क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी कम्पनियों को शामिल करने की वांछनीयता के बारे में वाणिज्य, औद्योगिक विकास, तथा कम्पनी कार्य, गृह कार्य, वित्त, इस्पात; खान तथा धातु मंत्रालयों के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्ष्यों को सुना ।

3. साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया ।

4. समिति ने निश्चय किया कि विधेयक के उपबन्धों के बारे में भूतपूर्व संसद् श्री पी० एन० सप्रू को सुनने के लिए आमंत्रित किया जाय । उन्होंने यह भी निश्चय किया कि समिति के समक्ष उपस्थित होने पर उन्हें नियमों के अन्तर्गत जो यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय है, अदा किया जाये ।

5. तत्पश्चात् समिति स्थगित हुई ।

पाँच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 27 जुलाई, 1968 को 10.00 से 12.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा . . . . सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री के० अंबाजागन
3. श्री सी० सी० देसाई
4. श्री गंगाचरण दीक्षित
5. श्री समर गुह
6. श्री कंवर लाल गुप्त
7. श्री हेम राज
8. श्री थांडवन किरुत्तिनन
9. श्री भोला नाथ मास्टर
10. श्री वी० विश्वनाथ मेनन
11. श्री जी० एस० रेड्डी
12. श्री विद्या चरण शुक्ल
13. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
14. श्री श्रद्धाकर सूपकार
15. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम

राज्य सभा

16. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
17. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
18. श्री पूर्णानन्द चेतिया
19. श्री अकबर अली खान
20. श्री के० एस० रामस्वामी
21. श्री वी० टी० नागपुरे
22. श्रीमती पुष्पावेन जनार्दनराय मेहता
23. श्री बाल चन्द्र मेनन
24. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री . . . अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी . . . संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह-कार्य मंत्रालय
2. श्री एस० पी० मुखर्जी . . . संयुक्त सचिव (वी०), गृह-कार्य मंत्रालय
3. श्री एस० पी० मुकर्जी . . . निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग
4. श्री ए० पी० वीरा राघवन . . . उप सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय
5. श्री एस० एम० चिकरमाने . . . अवर सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला . . . . उप-सचिव

साक्षी

श्री के० सन्थानम . . . . भूतपूर्व संसद सदस्य

2. सभापति ने स्वर्गीय हरिश्चन्द्र माथुर (भूतपूर्व संसद् सदस्य और संयुक्त समिति के सदस्य) के पुत्र श्री डी० सी० एच० माथुर से प्राप्त दिनांक 6 जुलाई, 1968 का पत्र समिति को पढ़कर सुनाया जिसमें समिति के उस संकल्प के लिए समिति को धन्यवाद दिया गया था जो उसने उनके पिता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए अपनी 4 जुलाई, 1968 की बैठक में पास किया था।

3. सभापति ने समिति को सूचित किया कि लोक पाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 के उपबन्धों के बारे में निम्नलिखित संगठनों/व्यक्तियों से प्राप्त अग्रेतर टिप्पणियों/सुझावों को संयुक्त समिति के सदस्यों में परिचालित किया गया :—

(एक) महाराष्ट्र सरकार
(दो) श्री के० सन्थानम
(तीन) सदर्न मिल ओनर्स एसोसियेशन, कोयमबतूर
(चार) प्रोफेसर पी० के० त्रिपाठी, अध्यक्ष, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय
(पांच) दिल्ली प्रशासन
(छः) पश्चिमी बंगाल की बार कौन्सिल
(सात) मध्य प्रदेश सरकार

4. सभापति ने बताया कि निम्नलिखित पक्षों ने इस बीच सूचना दी है कि विधेयक के उपबन्धों के बारे में उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है :—

(एक) नागालैंड सरकार
(दो) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
(तीन) महा अधिवक्ता, नागालैंड
(चार) महा अधिवक्ता, मद्रास
(पांच) प्रशासक, लक्कादीव, मिनिकोय तथा अमिनदीवि द्वीप समूह
(छः) प्रशासक, दादरा तथा नगरहवेली

(सात) गुजरात उच्च न्यायालय

(आठ) श्री एस० सी० लेहरी, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, कलकत्ता उच्च न्यायालय

(नौ) राजस्थान उच्च न्यायालय

(दस) मुख्य आयुक्त, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

केरल के मुख्य मंत्री ने विधेयक के उपबन्धों के बारे में टिप्पणियां देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। पर उन्होंने बताया था कि वह इस मामले की छानबीन अपने विभाग में करवा रहे हैं। इन टिप्पणियों की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

निम्नलिखि व्यक्तियों ने मौखिक साक्ष्य के लिए समिति के सामने उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी और अपनी टिप्पणियां भी नहीं भेजी थीं :—

(एक) डा० सी० डी० देशमुख

(दो) श्री एस० आर० दास

(तीन) पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल

(चार) श्री एस० दत्त, सतर्कता आयुक्त, पश्चिमी बंगाल

(पांच) श्री पी० बी० गजेन्द्रगडकर

(छः) श्री जी० एस० पाठक, मैसूर के राज्यपाल

5. सभापति ने यह भी बताया कि निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सामने दिखाई गई तारीखों को मौखिक साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था :—

(एक) श्री पी० के० त्रिपाठी . . . . 3-8-1968 को 15.00 बजे।

(दो) डा० एच० एन० कुंजरू . . . 3-8-1968 को 16.00 बजे

(तीन) श्री सी० के० दफ्तरी . . . . 29-8-1968 को 10.00 बजे

श्री पी० एन० सप्रु ने, जिनसे समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपनी स्वीकृति बताने का निवेदन किया गया था, अभी तक उत्तर नहीं दिया। उनसे फिर निवेदन किया जा रहा है कि वह यह बतायें कि क्या उन्हें 23 या 24 अगस्त, 1968 में से किसी तारीख को समिति के सामने उपस्थित होना सम्भव होगा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधिपति श्री पी० चक्रवर्ती और बम्बई उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधिपति ने, जिन्हें मौखिक साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था, आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और गवाहों की नाम सूची में से अपना नाम निकाल देने की प्रार्थना की।

6. तत्पश्चात् सभापति ने विधेयक के उपबन्धों के बारे में उस ज्ञापन का उल्लेख किया जोकि उन्हें याचिका समिति के सभापति से प्राप्त हुआ था।

7. इसके पश्चात् भूतपूर्व संसद् सदस्य श्री के० सन्थानम ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया।

8. साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

9. तत्पश्चात् समिति शनिवार, 3 अगस्त, 1968 को 15.00 बजे तक के लिए पुनः बैठक हेतु स्थगित हुई।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 3 अगस्त, 1968 को 3 म० प० से 6.15 म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० वी० राणा . . . . . सभापति।

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री के० अंबाजागन
3. श्री सी० सी० देसाई
4. श्री शिवाजीराव एस० देशमुख
5. श्री समर गुह
6. श्री कंवर लाल गुप्त
7. श्री भोला नाथ मास्टर
8. श्री जी० एस० रेड्डी
9. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह

राज्य-सभा

10. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
11. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
12. श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह
13. श्री पूर्णानन्द चेतिया
14. श्री के० एस० रामस्वामी
15. श्री सुन्दर सिंह भंडारी
16. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री . . . . अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी . . . . संयुक्त सचिव, प्रशासन सुधार विभाग, गृह कार्य मंत्रालय
2. श्री एस० पी० मुखर्जी . . . . संयुक्त सचिव, (वी०) गृह कार्य मंत्रालय

3.	श्री एस० पी० मुकर्जी	निदेशक, प्रशासन सुधार विभाग
4.	श्री ए० पी० वीर राघवन	उप-सचिव, गृह कार्य मंत्रालय
5.	श्री एस० एम० चिकरमाने	अवर सचिव, प्रशासन सुधार, विभाग

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला . . . . . उप-सचिव

साक्षी

1.	डा० एच० एन० कुंजरु	भूतपूर्व संसद् सदस्य
2.	प्रोफेसर पी० के० त्रिपाठी	संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय

3. समिति ने डा० एच० एन० कुंजरु और प्रोफेसर पी० के० त्रिपाठी द्वारा दिये गये साक्ष्य को सुना।

4. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

5. इसके पश्चात् सभापति ने घोषणा की कि 20 अगस्त, 1968 को निम्नलिखित साक्षियों का परीक्षण किया जायेगा :

(एक)	केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त . . .	4 बजे म० प० पर
(दो)	महानिदेशक, सतर्कता (रेलवे बोर्ड)——रेलवे बोर्ड के सदस्य (कर्मचारीवृन्द) और सभापति उनके साथ होंगे .	5 बजे म० प० पर

6. समिति ने चालू सत्र के दौरान किसी भी दिन डा० लक्ष्मी मल सिंघवी का साक्ष्य लेने का भी निश्चय किया।

7. उसके पश्चात् समिति स्थगित हुई।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 20 अगस्त, 1968 को 4.00 म० प० से 7.10 म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
3. हिज़ हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
4. श्री सी० सी० देसाई
5. श्री शिवाजीराव एस० देशमुख
6. श्री गंगा चरण दीक्षित
7. श्री किंदर लाल
8. श्री भोला नाथ मास्टर
9. श्री जी० एस० रेड्डी
10. श्री योगेन्द्र शर्मा
11. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह

राज्य सभा

12. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
13. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
14. श्री पूर्णानन्द चेतिया
15. श्री अकबर अली खान
16. श्री के० एस० रामस्वामी
17. श्री सुन्दर सिंह भण्डारी
18. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री—अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता
विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी—संयुक्त सचिव, प्रशासन, सुधार विभाग, गृह कार्य मंत्रालय
2. श्री एस० पी० मखर्जी—संयुक्त सचिव (वी०) गृह कार्य मंत्रालय

3. श्री एस० पी० मुकर्जी––निदेशक, प्रशासन सुधार विभाग

4. श्री ए० पी० वीर राघवन––उप सचिव गृह कार्य मंत्रालय

5. श्री एस० एम० चिकरमाने––अवर सचिव, प्रशासन सुधार, विभाग

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला––उप सचिव

2. निम्नलिखित साक्षियों द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पहले, सभापति ने उनका ध्यान निदेश 58 की ओर दिलाया :

1. श्री एन० श्रीनिवास राव, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (16.00 से 17.30 बजे तक)

2. (एक) श्री जी० डी० खंडेलवाल, सभापति, रेलवे बोर्ड
(दो) श्री बी० सी० गंगुली, सदस्य (कमचारीवृन्द) रेलवे बोर्ड
(तीन) श्री एस० डब्ल्यू० शिवेशवार्कर, महानिदेशक, सतर्कता, रेलवे बोर्ड । 17.32 से 19.10 बजे तक

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. पहले समिति में विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिये 24 सितम्बर, 1968 से 3––4 दिन बैठने का निश्चय किया । समिति ने यह भी निश्चय किया कि जो सदस्य विधेयक में संशोधन देना चाहते हों वे कृपया अधिक से अधिक 16 सितम्बर, 1968 तक संशोधन भेज दें ।

5. इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 23 अगस्त, 1968 के 5 म० प० से 6 म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा––सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सी० सी देसाई
3. श्री गंगाचरण दीक्षित
4. श्री गुणानन्द ठाकुर
5. श्री हेम राज
6. श्री थांडवन किरुतिनन
7. श्री भोला नाथ मास्टर
8. श्री वी० विश्वनाथ मेनन
9. श्री जी० एस० रेड्डी
10. श्री योगेन्द्र शर्मा
11. श्री आर० के० सिन्हा
12. श्री श्रद्धाकर सूपाकर

राज्य सभा

13. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
14. पंडित श्याम सुंदर नारायण तन्खा
15. श्री पूर्णानन्द चेतिया

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री––अतिरिक्त वैधानिक परामशदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी––संयुक्त सचिव, प्रशासन सुधार विभाग, गृह कार्य मंत्रालय
2. श्री एस० पी० मुखर्जी––संयुक्त सचिव (वी०) गृह कार्य मंत्रालय
3. श्री एस० पी० मुकर्जी––निदेशक, प्रशासन सुधार, विभाग
4. श्री ए० पी० वीर राघवन––उप सचिव, गृह कार्य मंत्रालय
5. श्री एस० एम० चिकरमाने––अवर सचिव, प्रशासन सुधार विभाग

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—**उप सचिव**

साक्षी

2. निम्नलिखित सापक्षी द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पहले, उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया गया :—

श्री पी० एन० सप्रु, भूतपूर्व संसद् सदस्य

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. इसके पश्चात् समिति शनिवार, 24 अगस्त, 1968 को 9-30 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 24 अगस्त, 1968 को 9.30 बजे म०प० से 10.55 बजे म० पू० तक और फिर 3.00 बजे म० प० से 7.05 बजे म० प० तक हुई ।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा——सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. हिज़ हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
3. श्री सी० सी० देसाई
4. श्री शिवाजीराव एस० देशमुख
5. श्री गंगाचरण दीक्षित
6. श्री हेम राज
7. श्री किन्दर लाल
8. श्री थांडवन किरुतिनन
9. श्री भोला नाथ मास्टर
10. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
11. श्री विद्या चरण शुक्ल
12. श्री आर० के० सिन्हा
13. श्री श्रद्धाकर सूपकार

राज्य सभा

14. श्री राम निवास मिर्धा
15. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
16. श्री पूर्णानन्द चेतिया
17. श्री अकबर अली खान
18. श्री के० एस० रामस्वामी
19. श्रीमती पुष्पावेन जनार्दनराय मेहता
20. श्री बालचन्द्र मेनन

वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया, सचिव, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय
2. श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1.	श्री एन० के० मुकर्जी .	संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह-कार्य मंत्रालय
2.	श्री एस० पी० मुखर्जी .	संयुक्त सचिव, (वी०), गृह-कार्य मंत्रालय
3.	श्री एस० पी० मुकर्जी .	निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग
4.	श्री ए० पी० वीरा राघवन .	उप-सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय
5.	श्री एस० एम० चिकरमाने .	अवर सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला——उप-सचिव

एक

2. सभापति द्वारा भारत के महान्यायवादी, श्री सी० के० दफ्तरी, को निदेश 58 के उपबन्धों से अवगत कराये जाने के पश्चात् समिति ने उनका साक्ष्य सुना।

3. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया। भारत के महान्यायवादी ने वचन दिया कि वह विधेयक की मुख्य बातों पर अपने विस्तृत विचारों का एक ज्ञापन भी संयुक्त समिति के समक्ष रखेंगे।

4. उसके पश्चात् समिति 3.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

दो

5. निम्नलिखित साक्षियों द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान निदेश 58 की ओर आकर्षित किया :—

(एक) श्री एम० सी० सीतलवाद,
संसद् सदस्य (3.00 बजे म० प० से 4.05 बजे म० प० तक)

श्री सीतलवाद ने वचन दिया कि वह लोकपाल द्वारा जांच किये गये मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से छूट के बारे में और कुछ अन्य बातों पर अपने विचारों का एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे।

(दो) श्री एस० दत्त, सतर्कता आयुक्त,
पश्चिमी बंगाल (4.07 बजे म० प० से 5.07 बजे म० प० तक)

उसके पश्चात् समिति कुछ समय के लिए स्थगित हुई।

तीन

6. समिति कुछ समय के पश्चात् 5.17 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई और उसने भारत के उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, के अधिवक्ता, डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, भूतपूर्व संसद् सदस्य, का साक्ष्य सुना।

(5.17 बजे म० प० से 7.05 बजे म० प० तक)

आरम्भ में, सभापति ने उन्हें निदेश 58 के उपबन्धों से अवगत कराया।

समिति ने डा० सिंघवीजी से अनुरोध किया कि वह समिति के विचारार्थ जो अन्य सामग्री प्रस्तुत करना चाहें और कुछ विशिष्ट प्रारूप संशोधन देना चाहें उन्हें प्रस्तुत कर दें।

7. इन तीनों साक्षियों द्वारा दिये गये साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

8. समिति ने विभिन्न साक्षियों द्वारा विधेयक के उपबन्धों पर दिये गये साक्ष्य से उत्पन्न होने वाली बातों पर विचार करने के लिए 24 और 25 सितम्बर, 1968 को प्रतिदिन 10.00 बजे म० पू० पर समवेत होने और विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिए अक्तूबर, 1968 के उत्तरार्द्ध में किसी समय बैठक करने का फैसला किया। यह फैसला भी किया गया कि सदस्य ज्यादा से ज्यादा 16 सितम्बर, 1968 तक अपने संशोधनों की सूचना दे दें।

9. उसके पश्चात् समिति शनिवार, 31 अगस्त, 1968 के 9.30 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 31 अगस्त, 1968 को 9.30 बजे म० पू० से 11.25 बजे म० पू० तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० ब्री० राणा——सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री एस० ए० अगड़ी
3. श्री के० अंबाजागन
4. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा
5. श्री सी० सी० देसाई
6. श्री गंगाचरण दीक्षित
7. श्री हेम राज
8. श्री किन्दर लाल
9. श्री थांडवन किरुतिनन
10. श्री अमीया कुमार किस्कू
11. श्री भोला नाथ मास्टर
12. श्री जी० एस० रेड्डी
13. श्रीमती उमा राय
14. श्री श्रद्धाकर सूपकार
15. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्

15क. श्री कंवर लाल गुप्त

राज्य-सभा

16. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
17. श्री राम निवास मिर्धा
18. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
19. श्री पूर्णानन्द चेतिया
20. श्री अकबर अली खान
21. श्री के० एस० रामस्वामी
22. श्री एम० रत्नस्वामी

23 श्री बालचन्द्र मेनन

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री . अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० पी० मुकर्जी . निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग
2. श्री ए० पी० वीरा राघवन . उप-सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय
3. श्री एस० एम० चिकरमाने . अवर सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला--उप-सचिव

2. श्री ए० एन० मुल्ला, संसद् सदस्य, द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पूर्व सभापति ने उन का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर आर्कषित किया ।

3. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया ।

4. उसके पश्चात् समिति मंगलवार, 24 सितम्बर, 1968 के 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 24 सितम्बर, 1968 को 10.00 बजे म०पू० से 1.00 बजे म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा —सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री के० अंबाजागन
3. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
4. हिज़ हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
5. श्री सी० सी० देसाई
6. श्री शिवाजी राव एस० देशमुख
7. श्री कंवर लाल गुप्त
8. श्री हेम राज
9. श्री किन्दर लाल
10. श्री अमीया कुमार किस्कू
11. श्री भोला नाथ मास्टर
12. श्री वी० विश्वनाथ मेनन
13. श्री जी० एस० रेड्डी
14. श्री गुणानन्द ठाकुर
15. श्री योगेन्द्र शर्मा
16. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
17. श्री शशि भूषण
18. श्री विद्या चरण शुक्ल
19. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
20. श्री आर० के० सिन्हा
21. श्री श्रद्धाकर सूपकार

राज्य-सभा

22. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
23. श्री राम निवास मिर्धा
24. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
25. श्री गणेशी लाल चौधरी
26. श्री पूर्णानन्द चेतिया
27. श्री अकबर अली खान
28. श्री के० एस० रामस्वामी

29. श्री एम० रत्नस्वामी
30. श्री गौड़ मुराहरि
31. श्री बालचन्द्र मेनन
32. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० बी० एस० पेरी-शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी—संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
2. श्री जे० एन० ललवानी—संयुक्त सचिव (वी), गृह-कार्य मंत्रालय
3. श्री एस० पी० मुकर्जी—निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग
4. श्री ए० पी० वीरा राघवन—उप-सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय
5. श्री एस० एम० चिकरमाने—अवर सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

2. विधेयक के उपबन्धों पर विभिन्न साक्षियों द्वारा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से उत्पन्न होने वाली बातों पर समिति ने सामान्य चर्चा की/ निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री अकबर अली खान
2. श्री कंवर लाल गुप्त
3. श्री श्रद्धाकर सूपकार
4. श्री हेम राज
5. श्री राम निवास मिर्धा
6. श्री ए० डी० मणि
7. श्री जी० एस० रेड्डी
8. श्री एम० रत्नस्वामी
9. श्री योगेन्द्र शर्मा
10. श्री बालचन्द्र मेनन
11. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
12. श्री गणेशी लाल चौधरी
13. श्री अमीया कुमार किस्कू
14. श्री विद्या चरण शुक्ल (केवल हस्तक्षेप करते हुए)

3. उसके पश्चात् समिति बुधवार, 25 दिसम्बर, 1968 के 9.30 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 25 सितम्बर, 1968 को 09.30 से 13.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा——सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री एस० ए० अगड़ी
3. श्री के० अंबाजागन
4. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
5. हिज हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
6. श्री सी० सी० देसाई
7. श्री शिवाजीराव एस० देशमुख
8. श्री गंगाचरण दीक्षित
9. श्री समर गुह
10. श्री गुणानन्द ठाकुर
11. श्री हेम राज
12. श्री किन्दर लाल
13. श्री अमीया कुमार किस्कू
14. श्री भोलानाथ मास्टर
15. श्री वी० विश्वनाथ मेनन
16. श्री जी० एस० रेड्डी
17. श्रीमती उमा राय
18. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
19. श्री योगेन्द्र शर्मा
20. श्री शशि भूषण
21. श्री विद्या चरण शुक्ल
22. श्री आर० के० सिन्हा
23. श्री श्रद्धाकर सूपकार

राज्य-सभा

24. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
25. श्री राम निवास मिर्धा
26. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
27. श्री गणेशी लाल चौधरी
28. श्री पूर्णानन्द चेतिया
29. श्री अकबर अली खान
30. श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता
31. श्री एम० रत्नस्वामी
32. श्री सुन्दर सिंह भण्डारी
33. श्री बाल चन्द्र मेनन
34. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री—अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी—संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
2. श्री जे० एन० लालवानी—संयुक्त सचिव (वी), गृह-कार्य मंत्रालय
3. श्री एस० पी० मुकर्जी—निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग
4. श्री ए० पी० वीरा राघवन—उप-सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय
5. श्री एस० एम० चिकरमाने—अवर सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

2. समिति ने विधेयक के उपबन्धों के बारे में विभिन्न साक्षियों द्वारा समिति के सामने दिये गये साक्ष्य से उत्पन्न बातों पर सामान्य चर्चा पुनः आरम्भ की। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री आर० के० सिन्हा
2. श्री गुणानन्द ठाकुर
3. हिज़ हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
4. श्री के० अंबाजागन
5. श्री भोला नाथ मास्टर
6. श्री सी० सी० देसाई
7. श्री एस० एस० देशमुख

8. श्री वी० विश्वनाथ मेनन

9. श्री समर गुह

10. श्री पूर्णानन्द चेतिया

11. श्री सुन्दर सिंह भण्डारी

12. श्री शशि भूषण

13. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा

14. श्री विद्या चरण शुक्ल

3. तत्पश्चात, सभापति ने निम्नलिखित घोषणा की :—

"अब बैठक होती है और अगली बैठक 24 अक्तूबर, 1968 को 09.30 बजे होगी और उस बैठक में हम लोक सभा तथा राज्य सभा की याचिका समितियों के सभापतियों तथा कुछ सदस्यों के इस बारे में विचार सुनेंगे कि विधेयक में जिस नई संस्था की परिकल्पना की गई है वह संसदीय प्रजातन्त्रीय पद्धति में किस प्रकार सफल बनाई जाये। तत्पश्चात्, हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे। इस प्रयोजन के लिए, हमें 2-3 दिन तक बैठकें रखनी पड़ेंगी। आप से भी निवेदन है कि विधेयक में अपने संशोधन, यदि कोई हों, अधिक से अधिक 10 अक्तूबर, 1968 तक भेज दें ताकि उन सभी को समेकित कर बैठक होने से काफी पहले परिचालित किया जा सके।"

4. तब समिति गुरुवार, 24 अक्तूबर, 1968 के 09.30 बजे तक के लिए बैठक के लिए स्थगित हुई।

तेरह

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 24 अक्तूबर, 1968 को 09.30 बजे से 11.20 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अकबर अली खान—**पीठासीन**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
3. हिज हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
4. श्री सी० सी० देसाई
5. श्री कंवर लाल गुप्त
6. श्री गुणानन्द ठाकुर
7. श्री हेमराज
8. श्री किंदर लाल
9. श्री अमीया कुमार किस्कू
10. श्री भोला नाथ मास्टर
11. श्री जी० एस० रेड्डी
12. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
13. श्री योगेन्द्र शर्मा
14. श्री विद्याचरण शुक्ल
15. श्री आर० के० सिन्हा
16. श्री श्रद्धाकर सूपाकर
17. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम
18. श्री यशवन्तराव चव्हाण
19. श्री एस० ए० अगड़ी
20. श्री शशि भूषण

राज्य-सभा

21. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
22. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
23. श्री गणेशी लाल चौधरी
24. श्री पूर्णानन्द चेतिया
25. श्री वी० टी० नागपुरे
26. श्रीमती पुष्पबेन जनार्दनराय मेहता
27. श्री एम० रत्नस्वामी
28. श्री बालचन्द्र मेनन
29. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री––अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी––संयुक्त सचिव, प्रशासन सुधार विभाग ।
2. श्री जे० एम० लालवानी––संयुक्त सचिव (वी), गृह-कार्य मंत्रालय ।
3. श्री एस० सी० मुकर्जी––निदेशक, प्रशासन सुधार विभाग ।
4. श्री एस० एम० चिकरमाने––अवर सचिव, प्रशासन सुधार विभाग ।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला ––उप-सचिव

2. सभापति की अनुपस्थिति में प्रक्रिया नियमों के नियम 258 के उप-नियम (3) के अन्तर्गत श्री अकबर अली खान बैठक के लिये सभापति चुने गये ।

3. इसके पश्चात् समिति ने सभापति और लोक-सभा की याचिका समिति के निम्नलिखित सदस्यों के इस सम्बन्ध में विचार सुने कि विधेयक में उपबन्धित लोकपाल तथा लोकायुक्त की संस्था संसदीय लोकतन्त्रीय व्यवस्था में किस प्रकार कार्य कर सकती है :—

(1) श्री दीवान चन्द शर्मा––सभापति

(2) श्री प्रकाशवीर शास्त्री
(3) श्री ओंकार लाल बेरवा
(4) श्री स० चं० सामन्त
(5) श्री पी० सी० आदिवन
} सदस्य

4. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया ।

5. समिति को बताया गया कि राज्य सभा की याचिका समिति के सभापति को सम्बोधित वैसे ही पत्र का, जिसमें उनसे समिति से मिलने के लिये कहा गया था, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

6. समिति ने विधेयक के उपबन्धों के बारे में निम्नलिखित प्रतिशिष्ठित विधिवेत्ताओं/विशेषज्ञों के विचार सुनने का निश्चय किया :

(1) श्री पी० वी० राजामन्नार,
सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधिपति, मद्रास उच्च न्यायालय ।

(2) श्री कोका सुब्बा राव,
भारत के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधिपति ।

(3) श्री मोहन कुमारामंगलम,
वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय ।

इन व्यक्तियों का साक्ष्य सुनने के लिये समिति ने आगामी सत्र में बैठने का निश्चय किया ।

समिति ने यह भी निश्चय किया कि विधेयक के सम्बन्ध में और अधिक साक्ष्य नहीं सुना जाना चाहिये । उन्हें अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करना चाहिये और इस निमित्त आगामी अन्त: सत्रावधि में बैठना चाहिये । सदस्यों को कहा गया कि वे अपने संशोधन अधिक से अधिक 15 दिसम्बर, 1968 तक भेज दें ।

7. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री कंवर लाल गुप्त को प्राधिकृत किया कि वह अपने प्रतिवेदन के पेश किये जाने का समय बजट सत्र के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव सभा में पेश करें ।

8. इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई ।

चौदह

चौदहवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 7 दिसम्बर, 1968 को 15.00 बजे से 16.35 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. हिज़ हाईनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
3. श्री सी० सी० देसाई
4. श्री गुणानन्द ठाकुर
5. श्री हेम राज
6. श्री थांडवन किरुतिनन
7. श्री अमीया कुमार किस्कू
8. श्री भोला नाथ मास्टर
9. श्री जी० एस० रेड्डी
10. श्री विद्या चरण शुक्ल
11. श्री श्रद्धाकर सूपाकर
12. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम

राज्य-सभा

13. श्री गणेशी लाल चौधरी
14. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
15. श्री पूर्णानन्द चेतिया
16. श्री अकबर अली खान
17. श्री के० एस० रामास्वामी
18. श्री वी० टी० नागपुरे
19. श्री सुन्दर सिंह भण्डारी

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री; अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय।

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी, संयुक्त सचिव, प्रशासन सुधार विभाग
2. श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव (बी), गृह-कार्य मंत्रालय।
3. श्री एस० पी० मुकर्जी, निदेशक, प्रशासन सुधार विभाग।
4. श्री एस० एम० चिकरमाने, अवर सचिव, प्रशासन सुधार विभाग।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला--उप-सचिव ।

साक्षी

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम--अधिवक्ता, मद्रास

2. समिति ने, श्री एस० मोहन कुमारमंगलम, अधिवक्ता, मद्रास, का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाये जाने के पश्चात् विधेयक के उपबन्धों के बारे में उनका साक्ष्य सुना ।

साक्ष्य 16.30 बजे तक चला ।

3. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया ।

4. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिये जनवरी, 1969 के उत्तरार्द्ध में 2 दिन बैठने का अस्थायी निर्णय किया । गृह-कार्य मंत्री के साथ परामर्श से तारीखें नियत करने के लिये सभापति को प्राधिकृत किया गया ।

5. इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई ।

पन्द्रह

पन्द्रहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 23 जनवरी, 1969 को 11.00 बजे से **13.00 बजे** तक हुई।

श्री एम० वी० राणा——–सभापति

लोक-सभा

2. श्री एस० ए० अगड़ी
3. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
4. हिज़ हाईनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
5. श्री सी० सी० देसाई
6. श्री शिवाजीराव एस० देशमुख
7. श्री गंगाचरण दीक्षित
8. श्री कंवर लाल गुप्त
9. श्री हेम राज
10. श्री भोला नाथ मास्टर
11. श्री वी० विश्वनाथ मेनन
12. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
13. श्री योगेंद्र शर्मा
14. श्री विद्याचरण शुक्ल
15. श्री श्रद्धाकर सूपकार
16. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम
17. श्री यशवन्तराव चह्वाण

राज्य-सभा

18. श्री राम निवास मिर्धा
19. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
20. श्री पूर्णानन्द चेतिया
21. श्री अकबर अली खान
22. श्री के० एस० रामस्वामी
23. श्री वी० टी० नागपुरे
24. श्री सुन्दर सिंह भण्डारी
25. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया, सचिव, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय।
2. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय।

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी, संयुक्त सचिव, प्रशासन सुधार विभाग।
2. श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव (वी), गृह-कार्य मंत्रालय।
3. श्री एस० पी० मुकर्जी, निदेशक, प्रशासन सुधार विभाग।
4. श्री एस० एम० चिकरमाने, उप सचिव, प्रशासन सुधार विभाग।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप सचिव

2. प्रारम्भ में, सभापति ने समिति को ब्रिटेन की अपनी पिछली निजी यात्रा के दौरान उस देश में संसदीय आयुक्त के साथ हुई भेंट का तथा साम्राज्ञी की ओर से प्रशासकीय कार्यवाही तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों सम्बन्धी संसदीय आयुक्त की स्थिति, कार्य तथा कृत्यों का संक्षिप्त ब्यौरा* बताया।

3. इसके पश्चात समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया।

4. **खण्ड** 2—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुये :

पृष्ठ 2, पंक्ति 17,

"सत्यनिष्ठा की कमी या अनुचित आचरण" के स्थान पर "अथवा सत्यनिष्ठा की कमी" शब्द रखे जायें।

खण्ड पर चर्चा समाप्त नहीं हुई।

5. इसके पश्चात् समिति विधेयक पर आगे खण्डवार विचार करने के लिये शुक्रवार, 24 जनवरी, 1969 के 10.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

*देखिये अनुबन्ध

अनुबंध

(देखिये 23 जनवरी, 1969 को हुई पन्द्रहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश का पैरा 2)

(सभापति श्री एम० वी० राणा, और युनाइटेड किंगडम के संसदीय आयुक्त के बीच हुई मुलाकात का संक्षिप्त वर्णन)

30 सितम्बर, 1968 को मैं युनाइटेड किंगडम के संसदीय आयुक्त के सचिव, श्री इ० एल० साईक्स, से मिला और लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 पर उनसे बातचीत की। श्री साईक्स भारत की यात्रा कर चुके हैं और हमारी समस्याओं को जानते हैं। उनका विचार है कि हमें छोटे पैमाने पर कार्यवाही करनी चाहिये और लोकपाल को ज्यादा काम नहीं सौंपना चाहिये। मैंने उन से बताया कि इसी कारण से हम इस विधेयक के क्षेत्राधिकार को केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर रहे हैं।

2. 1 अक्तूबर, 1968 को मैंने विधेयक के उपबन्धों पर महामंत्री, भारतीय छात्र संघ, वाई० एम० सी० ए०, के साथ चर्चा की और उन्होंने सामान्य रूप से इस विधान का स्वागत किया।

3. 2 अक्तूबर, 1968 को मैंने युनाइटेड किंगडम के संसदीय आयुक्त की तुलना में इस विधेयक पर मिडल टेम्पल में बैरिस्टरों के साथ चर्चा की। उनका विचार था कि संसदीय आयुक्त की शक्तियां बहुत ही सीमित हैं और उन तक पहुंचना कठिन होता है।

4. 4 अक्तूबर, 1968 को मैंने युनाइटेड किंगडम के संसदीय आयुक्त के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान यह बताया गया कि भ्रष्टाचार की समस्या युनाइटेड किंगडम में नहीं पाई जाती।

5. 5 अक्तूबर, 1968 को संसद सदस्य और संयुक्त समिति के सदस्य, श्री शिवाजीराव एस० देशमुख, युनाइटेड किंगडम पहुंचे। चूंकि उन्हें स्वीडन की यात्रा पर जाना था, मैं ने उन्हें स्वीडन की आम्बुड्समैन के नाम एक परिचय पत्र दिया जिन से वह मिले और लोकपाल विधेयक पर बात चीत की। माननीय आम्बुड्समैन ने "आम्बुड्समैन" नामक पुस्तक की प्रति हमारी संसद् के लिये सहर्ष श्री देशमुख को भेंट की। तत्रभवान परम श्रेष्ठ स्वीडिश आम्बुड्समैन का विचार था कि जहां तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान दर्जे, पदावधि तथा जांच के क्षेत्र, का सम्बन्ध है, जिस में सरकार के मंत्रिगण भी शामिल हैं, यह इस विषय पर उनके कानून से भी बेहतर है। दिल्ली वापस आने पर मैंने और श्री देशमुख ने वह पुस्तक माननीय अध्यक्ष को पेश की और उन्होंने उसे संसद् ग्रन्थालय में रख दिया।

6. 7 और 11 अक्तूबर, 1968 को मेरी श्री इ० एल० साईक्स से अग्रेतर बातचीत हुई। एकीकरण की समस्या पर विचार करने के लिये मैं श्री ग्रीवस् (अफ्रीकी) से भी मिला जो ब्रिक्सटन में, जहां 8,000 भारतीय रहते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद् के सम्पर्क अधिकारी हैं।

7. मैं युनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त, श्री एस० एस० धवन, से भी मिलने गया और लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक पर उनके साथ बातचीत की। उनका सुझाव था कि लोकपाल के समक्ष मामले लोकायुक्तों को और लोकायुक्तों के समक्ष मामले लोकपाल को हस्तान्तरणीय होने चाहियें।

8. 9 अक्तूबर, 1968 को मैं युनाइटेड किंगडम में एन० सी० सी० के इन चार्ज कर्नल स्टाईल्स से मिलने गया। 10 अक्तूबर, 1968 को मेरी युनाइटेड किंगडम में भारतीयों के एकीकरण के बारे में युनाइटेड किंगडम

के जाति सम्बन्ध बोर्ड के सचिव, श्री जे० लिटल, से बातचीत हुई। लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक पर रायल कामनवेल्थ सोसाइटी की उप-प्रधान, मिस अलिजाबेथ ओवन, और भूतपूर्व संसद् सदस्य, श्री गाई बारमेत, के साथ भी मेरी बातचीत हुई । मैं केन्सिगटन हाई स्ट्रीट में राष्ट्रमण्डल संस्था में भी गया और उसके प्रधान, सरकेन्नेथ ब्रेडी के साथ लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक पर बातचीत की मैंने युनाइटेड किंगडम के केन्द्रीय सूचना कार्यालय में के अधिकारी, श्रीमती ममरी और श्री फिट्जगेरल्ड के साथ भी विधेयक पर बातचीत की ।

9. युनाइटेड किंगडम में विभिन्न सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी अधिकारियों के साथ हुई चर्चाओं के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित बातें प्रकाश में आईं:

(एक) युनाइटेड किंगडम में संसदीय आयुक्त को परम श्रेष्ठ महारानी द्वारा लैटर्स पेटेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(दो) संसदीय आयुक्त का वार्षिक वेतन 8,600 पौण्ड है जब कि एक न्यायाधीश का वार्षिक वेतन 10,000 पौंड है। इस प्रकार संसदीय आयुक्त को न्यायाधीशों के बराबर नहीं रखा गया है।

(तीन) प्रोटोकोल में, संसदीय आयुक्त युनाइटेड किंगडम के महालेखा परीक्षक या प्रथम सचिवों के बराबर है।

(चार) शिकायतें संसद् सदस्यों के जरिये संसदीय आयुक्त को की जाती हैं। आरम्भ में कुछ संसद सदस्यों ने संसदीय आयुक्त की नियुक्ति पर आपत्ति की थी क्योंकि उनका विचार था कि वह उन्हें उनके विशेषाधिकार के एक भाग से वंचित कर रहा है।

(पांच) युनाइटेड किंगडम में जनता की सामान्य धारणा यह है कि संसदीय आयुक्त को बहुत कम शक्तियां प्रदान की गई हैं और कि एक आम आदमी के लिये संसदीय आयुक्त तक पहुंचने में बहुत ज्यादा अरचनें हैं। संसदीय आयुक्त के पास वर्ष में लगभग 15,00 मामले जाते हैं ।

नई दिल्ली,
23 जनवरी, 1969

एम० बी० राणा
सभापति, संयुक्त समिति

सोलह

सोलहवीं बैठक

समिती की बैठक शुक्रवार, 24 जनवरी, 1969 को 10.30 बजे से 13.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री एस० ए० अगड़ी
3. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा
4. हिज हाइनेन्स महाराजा प्रताप केसरी देव
5. श्री सी० सी० देसाई
6. श्री शिवाजीराव एस० देशमुख
7. श्री गंगाचरण दीक्षित
8. श्री कंवर लाल गुप्त
9. श्री हेम राज
10. श्री भोला नाथ मास्टर
11. श्री वी० विश्वनाथ मेनन
12. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
13. श्री योगेन्द्र शर्मा
14. श्री शशि भूषण
15. श्री विद्या चरण शुक्ल
16. श्री श्रद्धाकर सूपकार
17. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्
18. श्री यशवन्त राव चह्वाण

राज्य सभा

19. श्री राम निवास मिर्धा
20. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
21. श्री गणेशी लाल चौधरी
22. श्री पूर्णानन्द चेतिया
23. श्री अकबर अली खान
24. श्री के० एस० रामस्वामी
25. श्री वी० टी० नागपुरे
26. श्री गौड़ मुराहरि
27. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी॰ एन॰ भाटिया, सचिव, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय
2. श्री आर॰ वी॰ एस॰ पेरी-शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन॰ के॰ मुकर्जी, संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
2. श्री एस॰ पी॰ मुकर्जी, निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग
3. श्री एस॰ एम॰ चिकरमाने, उप-सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

2. आरम्भ में, समिति ने फैसला किया कि प्रतिवेदन पेश करने के लिये समय 29 मार्च, 1969 तक बढ़ाये जाने के लिये कहा जाये क्योंकि उसका विचार था कि निकट भविष्य में होने वाले मध्यावधि चुनावों और बजट सत्र की दृष्टि से उसके लिये विधेयक के विभिन्न चरणों पर विचार करना शीघ्र ही सम्भव नहीं होगा। समिति ने सभापति को, और उनकी उपस्थिति में श्री कंवर लाल गुप्त को प्राधिकृत किया कि वह समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये समय अग्रेतर बढ़ाने के लिये सभा में प्रस्ताव पेश करें।

3. उसके पश्चात् समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार पुनः आरम्भ किया।

4. **खण्ड 2**—(**देखिये** दिनांक 23 जनवरी, 1969 के कार्यवाही—सारांश का पैरा 4) । निम्नलिखित अन्य संशोधन] स्वीकृत हुये :—

(1) पृष्ठ 2, पंक्ति 19, "अन्याय" शब्द के पश्चात् "अनुचित कठिनाई" शब्द रखे जायें।

(2) पृष्ठ 2, पंक्ति 33,

"सदस्य" शब्द के पश्चात् "(प्रधान मन्त्री को छोड़ कर)" शब्द रखे जायें।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

5. **खण्ड 3**—इस खण्ड पर चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

6. समिति ने विधेयक पर अग्रेतर खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिये शनिवार, 1 मार्च, 1969 को दोपहर से पहले और दोपहर के पश्चात् समवेत होने का फैसला किया ।

7. उसके पश्चात् समिति शनिवार, 1 मार्च, 1969 के 10.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

सत्रह

सत्रहवीं बैठक

समिति की बैठक 1 मार्च, 1969 को 10.00 बजे से 13.00 बजे तक और फिर 14.30 बजे से 17.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा––सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा
3. हिज हाइनेन्स महाराजा प्रताप केसरी देव
4. श्री सी० सी० देसाई
5. श्री गंगाचरण दीक्षित
6. श्री समर गुह
7. श्री कंवर लाल गुप्त
8. श्री हेम राज
9. डा० कर्णी सिंह
10. श्री किन्दर लाल
11. श्री थांडवन किरुतिनन
12. श्री अमीया कुमार किस्कू
13. श्री भोला नाथ मास्टर
14. श्री जी० एस० रेड्डी
15. श्रीमती उमा राय
16. श्री योगेंद्र शर्मा
17. श्री शशि भूषण
18. श्री विद्याचरण शुक्ल
19. श्री आर० के० सिन्हा
20. श्री श्रद्धाकर सूपकार
21. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्
22. श्री यशवन्तराव चह्वाण

राज्य सभा

23. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
24. श्री राम निवास मिर्धा
25. सरदार जोगेंद्र सिंह
26. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा

27. श्री पूर्णानन्द चेतिया
28. श्री अकबर अली खान
29. श्री एम० रत्नस्वामी
30. श्री सुन्दर सिंह भण्डारी
31. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया, सचिव, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय
2. श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय
3. श्री जी० एन० सक्सेना, सहायक ड्राफ्टसमैन, ओ० एल० (विधायी) आयोग, विधि मंत्रालय।

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी, संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
2. श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव (वी), गृह-कार्य मंत्रालय
3. श्री एस० पी० मुकर्जी निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग
4. श्री एस० एम० चिकरमाने, उप-सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला––उप-सचिव

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार पुनः आरम्भ किया।

3. **खण्ड** 3––(**देखिये** दिनांक 24 जनवरी, 1969 के कार्यवाही सारांश का पैर 5)। निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :––

पृष्ठ 4, 13–14 पंक्तियां **हटा दी जायें।**

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

4. **खण्ड** 4––निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :––

पृष्ठ 5, 1–15 पंक्तियों के स्थान पर यह रखा जाय––

"4. लोकपाल या लोकायुक्त संसद् का सदस्य या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होगा और, (यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त के रूप में अपने पद से भिन्न) कोई न्यास का पद धारण नहीं करेगा, न किसी राजनीतिक दल से संसक्त होगा, न कोई कारबार या वृत्ति करेगा और तदनुसार, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व––

(क) यदि वह संसद् का या किसी राज्य के विधान माडल का सदस्य हो तो ऐसी सदस्यता त्याग देगा;

(ख) यदि वह न्यास या लाभ का कोई पद धारण करता हो, तो ऐसा पद त्याग देगा;

(ग) यदि किसी राजनीतिक दल से संसक्त हो तो, उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लेगा; अथवा

(घ) यदि वह कोई कारबार कर रहा हो तो (अपने आप को स्वामित्व से निर्विहित को छोड़कर) ऐसे कारबार के संचालन और प्रबन्ध से अपने सम्बन्ध तोड़ लेगा;

(ङ) यदि वह कोई वृत्ति कर रहा हो तो ऐसी वृत्ति करना समाप्त कर देगा ।"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

5. खण्ड 5—निम्नलिखित संशोधिन स्वीकृत हुए :—

(1) पृष्ठ 5, पंक्ति 18, "परन्तु एक से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा" शब्द हटा दिये जायें ।

(2) पृष्ठ 5, 24–26 पंक्तियां हटा दी जायें ।

(3) पृष्ठ 6, 6–25 पंक्तियों के स्थान पर यह रखा जाय—

"(3) लोकपाल या लोकायुक्त, जब उसका पद धारण करना समाप्त हो जाए, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन (चाहे लोकपाल या लोकायुक्त के रूप में या किसी अन्य हैसियत में) किसी और नियोजन के लिए या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी निगम, सरकारी कम्पनी या सोसाइटी के जो धारा 2 के खण्ड (ट) के उपखण्ड (iv) में निर्दिष्ट है, अधीन किसी नियोजन के लिए या उसमें किसी पद के लिए अपात्र होगा ।

(4) लोकपाल और लोकायुक्तों को ऐसे सम्बलम दिए जायेंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

(5) लोकपाल और हर लोकायुक्त भाटक के संदाय के बिना शासकीय निवास-स्थान के उपयोग का हकदार होगा ।

(6) लोकपाल या लोकायुक्त को सन्देय भत्ते और पैंशन तथा उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें;

परन्तु—

(क) लोकपाल को संदेय भत्तों और पैंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों के विहित करने में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जायगा;

(ख) लोकायुक्त को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों को विहित करने में, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जायगा;

परन्तु यह और कि लोकपाल या लोकायुक्त को संदेय भत्तों और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् ऐसा फेरफार नहीं किया जाएगा जो उसके लिए अहितकर हो ।"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

6. खण्ड 6––निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :––

पृष्ठ 6, 31–32 पंक्तियां, "या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति" शब्द हटा दिये जायें।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

7. खण्ड 7––यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

उसके पश्चात् समिति 13.00 बजे मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई।

8. समिति 14.30 बजे पुनः समवेत हुई और उसने विधेयक पर आगे खण्डवार विचार पुनः आरम्भ किया।

9. खण्ड 8––निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :––

(1) पृष्ठ 8, पंक्ति 4, "द्वितीय अनुसूची" के स्थान पर "तृतीय अनुसूची" शब्द रखे जायं।

(2) पृष्ठ 8, 12–15 पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जायें––

"(2) लोकपाल या लोकायुक्त किसी ऐसी कार्यवाई की जांच नहीं करेगा––

(क) जिसकी बाबत लोकपाल की पूर्व-सहमति से लोक सेवक जांच अधि-
1850 का 37 नियम, 1950 के अधीन औपचारिक और लोक जांच का आदेश कर दिया गया है; अथवा

(ख) ऐसे विषय की बाबत जो लोकपाल की पूर्व-सहमति से जांच अधिनियम,
1952 का 60 1952 के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है।"

खण्ड पर अग्रेतर विचार स्थगित कर दिया गया।

10. खण्ड 9––निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :––

(1) पृष्ठ 9, पंक्ति 13, "और दस्तावेज" शब्द हटा दिये जायें।

(2) पृष्ठ 9, पंक्ति 16 तथा 18, जहां कहीं "शरण--स्थान" शब्द हों उनके स्थान पर "स्थान" शब्द रखा जाय।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

11. खण्ड 10––निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :––

(1) पृष्ठ 9, पंक्ति 20, "लोकायुक्त" शब्द के पश्चात् "ऐसी प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे)" शब्द रखे जायें।

(2) पृष्ठ 9, पंक्ति 25, अन्त में प्रयुक्त "तथा" शब्द हटा दिया जाये।

(3) पृष्ठ 9, पंक्ति 27, शब्द "दे" के पश्चात् शब्द; "तथा" रखा जाय।

(4) पृष्ठ 9, पंक्ति 27 के पश्चात् यह रखा जाय :––

"(ग) अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।"

(5) पृष्ठ 9, पंक्ति 30 के पश्चात् यह जोड़ा जाय

"परन्तु लोकपाल या लोकायुक्त किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में जो निश्चित रूप से लोक-महत्व का हो कोई अन्वेषण सार्वजनिक रूप से उस दशा में कर सकेगा जब कि वह ऐसे कारणों से जो अभिलि त किए जायेंगे, ऐसा करना ठीक समझे।"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

12. खण्ड 11--निम्नलिखित संशोधिन स्वीकृत हुए :--

(1) पृष्ठ 10, पंक्ति 14, "अन्वेषण के" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अन्तर्गत अन्वेषण के पूर्व की प्रारम्भिक जांच, यदि कोई हो, आती है)" शब्द रखे जायं।

(2) पृष्ठ 10, पंक्ति 18, "अन्वेषण के" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक जांच, आती है)" शब्द रखे जायें।

(3) पृष्ठ 10, पंक्ति 35, "सरकार की सेवा में के व्यक्तियों" शब्दों 'के स्थान पर "किसी लोक सेवक" शब्द रखे जायें।

(4) पृष्ठ 11, पंक्ति 4, "होगा" शब्द के पश्चात् यह जोड़ा जाय--

"और ऐसे किसी अन्वेषण के सम्बन्ध में सरकार या लोक सेवक, दस्तावेज़ों के पेश किये जाने या साक्ष्य दिये जाने की बाबत किसी ऐसे विशेषाधिकार का हकदार न होगा जो किसी अधिनियमित द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा विधिक कार्रवाई में अनुज्ञात है।"

(5) पृष्ठ 11, पंक्ति 12-13, या "उस मंत्रिमण्डल की किसी समिति" शब्दों के पश्चात् "या किसी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के मंत्रि-मण्डल की या दिल्ली प्रशा-
1966 का 19 सन अधिनियम, 1966 के अधीन गठित कार्यपालिका परिषद् की या ऐसे मंत्रि मंडल या कार्यपालिका परिषद् की किसी समिति की कार्यवाही का प्रकटन अन्तबर्वलित हो", शब्द रखे जायें।

(6) पृष्ठ 11, पंक्ति 18, "पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" शब्दों के स्थान पर "के अध्यधीन रहते हुए" शब्द रख जायें।

खण्ड; संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

13. खण्ड 12--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :--

(1) पृष्ठ 11, पंक्ति 26 और 28, "अन्याय" शब्द के पश्चात्, जहां कहीं इसका प्रयोग हुआ हो, "अथवा उसे असम्यक कष्ट" शब्द रखे जायं।

(2) पृष्ठ 11, पंक्ति 28, "उपचार" शब्द के पश्चात् "या प्रतितोष" शब्द रखे जायं।

(3) पृष्ठ 12, पंक्ति 1, "निष्कर्षों" शब्द के पश्चात् और "सिफारिशों" शब्द रखे जायं।

(4) पृष्ठ 12, पंक्ति 9, "प्रतिवादी" शब्द के पश्चात् "सम्पृक्त लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी" शब्द रखे जायें।

(5) पृष्ठ 12, 13 और 14 पंक्तियां हटा दी जाय।

इस आशय के एक संशोधन पर चर्चा करते हुए कि किसी ऐसे आरोप सम्बन्धी शिकायत के विषय में जिसपर लोकपाल या किसी लोकायुक्त ने अपनी उपपंत्तियां दे दी हो संघ लोक सेवा आयोग, से परामर्श नहीं ली जानी चाहिए, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि सरकार उपयुक्त विनियम द्वारा ऐसे मामलों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से निकाल दे जिन पर लोकपाल ने विचार किया हो।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

14. उसके पश्चात् समिति गुरुवार, 13 मार्च, 1969 के 9.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अठारह

अठारहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 13 मार्च, 1968 को 09.00 से 11.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा—**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री एस० ए० अगड़ी
3. श्री के० अंबाजागन
4. श्री सी० सी० देसाई
5. श्री गुणानन्द ठाकुर
6. श्री हेमराज
7. श्री थांडवन किरुत्तिनन
8. श्री भोला नाथ मास्टर
9. श्री जी० एस० रेड्डी
10. श्री योगेन्द्र शर्मा
11. श्री विद्या चरण शुक्ल
12. श्री श्रद्धाकर सूपकार
13. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम
14. श्री यशवन्तराव चव्हाण

राज्य-सभा

15. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
16. श्री गणेशी लाल चौधरी
17. श्री पूर्णानन्द चेतिया
18. श्री अकबर अली खान
19. श्री के० एस० रामस्वामी
20. श्री वी० टी० नागपुरे
21. श्री एम० रत्नस्वामी
22. श्री सुन्दर सिंह भण्डारी
23. श्री बालचन्द्र मेनन
24. श्री ए० डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया, सचिव, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय।
2. श्री आर० वी एस० पेरी-शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय।

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी, संयुक्त सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग।
2. श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव (वी), गृह-कार्य मंत्रालय।
3. श्री एस० पी० मुकर्जी, निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग।
4. श्री एस० एम० चिकरमाने, उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—**उपसचिव**

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार पुनः आरम्भ किया।

3. **खण्ड 12**—समिति ने खण्ड पर विचार पुनः आरम्भ किया और अग्रेतर निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया :—

पृष्ठ 12, पंक्ति 17 से 21 हटा दीजिए।

अग्रेतर संशोधित रूप में खण्ड स्वीकृत हुआ।

4. **खण्ड 13**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 13, पंक्ति 1 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखिये—

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन से लोकपाल या लोकायुक्त—

(i) केन्द्रीय सरकार की सम्मति से उस सरकार के किसी आफिसर या अन्वेषण अभिकरण की; अथवा

(ii) किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण की;

सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

संशोधित रूप में खण्ड स्वीकृत हुआ।

5. **खण्ड 14**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 13, पंक्ति 35-36 और पृष्ठ 14, पंक्ति 1 से 9 हटा दीजिए। संशोधित रूप में खण्ड इस परन्तुक के साथ स्वीकृत हुआ कि खण्ड 10 से उप-खण्ड (2) के संशोधन को ध्यान में रखकर जो परिणामी परिवर्तन आवश्यक हैं वे किये जायें।

6. **खण्ड 15**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(1) पृष्ठ 14, पंक्ति 13,
"दो वर्ष" के स्थान पर "छह माह" रखिए।

(2) पृष्ठ 14, पंक्ति 18,
"दो वर्ष" के स्थान पर "छह मास" रखिए।

(3) पृष्ठ 14, पंक्ति 24, के स्थान पर निम्नलिखित रखिए--

"(क) लोकपाल के विरुद्ध अपराध की दशा में लोकपाल के;"

(4) पृष्ठ 14, पंक्ति, 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखिए--

"(ख) लोकायुक्त के विरुद्ध अपराध की दशा में, सम्पृक्त लोकायुक्त के,"

संशोधित रूप में खण्ड स्वीकृत हुआ।

7. **खण्ड 16**--खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

8. **खण्ड 17**. निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :--

पृष्ठ 15, पंक्ति 15 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़िए--

"परन्तु लोकपाल किसी ऐसी कार्रवाई का (जो ऐसी कार्रवाई हो जिसके बारे में इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त से परिवाद किया जा सकता है) अन्वेषण किसी लोकायुक्त को न्यस्त कर सकेगा।

(4) जब लोकपाल या लोकायुक्त पर उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कृत्य प्रदान किया जाए या जब लोकपाल या लोकायुक्त को किसी कार्रवाई का अन्वेषण उपधारा 3 के अधीन करना हो, तब लोकपाल या लोकायुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जो वह, यथास्थिति, कोई शिकायत या अभिकथन अन्तर्वलित करने वाले परिवाद पर किए गए अन्वेषण की दशा में करता, और इस अधिनियम के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे।"

संशोधित रूप में खण्ड स्वीकृत हुआ।

9. **नया खण्ड 17** क--निम्नलिखित नया खण्ड स्वीकृत हुआ :--

लोक सेवकों के कतिपय वर्ष के विरुद्ध परिवादों को अपवर्जित करने की शक्ति।

"**17.** (1) केन्द्रीय सरकार लोकपाल कि सिफारिश पर और अपना यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन परिवादों को जिनमें ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत या अभिवचन अन्तर्वलित हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट लोक-सेवकों के वर्ग के हैं, यथास्थिति, लोकपाल या लोकायुक्त की अधिकारिता से अपवर्जित कर सकेगी;

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना उन सेवकों के बारे में नहीं निकाली जाएगी जो ऐसे पद धारण कर रहे हों जिनका, भत्तों का अपवर्जन करते हुए, न्यूनतम मासिक सम्बलम् एक हज़ार रुपए या अधिक है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निकाली गई हर अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र, संसद् के हरएक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हों कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएँ या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह अधिसूचना यथास्थिति ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशाली होगी या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस अधिसूचना के आधार पर पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।"

10. **खण्ड** 8 (देखिए दिनांक 1 मार्च, 1969 के कार्यवाही सारांश का पैरा 9)। निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 8, पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़िए—

"(3क) लोकपाल या कोई लोकायुक्त किसी ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जो धारा 17क के अधीन निकाली गई अधिसूचना के आधार पर उसकी अधिकारिता से अपवर्जित कर दिया गया है।"

अग्रेतर संशोधित रूप में खण्ड स्वीकृत हुआ।

11. **खण्ड 18**—खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

12. **खण्ड 19**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(1) पृष्ठ 15, पंक्ति 28 में—

"के संबलम्, भत्तों" के स्थान पर "को संदेय भत्ते और पेंशन" रखिए।

(2) पृष्ठ 15, पंक्ति 30 में—"वह समय जिसके अन्दर और' निकाल दीजिए।

संशोधित रूप में खण्ड स्वीकृत हुआ।

13. **खण्ड 20** निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(1) पृष्ट 16, पंक्ति 19–24 के स्थान पर निम्नलिखित रखिए—

"(क) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 19 में यथापरिभाषित किसी न्यायाधीश के;
1860 का 45

(ख) भारत में किसी न्यायालय के किसी आफिसर या सेवक के;"

(2) पृष्ठ 17, पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़िए—

"(च) संसद् के किसी भी सदन या किसी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा या दिल्ली की राजधानी परिषद् के सचिवीय कर्मचारी वर्ग के किसी सदस्य के;"

संशोधित रूप में खण्ड च स्वीकृत हुआ।

14. **खण्ड 21.** खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

15. **प्रथम अनुसूची**—प्रथम अनुसूची बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुई।

16. **नई द्वितीय अनुसूची**—निम्नलिखित नई अनुसूची स्वीकृत हुई :—

पृष्ठ 17, पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़िए—

"द्वितीय अनुसूची"

[धारा 5(4) देखिये]

लोकपाल और लोकायुक्त को वास्तविक सेवा पर बिताए गए समय के बारे में निम्नलिखित दरों से प्रतिमास सम्बलम् दिया जाएगा अर्थात्—

लोकपाल	5,000 रुपए
लोकायुक्त	4,000 रुपए

परन्तु यदि किसी लोकपाल अथवा लोकायुक्त को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य सरकार की अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पहले की गई सेवा के बारे में (निर्योग्यता या क्षत पेंशन के अतिरिक्त) कोई पेन्शन मिलती हो तो, यथास्थिति, लोकपाल अथवा लोकायुक्त के रूप में सेवा के बारे में उसके सम्बलम् में से—

(क) पेन्शन की राशि, और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, सेवा के सम्बन्ध में अपने को देय पेन्शन के एक प्रभाग के बदले में उसका संराशिकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेन्शन के उस प्रभाग की राशि और,

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा के सम्बन्ध में निवृत्ति उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान की समतुल्य पेन्शन, घटा दी जाएगी।"

17. **दूसरी अनुसूची**:—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

पृष्ठ 17, पंक्ति 16,

"द्वितीय" के स्थान पर "तृतीय" रखिये द्वितीय अनुसूची, संशोशित रूप में, स्वीकृत हुई।

18. **खंड** 1.—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,

"1968" के स्थान पर "1969" रखा जाये। संशोधित रूप में खंड स्वीकृत हुआ।

19. **अधिनियमन सूत्र**.—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "उन्नीसवें" के स्थान पर "बीसवें" रखा जाये।

संशोधित रूप में अधिनियमन सूत्र स्वीकृत हुआ।

20. **विधेयक का पूरा नाम**.—विधेयक का पूरा नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

21. समिति ने दिनांक 1 मार्च, 1969 के विमति टिप्पणों के पैरा 13 के अन्तिम से पहले पैरा में निम्नलिखित संशोधन करने का निश्चय किया :—

"मामलों" के स्थान पर "विषय" रखा जाये।

22. सर्वश्री तेन्नेटी विश्वनाथम, ए० डी० मणी और सुन्दर सिंह भंडारी द्वारा सुझाव दियें जाने पर कि प्रस्तावित विधान को संसद सदस्यों पर लागू करने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाये, सभापति ने निर्णय किया कि इस प्रश्न पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

23. वैधानिक परामर्शदाता को प्राधिकृत किया गया कि वह विधेयक में स्पष्ट त्रुटियों को दूर करे तथा आनुषंगिक और प्रारूप स्वरूप के संशोधन करे और उसकी प्रमाणित प्रतियां संशोधित रूप में, पेश करे।

24. समिति ने निश्चय किया कि उसके समक्ष दिये गये साक्ष्य को छापा जाये तथा दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये।

समिति ने यह भी निश्चय किया कि साक्ष्य की मुख्य बातों के सारांश को छापा जाये तथा दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये।

25. समिति ने यह भी निश्चय किया कि उसके द्वारा प्राप्त ज्ञापनपत्रों/अभ्यावेदनों को दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये तथा सदस्यों द्वारा देखने के लिये संसद् ग्रन्थालय में रखा जाये।

26. समिति ने 26 मार्च, 1969 को लोक-सभा में प्रतिवेदन पेश करने तथा उसकी प्रति को राज्य-सभा के पटल पर रखने का निश्चय किया।

27. इसके पश्चात् सभापति ने समिति का ध्यान विमति टिप्पणों के बारे में प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 87 के उपबन्धों की ओर दिलाया और यह भी घोषणा की कि सदस्य अपने विमति टिप्पण, यदि कोई हों तो, 24 मार्च, 1969 के 17.00 बजे तक दे सकते हैं।

28. इसके पश्चात् समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये शुक्रवार, 21 मार्च, 1969 को 09.30 बजे बैठने का निश्चय किया।

उन्नीस

उन्नीसवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 21 मार्च, 1969 को 09.30 बजे से 10.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० बी० राणा--**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री एस० ए० अगड़ी
3. श्री सी० सी० देसाई
4. श्री गंगाचरण दीक्षित
5. श्री समर गुह
6. श्री हेम राज
7. श्री किंदर लाल
8. श्री भोला नाथ मास्टर
9. श्री जी० एस० रेड्डी
10. श्री योगेन्द्र शर्मा
11. श्री विद्या चरण शुक्ल
12. श्री आर० के० सिन्हा
13. श्री श्रद्धाकर सूपाकर
14. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम
15. श्री यशवन्तराव चव्हाण

राज्य-सभा

16. पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा
17. श्री पूर्णानन्द चेतिया
18. श्री अकबर अली खान
19. श्री के० एस० रामस्वामी
20. श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता
21. श्री सुन्दर सिंह भंडारी
22. श्री ए. डी० मणि

वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री वी० एन० भाटिया, सचिव वैधानिक विभाग, निधि मंत्रालय।
2. श्री आर० वी० एस० पेरी, शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय।
3. श्री जी० एन० सक्सेना, सहायक ड्राफ्ट्समैन, राजभाषा (विधान) आयोग विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एन० के० मुकर्जी, संयुक्त सचिव, प्रशासन सुधार विभाग।
2. श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव (बी), गृह-कार्य मंत्रालय।
3. श्री एस० एम० चिकरमाने, उप-सचिव, प्रशासन सुधार विभाग।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—**उप-सचिव**

2. समिति ने संशोधित रूप में विधेयक पर विचार किया तथा उसे पास किया।

3. इसके पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया।

जैसा कि पहले निश्चय किया गया था, समिति ने विमति टिप्पण दिये जाने के लिए, सोमवार, 24 मार्च, 1969 को 5 बजे म० प० तक का समय नियत किया।

4. समिति ने 26 मार्च, 1969 को लोक सभा में प्रतिवेदन पेश करने और लोकसभा/राज्य सभा के पटल पर साक्ष्य, साक्ष्य की मुख्य बातों का सारांश तथा ज्ञापन की एक प्रति रखने का निश्चय किया।

5. समिति ने सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री तेन्नेटि विश्वनाथन को प्राधिकृत किया कि वह लोक-सभा में प्रतिवेदन पेश करे और साक्ष्य, साक्ष्य की मुख्य बातों का सारांश तथा ज्ञापन सभा-पटल पर रखे।

6. समिति ने श्री ए० डी० मणि और उनकी अनुपस्थिति में श्री अकबर अली खान को भी प्राधिकृत किया कि वह राज्य सभा के पटल पर प्रतिवेदन, साक्ष्य, साक्ष्य की मुख्य बातों का सारांश तथा ज्ञापन सभा पटल पर रखें।

7. जिस ढंग से सभापति ने कार्यवाही का संचालन किया, समिति ने उसकी प्रशंसा की।

8. सभापति ने उन साक्षियों का, जो समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे, गृह-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, गृह-कार्य उप मंत्री और समिति के सदस्यों का विधेयक पर विचार के सभी प्रक्रमों के दौरान उनके मूल्यवान सहयोग के लिये धन्यवाद किया। सभापति ने विधेयक पर विचार करने तथा इसे पास करने में वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय, गृह-कार्य मंत्रालय के अधिकारियों तथा समिति के सचिवालय का उनकी मूल्यवान सहायता के लिये धन्यवाद किया।

9. गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सभापति के धैर्य तथा समिति की कार्यवाही का योग्यता से मार्गदर्शन करने के लिये उनका धन्यवाद किया। सदस्यों ने सभापति तथा गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा व्यक्त की गई भावना से सहमति प्रकट की।

10. इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई।

———